राजस्थान विधान सभा

४६ वीं बैठक, बुधवार, दिनांक–४ अगस्त, सन् १६५४ ई.

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ८ बजकर ७ मिनट (मध्यान्ह पूर्व) पर प्रारम्भ हुई ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न ।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १२७१

किशनगढ़ सिविल कोर्ट तथा परबतसर मुन्सिफ कोर्ट के सम्मन तामील कराने वाले-सवार

श्री चाँदमल मेहता—क्या विधि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ सिविल कोर्ट में सम्मन की तामील कराने वालों की संख्या कितनी है ? उनमें ऊंट सवार व साइकिल सवार कितने हैं ?

(ख) परबतसर मुन्सिफ कोर्ट में ऊंट सवार, साइकिल सवार व पैदल कितने व्यक्ति हैं जो सम्मन तामील कराने का काम करते हैं ?

(चुप्पी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Are the Ministers on strike ?

श्री अध्यक्ष— Except one. I purposely delayed for five or ten minutes but it is always the case.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—It is high time that they should be taken to task. They are ordinary Members.

श्री अध्यक्ष—They are perfectly in the hands of the Members.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—It it not only discourtesy to themselves but discourtesy to the whole House and serious action should be taken.

श्री टीकाराम पालीवाल (विधि मन्त्री)—श्री चाँदमलजी मौजूद थे। मैंने सोचा, शायद आये नहीं हैं।

(विराम)

(क) किशनगढ़ में सिर्फ एक सिविल एन्ड एडीशनल सेशन्स न्यायालय है जिसमें ६ पैदल सम्मन तामील कराने वाले कर्मचारी हैं।

(ख) परबतसर मुन्सफी में ३ पैदल व ६ शुतुर सवार, यानि कुल ६ कर्मचारी रखे गये हैं जो सम्मन पर तामील कराने का काम करते हैं।

श्री चान्दमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की यह जानकारी में है कि किशनगढ़ सब डिविजन की परबतसर के मुकाबले में जन-संख्या और क्षेत्रफल ज्यादा है, फिर सवार कम रखने का क्या कारण है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ये जन-संख्या के आधार पर नहीं रखे जाते हैं; किन्तु काम के आधार पर रखे जाते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि परबतसर मुन्सिफ कोर्ट के मुकाबले में किशनगढ़ सब डिविजन की सिविल कोर्ट में काम ज्यादा है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जानकारी में नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की यह जानकारी में है कि किशनगढ़ सब डिविजन का क्षेत्र इतना बड़ा है कि वहाँ शुतुर सवार न होने से कई दिनों से सम्मन तामील नहीं होते हैं और तारीख पेशियें पड़ती ही रहती हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह सम्भव हो सकता है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या इस कठिनाई को दूर करने के बारे में मन्त्री महोदय ने कुछ सोचा है?

श्री टीकाराम पालीवाल—हाई कोर्ट को रेफर किया जायगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या अब शुतुर सवार को 'आउट ऑफ डेट' नहीं समझते हैं। इनकी जगह 'हेलीकाफ्टर सवार' रखे नहीं जाने चाहिये क्या?

(हँसी)

श्री टीकाराम पालीवाल—शुतुर सवार से काम चल जाता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२७७

तहसील बकानी (जिला झालावाड़) की रिचवा-भाल्टा सड़क पर कार्य

श्री भुं झारसिंह--Will the Divelopment Minister be pleased to state :—

Has the work of Richwa-Bhalta road in Tehsil Bakani, District Jhalawar, been postponed ? if so, why ?

How much Development work has the Government of Rajasthan done in the area since the integration of the State ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—The work has not been postponed. The question does not arise.

As the work has not been postponed this question does not arise.

प्रश्न सं० १२७८

किशनगढ़ के यज्ञनारायण हॉस्पिटल में महिला वार्ड तथा उनमें नर्सेज

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.4

[श्री चाँदमल मेहता]

(क) क्या यह सही है कि किशनगढ़ के यज्ञनारायण हॉस्पिटल में महिला वार्ड भी है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल में कितनी नर्सेज़ हैं ?

श्री चन्दनमल वैद (उप स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) महिला वार्ड अलग तो नहीं है मगर महिलायें वहाँ भर्ती की जाती हैं, क्योंकि यह जनरल अस्पताल है।

(ख) यज्ञनारायण अस्पताल में स्वीकृति एक स्टाफ नर्स और दो दाई की है, परन्तु उपयुक्त व्यक्ति के न मिलने से ये स्थान रिक्त हैं। इसके अलावा सिटी डिस्पेन्सरी में स्टाफ नर्स १ और मिडवाइफ २ स्वीकृत हैं। यहाँ दो मिडवाइफ के स्थान उपयुक्त व्यक्ति के न मिलने से रिक्त हैं।

श्री चांदमल मेहता—यह स्थान कितने अर्से से रिक्त हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—कुछ समय से रिक्त हैं।

श्री चाँदमल मेहता—यह सही है कि पिछले दो साल से कोई भी नर्स इस हॉस्पिटल में नहीं थी ?

श्री चन्दनमल वैद—निश्चित् समय और अवधि, मैं नहीं बता सकता।

श्री भैरूँसिंह—क्या सरकार ने ऐसे रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्दनमल वैद—बीकानेर में मिडवाइफरी की क्लास खोल दी गई है, जिसमें हर साल १० व्यक्ति निकलेंगे। उससे उम्मीद यह की जाती है कि इस प्रकार की आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—किशनगढ़ हॉस्पिटल में महिला वार्ड नहीं है, तो इससे क्या यह समझा जाय कि पुरुष और महिलाओं को एक ही वार्ड में एक साथ रखा जाता है ?

श्री चन्दनमल वैद—महिलाओं के लिये अलग अलग कमरे हों, ऐसी बात नहीं। महिलाओं का वार्ड अलग है और पुरुषों का अलग है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मेरा प्रश्न कमरे से नहीं था, दोनों एक साथ रहते हैं क्या ?

श्री चन्दनमल वैद—यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि दोनों के लिए अलग अलग कमरे होंगे।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—सवाल का जवाब ही आपने ऐसा दिया तो अनुमान कैसे किया जा सकता है? अच्छा होता माननीय स्वास्थ्य मन्त्री यहाँ उपस्थित होते और इसका संतोषजनक जवाब देते।

श्री भैरूँसिंह—जब तक बीकानेर से ट्रेनिंग प्राप्त कोई मिडवाइफ का इन्तजाम नहीं होता तब तक उस स्थान की पूर्ति के लिए गवर्नमेंट क्या कोशिश करेगी।

श्री चन्दनमल वैद—कोशिश की जाती है किन्तु योग्य नर्स प्राप्त नहीं होती, तो उसके लिये क्या किया जाय?

श्री भैरूँसिंह—मेरा प्रश्न यह है कि अब तक कोशिश की गई है या नहीं?

श्री चन्दनमल वैद—कोशिश की गई।

श्री भैरूँसिंह—इस चीज को गजट में शाया करवाया गया है या नहीं?

श्री चन्दनमल वैद—विज्ञापन निकाले गये हैं किन्तु उपयुक्त व्यक्ति मिलते नहीं है। तो उसका क्या किया जाय?

प्रश्न संख्या १९७६

किशनगढ़ सब डिविजन में सन् ५३-५४ के वर्ष में लगाये गये पेड़

श्री चाँदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सिंचाई विभाग द्वारा ५३-५४ के वर्ष में राजस्थान में कितने पेड़ लगाये गये जो इस वक्त मौजूद हैं।

(२) किशनगढ़ सब डिविजन मे लगाये गये पेड़ों की संख्या कितनी है?

(३) ५३-५४ के वर्ष में पेड़ लगाने में इस विभाग द्वारा कितने रुपये खर्च किये गये।

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(१) इस विभाग द्वारा ५३-५४ के वर्ष में २६७५० वृक्ष लगाये गये जिसमें से करीब आधे मौजूद हैं।

[श्रीटीकाराम पालीवाल]

(२) किशनगढ़ सब डिविजन में दो हजार वृक्ष लगाए गए।

(३) ५३-५४ के वर्ष में इस विभाग द्वारा पेड़ लगाने में ६,३५६) रुपये खर्च किये गये।

श्री चाँदमल मेहता—किशनगढ़ सब डिविजन में लगाये गये पेड़ों में से कितने मौजूद हैं?

श्री टीकाराम पालीवाल—करीब आधे।

श्री चाँदमल मेहता—क्या ये पेड़ लगाये गये, ये तालाबों की पट्टी पर लगाये गये हैं?

श्री टीकाराम पालीवाल—अधिकतर तालाबों की पाल पर।

श्री भैरूँसिंह—क्या सरकार इस बात की जाँच करायगी कि जो पेड़ लगाये जाते हैं उनमें से आधे ही क्यों रह जाते हैं?

श्री चाँदमल मेहता—जितने तालाबों पर मिट्टी डाली गई है उन सब पर पेड़ लगाए गये हैं?

श्री टीकाराम पालीवाल—छोटे-मोटे तालाब रह सकते हैं जो अभी हमारे कब्जे में आए हैं।

श्री चाँदमल मेहता—रियासतों के समय जितने भी तालाबों पर मिट्टी पड़ती थी उनमें बीज डाल दिया जाता था; किन्तु राजस्थान बनने के बाद राजस्थान सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।

श्री टीकाराम पालीवाल—यह आप जानकारी दे रहे हैं।

श्री श्रीदास गोयल—इन तालाबों पर जहाँ मिट्टी पड़ती है वहाँ इसलिए पेड़ नहीं लगाए जाते कि उससे उनकी नींव कमजोर पड़ जाती है क्योंकि पेड़ों की जड़ें अन्दर तक जाती हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल—यह विवादास्पद प्रश्न है, दोनों की भिन्न-भिन्न राय है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—एक तरफ तो पाल पर पेड़ लगाती है दूसरी तरफ जोधपुर आदि में पालों पर पेड़ काटने की सरकार इजाजत देती है?

श्री टीकाराम पालीवाल—यहाँ किशनगढ़ की बातें कर रहे हैं, जोधपुर की नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२८०

सन् १९५३ में जोधपुर पॉवर हाउस में कोयले के कार्य की प्रणाली तथा मजदूरों की कमी

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Public Works be pleased to answer :—

(1) By what system coal work was conducted upto the year 1953 in the Power House of Jodhpur.

(2) Is it a fact that in the year 1953 coal contract system was introduced in the Power House, Jodhpur, as a result of which 100 employees of the department were retrenched ?

(3) Is it a fact that this year nobody came forward to take up the contract ?

(4) Is it a fact that the staff of the contractor are being paid wages by the department ?

(5) If so, why is the originally retrenched staff not being reemployed ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(1) Through departmental labour-breaking by hand.

(2) Yes, the contract system was introduced but no retrenchment was made on this account as the labour proviously engaged was being engaged on daily wages.

(3) No.

(4) No.

(5) This does not arise.

Page No.8

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं है कि इस वर्ष सरकार द्वारा यह काम विभागीय तौर पर करवाना शुरू कर दिया है मार्च के अन्त में ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह सही है। कारण यह था कि दुबारा जब कन्ट्राक्ट के लिए टेन्डर निकाले गए, तो टेन्डर के रेट हाई मालूम हुए। इसलिए दुबारा और टेन्डर आमन्त्रित किए, उस बीच यह काम विभागीय तौर पर करवाया गया।

श्री हरि कृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस प्रकार कन्ट्राक्ट बेसिस पर कार्य करवाने से कार्य की एफीशियेन्सी कम हो रही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—एफीशियेन्सी में कमी नहीं हुई है किन्तु खर्च में अवश्य बचत हुई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि 'राजस्थान लेबर एडवाईज़री बोर्ड' ने सुझाव दिया है कि कन्ट्राक्ट सिस्टम खत्म किया जाय ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के पी. डब्ल्यु. डी. विभाग और बिजलीघर के उच्चाधिकारी 'लेबर एडवाईज़री बोर्ड के मेम्बर हैं ?

The Chief Engineer and the Secretary to the Government in that Department are Members of the Labour Advisory Board and I don't know how far it is valid to claim.. ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इस बोर्ड के ऑफिशियल मेम्बर होने पर भी यह लाजमी नहीं है कि उनकी रिकमन्डेशन से मिनिस्टर को जानकारी हो। इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इससे क्या यह समझा जाय कि इस सिलसिले में जो रिकमन्डेशन हुए हैं व सरकार को मान्य नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—The question does not arise. You should put a specific question. Any other supplementary ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—But this question is very specific. Whether the Government is prepared to honour the recommendations of the Labour Advisory Board ?

श्री टीकाराम पालीवाल—I can't commit the Government on this point.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि ये जो मजदूर विभागीय तौर पर रखे जाते हैं उनको महीने बाद दो तीन दिन छुट्टी देकर डिसकन्टिन्यू किया जाता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ये तो डेली वेजेज़ पर रखे जाते हैं। तो उनको पर्मानेन्ट राइट तो नहीं हो सकते, इसलिए डेली वेजेज़ पर रखे जाते हैं। काम खत्म होने पर उनको हटा दिया जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या राजस्थान सरकार द्वारा दूसरे बिजली घरों के लिए भी कन्ट्राक्ट सिस्टम जारी कर दिया गया है?

श्री टीकाराम पालीवाल—इसके लिए नोटिस चाहता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने यह निश्चय कर लिया है as a matter of policy?

श्री टीकाराम पालीवाल—The question does not arise. This was a specific question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—पुराने स्पेसिफिक आॅर्डर थे जिनको बदलने का आदेश किसने दिया है?

Why was the old system changed when the Government... (अश्रव्य)

श्री टीकाराम पालीवाल—I have already replied that it was economical. इससे खर्च में बचत हुई है।

श्री संतोषसिंह—जोधपुर में कोयला तोड़ने के लिए ठेके पर दिए जाते थे जब २४ लाख रुपए लगते थे और अब ८४ लाख रुपए लगते हैं; तो उसको कन्ट्राक्ट पर क्या नहीं दिया जाता?

श्री टीकाराम पालीवाल—How does the question arise?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२८१

संगरिया मंडी में सवर्णों द्वारा हरिजनों को डिग्गी में पानी न भरने देने पर श्रीबनेसिंह एस. डी. एम. की धांधलीबाजी

श्री मनफूलसिंह—क्या दलित वर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या संगरिया मंडी में सवर्णों द्वारा हरिजनों को डिग्गी में पानी भरने से रोका गया? क्या इसी सम्बन्ध में सरकारी ड्यूटी पर श्री बनेसिंह एस. डी. एम., हनुमानगढ़ जाँच करने अथवा समझौता कराने संगरिया मण्डी पधारे?

(ख) क्या सच है कि संगरिया मण्डी के हरिजनों के कथनानुसार श्री बनेसिंह एस. डी. एम. ने अपनी ड्यूटी से च्युत होकर इस मामले को बिगाड़ा और गम्भीर बनाने की कोशिश की?

Page No.10

[श्री मनफूलसिंह]

(ग) क्या सरकार यह जाँच करने के लिए तैयार है कि कुछ हरिजनों को श्री बनेसिंह एस. डी. एम., ने धमकाया कि अगर सवर्णों के साथ पानी पीने का नाम लिया तो जेल भेज दिए आओगे।

(घ) क्या इस मौके पर पुनर्संस्थापन विभाग के मन्त्री भी पधारे थे ? क्या मन्त्री महोदय ने संगरिया स्टेशन पर हरिजनों के मामले को सुलझाने के हेतु कुछ बातें कहीं ?

(ङ) क्या यह सच है कि मन्त्री महोदय की बात की कटु आलोचना श्री बनेसिंह एस.डी. एम. द्वारा कुछ लोगों के सामने की गई ?

(च) क्या सरकार तैयार है कि जातिवाद को पनपाने वाले, आन्दोलन को प्रोत्साहन देने वाले सरकारी कर्मचारी की जाँच शीघ्र की जाये ?

श्री भोगीलाल पंडया (दलितवर्ग)—(क) हाँ।

(ख) नहीं।

(ग) क्योंकि एस. डी. एम. ने हरिजनों को कोई धमकी नहीं दी इसलिए जाँच का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) हाँ।

(ङ) नहीं।

(च)-(ख) और (ग) के उत्तर से यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्मपाल—क्या यह बात सही है कि हरिजनों को धमकाया गया है ?

श्री भोगीलाल पण्डया—जांच करने से मालूम हुआ कि धमकाया नहीं।

श्री मनफूलसिंह—अगर कोई विशेष बात बतायी जायगी तो क्या सरकार जाँच करने को तैयार है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२८२

किशनगढ़ सब-डिविजन में तालाबों के पेड़ों पर नम्बर लगाना

श्री चाँदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[श्री चाँदमल मेहता]

(१) किशनगढ़ सब डिविजन में किस-किस तालाब के पेड़ों पर सरकार द्वारा नम्बर नहीं लगाए गए हैं ?

(२) ऐसे कितने तालाब हैं जिन पर कुछ पेड़ों के नम्बर लगाए गए हैं और कुछ पेड़ों को बिना नम्बर लगाए छोड़ा गया है ?

(३) क्या यह सही है कि तालाबों के पेटों में किसानों के पट्टे की जमीनें आ गई हैं उन पर भी सिंचाई विभाग द्वारा नम्बर लगा दिए गए हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)— (१) सब पर नम्बर लगाए गए हैं।

(२) कोई नहीं।

(३) तालाब के पेटों में सब पेड़ों पर नम्बर लगा दिए गए हैं। इसमें सम्भव है कुछ पेड़ किसानों के हों। इसकी देखभाल की जा रही है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार की जानकारी में है कि कुछ पेड़ों पर, तालाब मोती-सागर के नम्बर लगाए गए हैं और कुछ पर नहीं लगाए गए हैं और जो नीलाम पेड़ों का किया गया था उसकी विज्ञप्ति में भी यह लिखा हुआ था कि फलां पेड़ नम्बर के हैं और फलां पेड़ बिना नम्बर के हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरी जानकारी में तो यह नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या किसी प्रश्न के जरिये यह जानकारी माननीय मन्त्री महोदय को देने की कोशिश की गई ?

श्री टीकाराम पालीवाल—प्रश्न के जरिए जानकारी नहीं दी जा सकती। उससे तो जानकारी ली जाती है। यह कैसे हो सकता है ?

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की यह जानकारी में नहीं है कि ऐसा एक प्रश्न यहाँ पूछा गया था जिसमें यह कहा गया था कि कितने पेड़ बिना नम्बर के फलाँ आदमी को दिये गये थे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—I don't remember.

श्री चाँदमल मेहता—क्या इसकी जाँच कराने को आप तैयार हैं कि कितने ही ऐसे तालाब हैं कि जिन पर पेड़ों पर नम्बर छोड़ दिये गये हैं, बेजा तौर पर उनको बेचकर फायदा उठाने के लिए ?

Page No.12

श्री टीकाराम पालीवाल—जान बूझ कर बेजा फायदा उटाने की नीयत से नहीं छोड़े गये होंगे। फिर भी अगर किसी ने बेजा फायदा उटाने के लिए गड़बड़ की है तो उसकी जाँच करवाई जा सकती है ?

श्री चांदमल मेहता—जिन-जिन किसानों की जमीन में जो पेड़ हैं और जिन पर सरकार ने अपने नम्बर लगा दिये हैं उन नम्बरों को सरकार पेड़ों से अलग करने को तैयार है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने पहले ही कह दिया है कि सम्भव है कि कुछ किसानों के पेड़ों पर भूल से नम्बर लग गये हों। इसकी जाँच की जा रही है। अगर यह सही पाया गया तो उन्हें छोड़ दिया जावेगा।

श्री चाँदमल मेहता—जाँच कब शुरू होगी और कब तक छोड़ दिये जावेंगे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जाँच करने की और छोड़ने की तारीख की भविष्यवाणी करने को मैं तैयार नहीं हूँ। वह कल-परसों तक हो जावेगी ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२८३

झालावाड़ के पूर्व राज्य द्वारा झालावाड़ शहर में वाटरवर्क्स के लिये तीन लाख रुपयों की रकम

श्री जुझारसिंह—Will the Development Minister be pleased to state:—

Is it a fact that a sum of Rs. 3 lacs was set aside by the former Jhalawar State at the time of merger for the construction of Water Works in the Jhalawar city ?

If so, why has the Government not utilised the said amount for the purpose specified inspite of the fact that water is being sold at 1 anna and 6 pies per pitcher there ?

Will the Govt. do something about it in future ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—Yes.

A satisfactory water works scheme within the amount set aside by the former State of Jhalawar was not practicable as the wells tested in Jhalawar were not giving sufficient discharge. Besides, the cost of pipe line has also been very high.

[श्री टीकाराम पालीवाल]

Temporary relief was afforded this year by means of a grant of Rs. 5000/— by the Govt Question in respect of preparation of a comprehensive Water Supply Scheme is under active consideration of the Government.

श्री हरिकृष्ण व्यास—कामयाबी के साथ यह स्कीम चलाने के लिए सरकार के हिसाब के मुताबिक कितने लाख रुपयों की आवश्यकता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह अलग क्वेश्चन है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी यह कहा गया है कि तीन लाख काफी नहीं थे। इस स्कीम के लिए, तो फिर कितने रुपये काफी गिने गये हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—वह अन्डर एक्टिव कन्सिडरेशन है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो फिर बगैर स्कीम बनाये कैसे इस निर्णय पर आप पहुँचे कि तीन लाख अपर्याप्त हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह निर्णय तो हो सका था। पर, कितने फिर जरूरी होंगे इस पर अब विचार किया जा रहा है ।

श्री भुंभारसिंह—उस रकम का सरकार ने क्या किया, जो भालावाड़ स्टेट के वक्त इस काम के लिए अलग रखी गयी थी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने सुना नहीं, क्या फरमाया आपने ?

श्री अध्यक्ष—जो रुपया रक्खा था उसका क्या उपयोग किया है भालावाड़ के वक्त से ?

श्री टीकाराम पालीवाल—वह रुपया रक्खा हुआ है ।

श्री भुंभारसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि वह रुपया किन्हीं और कामों में खर्च कर लिया गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसी बात मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या वह रुपया 'वेज एण्ड मीन्स' काम में लिये जाने में इस्तेमाल हो गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं, ऐसा कोई विचार है ।

श्री अध्यक्ष—श्री मोहब्बतसिंह।

प्रश्न संख्या १२८४

श्री अध्यक्ष—श्री रामदयाल उपाध्याय।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १२८५

सिरोही के जिलाधीश कार्यालय के लिए भवन-निर्माण।

श्री मोहब्बतसिंह--Will the Minister for P. W. D. be pleased to state:—

Whether the Government is contemplating to construct the building for the Collectorate at Sirohi ? If not, why not ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—यह गलत एड्रेस किया गया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से इसका ताल्लुक है और इसलिए वह सम्बन्धित विभाग को भेजा जावेगा और वहाँ से उत्तर मिल सकेगा। [बादमें उत्तर इस प्रकार प्राप्त हुआ- "जिलाधीश कार्यालय (कलेक्टरेट) सिरोही के लिये नया भवन बनाने की कोई योजना नहीं है। "]

प्रश्न संख्या १२८६

श्री अध्यक्ष—श्री रामदयाल उपाध्याय।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२८७

यज्ञनारायण औषधालय के मरीजों के रहने के कमरों को डी०एम०एच०ओ०के कार्यालय में परिवर्तित करना

श्री चाँदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) किशनगढ़ के यज्ञनारायण हॉस्पिटल में कितने मरीजों के रहने की व्यवस्था है ?

(ख) क्या यह सही है कि मरीजों के रहने के कमरे डी.एम.एच.ओ. के ऑफिस में परिवर्तित किये जा रहे हैं और बैड्स की संख्या कम की जा रही है ?

[श्री चाँदमल मेहता]

(ग) यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री चन्दनमल वैद (उप स्वास्थ्य मंत्री)--किशनगढ़ के यज्ञनारायण हस्पताल में ५० मरीजों तक रहने की व्यवस्था हो सकती है परन्तु इस समय ३० की ही व्यवस्था रक्खी गई है, जो इस अस्पताल में इन्डोर मरीजों की सन् १६५३ की प्रतिदिन औसत संख्या २२.८ देखते हुए पर्याप्त है। आवश्यकता पड़ने पर संख्या बढ़ाई जा सकती है।

(ख) व (ग) डी.एम.एच. ओ. के लिए शहर में उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण और वर्तमान अस्पताल के कम्पाउन्ड में अभी मकान तैयार न होने के कारण अस्पताल के कुछ हिस्से में डी.एम.एच.ओ का ऑफिस कायम किया गया है।

श्री चांदमल मेहता--क्या यह सही है कि मरीजों के रहने के कमरों को डी.एम.एच.ओ के दफ्तर में मिला लिया गया है ?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने जवाब दिया कि वहाँ ५० मरीजों तक की व्यवस्था थी, पर मरीजों की सन् १६५३ की औसत संख्या फकत २२.८ परसेन्ट थी, इसलिए इसको देखते हुए ३० मरीजों की व्यवस्था कायम रक्खी है। फिर भी अगर इससे ज्यादा जरूरत होगी तो उनकी (बेड्स) व्यवस्था तुरन्त की जा सकती है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह माननीय उपमन्त्री महोदय की जानकारी में है कि मौजूदा जो कमरे हैं वे केवल ३० मरीजों के ही लिये पर्याप्त हैं और माननीय मन्त्री महोदय स्वयं एक बार कह चुके हैं कि वहाँ की औसत मरीजों की संख्या कोई २८ और कुछ रहती है ? इन दोनों में से किसे ठीक समझा जाय ?

श्री चन्दनमल वैद—सन् ५३ के आँकड़ों के अनुसार तो २२.८ ही होता है।

श्री चांदमल मेहता—तो इस सम्बन्ध में जो पहले स्वास्थ्य मंत्री कह चुके हैं कि ५३।५४ में २८ और कुछ रहती है तो इसको सही माना जावे या आप जो कह रहे हैं उसको सही माना जावे ?

श्री चन्दनमल वैद—स्वास्थ्य मन्त्री ने कब क्या कहा यह मैं नहीं जानता ?

श्री चाँदमल मेहता--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वक्त जो कमरे मरीजों के उपयोग के लिये हैं उनमें कितने मरीज रह सकते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद--तीस।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय ने यह मालूम करने की कोशिश की कि तीस मरीजों के लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं है ?

श्री चन्दनमल वैद—तीस के लिये पर्याप्त स्थान है।

श्री चाँदमल मेहता—यदि नहीं पाया गया तो क्या मन्त्री महोदय न्यू कन्स्ट्रक्शन को तोड़ने को तैयार हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—'यदि' का कोई सवाल ही नहीं उठता है ?

श्री चाँदमल मेहता—नहीं, सवाल उठता है इसलिये पूछा है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अगर तीस से ज्यादा मरीज आ गये तो क्या होगा ?

श्री चन्दनमल वैद—उनके लिए अवश्य व्यवस्था की जावेगी।

श्री चाँदमल मेहता—क्या डी.एम.एच.ओ. ने उन कमरों को ओक्यूपाई करने की सरकार से स्वीकृति हासिल की थी ?

श्री चन्दनमल वैद—सब काम स्वीकृति के बाद में हुआ है।

श्री जवानसिंह—क्या माननीय मिनिस्टर महोदय लॉबी में बैठे हैं और उत्तर देने के लिए भी यहाँ सदन में नहीं पधार सके हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—मुझे 'हाँ'-पक्ष की लॉबी तो दिखाई नहीं देती। अलबत्ता ना पक्ष की लॉबी में देख रहा हूँ, वहाँ तो मुझे नहीं दिखाई देते।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह इधर की लोबी आपको कब से दिखाई देने लग गई ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री रामदयाल उपाध्याय।

प्रश्न संख्या ११८८-११८६

श्री अध्यक्ष—श्री रामदयाल उपाध्याय।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री तनसिंह।

प्रश्न संख्या ११६०

सिणधरी से बाड़मेर के बीच की सड़क का निर्माण-कार्य

श्री तनसिंह—क्या मन्त्री जन कार्य विभाग यह उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.17

[श्री तनसिंह]

(१) सिणदरी से बाड़मेर के बीच की सड़क कितने मील बन चुकी और कितनी बाकी है ?

(२) यह सड़क कब तक पूरी होने की उम्मीद है ?

(कुछ विराम के अनन्तर पुनः श्री तनसिंह)

क्या मेरे प्रश्न को ऐसा समझा जा रहा है कि उसका कोई उत्तर ही मन्त्री महोदय के पास नहीं है।

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)--(सदस्य द्वारा केवल प्रश्न संख्या ही बोल देने का नियम होने के कारण)

आप इतना धीरे से (अपने प्रश्न का केवल नम्बर) बोल गये कि जो सुनाई नहीं दिया। और मैं देखता ही रहा कि तनसिंहजी यहाँ हैं भी या नहीं। मैं उत्तर देता हूँ।

(विराम)

(अ) दुबारा मौका देखने के बाद इसकी मुख्य दीवार के बनाने में कई अड़चनें पैदा होती देखी गई और इसमें खर्चा भी विशेष नजर आया, इसलिये यह साइट बदली गई। साइट बदलने में सरकार को बजाय हानि के १ लाख रुपये की बचत होगी।

श्री तनसिंह—यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं है।

१२६० का जवाब दीजियेगा।

श्री जवानसिंह—माननीय मन्त्री महोदयों का यहाँ बैठना न बैठना बराबर है।

श्री टीकाराम पालीवाल—(१) सिणदरी से बाड़मेर सड़क १७ मील बन कर तैयार हो चुकी है। सिर्फ २३.५ मील बननी बाकी है।

(२) आगामी वर्ष यानि ५५-५६ तक इसके पूरे हो जाने की आशा है।

प्रश्न संख्या १२६१

किशनगढ़ के यज्ञनारायण औषधालय में करवाने योग्य विभिन्न निर्माण-कार्य

श्री चाँदमल मेहता--क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे -

(क) क्या यह सही है कि किशनगढ़ यज्ञनारायण हॉस्पिटल में रसोई घर के किवाड़ नहीं है और बारिश की मौसम में छत में से पानी टपकता है ?

Page No.18

[श्री चाँदमल मेहता]

(ख) क्या यह सही है कि कम्पाउन्डरों के रहने के कमरों पर छत नहीं है, इसलिए उनका उपयोग टट्टी जाने के लिए लिया जाता है ?

(ग) क्या यह सही है कि इन्डौर पेशेन्ट्स के लिए पेशाब घर तक इस अस्पताल में नहीं है ?

(घ) क्या चालू वर्ष में उपरोक्त कामों के लिए कोई रकम स्वीकृत की गई है ?

(ङ) यदि हाँ, तो कितनी ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) रसोईघर में किवाड़ लगाने का आदेश १-८-५४ को दे दिया गया है। छत की मरम्मत के लिए भी व्यवस्था की जा रही है।

(ख) यह सही है कि कम्पाउन्डरों के मकानों की छत तैयार नहीं हुई है, किन्तु यह कहना सही नहीं है कि उनका प्रयोग टट्टी जाने के लिए किया जा रहा है।

(ग) पेशाबघर मौजूद हैं किन्तु फ्लश की व्यवस्था नहीं है। फ्लश की व्यवस्था हो जायगी।

(घ) अभी इस विषय में निर्णय नहीं हुआ है, किन्तु रकम पर्याप्त होगी।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह किवाड़ और छत कितने अर्से से नहीं बने ? कब यह हॉस्पिटल बना ?

श्री चन्दनमल वैद—अब होंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी तो आदेश जारी हुए हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—अभी तो सरकार के आदेश जारी हुए हैं और हमारी सरकार के आदेश १० वर्षों में भी पूरे नहीं होते हैं।

श्री अध्यक्ष—Don't generalise things !

श्री रामदयाल।

प्रश्न संख्या १२६२ व १२६३

श्री अध्यक्ष—श्री रामदयाल उपाध्याय।

Page No.19

[श्री अध्यक्ष]

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १२६४

सिरोही जिले के रिटायर्ड राज्य सेवकों के पुराने पेन्शन केसेज़

श्री जवानसिंह—क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सिरोही जिले के रिटायर्ड राज्य सेवकों के पेन्शन केसेज़ एक साल से ज्यादा अर्से के बहुत संख्या में पेन्डिंग हैं ?

(ख) इनमें से हर वर्ष के सन् १९४९ से लेकर इस वर्ष तक के कितने हैं ?

(ग) इन मामलों का अभी तक तय न होने का क्या कारण है ?

(घ) क्या उपरोक्त मामलों के सम्बन्धी जरूरी कागजात खो गये हैं ?

(ङ) क्या उपरोक्त मामले तय होने से पहले प्रोवीज़नल पेन्शन देने के लिए सरकार तैयार है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—(क) सिरोही जिले के रिटायर्ड कर्मचारियों के ९१ पेन्शन केसेज़ अभी पेन्डिंग हैं।

(ख) ये पेन्डिंग केसेज़ निम्नलिखित समय के हैं :—

समय	संख्या
अप्रेल १९४९ से पूर्व के	२
सन् ४९–५०	६
सन ५०–५१	११
सन् ५१–५२	१७
सन् ५२–५३	२४
सन् ५३–५४	१०
	९१

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(ग) सब केसेज़ में सर्विस रेकॉर्ड उपलब्ध न होना ही देरी का मुख्य कारण है ।

(घ) इस विषय में पूछताछ हो रही है।

(ङ) उपरोक्त ६३ मामलों में से ३० में एन्टीसिपेटरी पेन्शन (anticipatory pension) स्वीकृत कर दी गई है। २४ में एकाउन्टेन्ट जनरल से फाइनल वेरिफिकेशन हो गया है और विभागीय मन्जूरी भी दी जा रही है। बाकी ३६ केसेज़ में वेरीफिकेशन हो रहा है।

श्री जवानसिंह—मुझे (घ) का जवाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—(अश्रव्य)

श्री टीकाराम पालीवाल—इस विषय में पूछताछ की जा रही है।

श्री जवानसिंह—मेरा प्रश्न यह है कि पेन्शन के केसेज़ खो गये हैं सरकार के पास, ऐसा कोई रजिस्टर हो चुका है।

श्री टीकाराम पालीवाल—जाँच की जा रही है मैंने यह कहा था।

श्री जवानसिंह—मैंने यह प्रश्न पूछा था कि क्या इस मामले में कोई मुकद्दमा रजिस्टर हो चुका है। जाँच उसके बाद में हो सकती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अभी यह जाँच की जा रही है कि यह मुकद्दमा बनाने के लायक केस है या नहीं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—पेन्शन की प्रतीक्षा करते-करते पेन्शनर्स मर चुके हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सरकार की जानकारी में ऐसे कोई आँकड़े हैं नहीं।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय तक के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :—

१. राजा श्री मानसिंह—३१ जुलाई, १९५४ से १५ अगस्त, १९५४ तक।

२. श्री भैरूँसिंह (वि० स० १२)—दिनांक २ अगस्त से १३ अगस्त १९५४ तक।

[श्री अध्यक्ष]

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

श्री नरेन्द्रपालसिंह की भूख हड़ताल पर स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय द्वारा वक्तव्य देने सम्बन्धी

श्री हरिकृष्ण व्यास—A statement was promised today.

श्री अध्यक्ष—Yes, that will be done before we rise.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Immediately after the question-hour.

श्री अध्यक्ष—May be, but it can be done before we rise.

श्री हरिकृष्ण व्यास—All right.

श्री अध्यक्ष—He might be collecting information.

कुं॰ श्री जसवन्तसिंह—If a Minister has been pleased to say 'next morning' I think we should show this much courtesy.

श्री चन्दनमल वैद—It is not noon as yet.

श्री अध्यक्ष— Yes. Private Members' Business.

श्री एच. के. व्यास को सदन से निकालने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार प्रस्ताव-सम्बन्धी

कुं॰ श्री जसवन्तसिंह—Another question is this that I had moved a privilege motion sometime ago. I do hope that the time has arrived when I should be given an opportunity to hear what has happened to it.

श्री अध्यक्ष—Yes. २१ मई की घटना के बारे में मेरे पास माननीय सदस्य ने एक प्रिविलेज मोशन दिया और वह डिप्टी चेयरमेन जो उस वक्त यहाँ के चेयरमेन थे उनकी एक आज्ञा

[श्री अध्यक्ष]

के बारे में कि, जिसके द्वारा उन्होंने सदन के एक माननीय सदस्य को निष्कासित करने की आज्ञा दी, उसके बारे में था । इसमें उन्होंने यह प्रिविलेज मोशन उठाया है कि माननीय डिप्टी चेयरमेन को आज्ञा...........

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—डिप्टी स्पीकर ।

श्री अध्यक्ष—डिप्टी स्पीकर की आज्ञा से किसी तथाकथित सार्जेन्ट एट आर्म्स और उनके सहयोगियों ने बिना किसी अधिकार के इस सदन के माननीय सदस्य को बाहर निकाला । मैं उस प्रिविलेज मोशन को ही सदन के सामने पढ़ देता हूँ :—

"That this House do discuss the breach of privilege committed by the so-called Sargeant-at-Arms and the four Watch & Ward staff who not being regular members of the Assembly staff and the latter four, not even specifically having been ordered, were not entitled to enter the Assembly Chamber much less touch a member and who on the 21st instant did enter the Assembly Chamber and forcibly removed a Member H. K. Vyas and thus committed the breach of privilege of this House."

यह मोशन मेरे पास आया और इस सदन के जो सार्जेन्ट एट आर्म्स हैं उन्होंने मेरे सामने एक रिपोर्ट और की, वह यह है कि :

"On the 21st May, 1954, at about 8. 40 P. M. I had to remove Shri H. K. Vyas, M. L. A., from the House under the orders of the Chairman, Shri Deputy Speaker.

First of all, he was requested by me to vacate his Chair and to go out of the House to comply with the orders but on his refusal he was bodily lifted and removed out of the House. As I alone was unable to remove him and secondly the other Members who were sitting by the side of the said Member were prepared and had created obstructions in the execution of my duty by placing the chairs in the way; hence I had to call the following four Watch and Ward Officers:

One, Two, Three, Four."

On this an enquiry was made and he has indicated names on enquiry that the following Members were obstructing in the execution of the order given by the Dy. Chairman (Speaker).

[श्री अध्यक्ष]

(1) Shri Bhairon Singh (Khachariavas).

(2) Shri Muktilal Modi.

(3) Shri Mangal Singh Kachhwaha.

(4) Shri Santosh Singh Kachhwaha.

(5) Shri Gopilal Yadav.

मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जो २१ मई की कार्यवाही हुई, मैं चाहता था कि सदन जो है उसको रिओपन नहीं करे, लेकिन माननीय सदस्य ने अपना प्रिविलेज मोशन रखा और उसके लिए बराबर प्रेस करते रहे, तो मेरे लिये यह आवश्यक हो जाता है जैसी कि मैंने माननीय सदस्यों से बात-चीत की। यह सारा इस सदन के प्रतिष्ठा और परम्परा का सवाल है। सारे माननीय सदस्यों को जो भी कुछ हुआ है उसको भुला कर प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। सारे ट्रेज़री बेन्चेज़ और अपोजिशन के मैम्बर्स जो हैं उनसे अपील करता हूँ कि इस प्रश्न पर फिर से विचार करें वरना वे अगर चाहते हैं तो मैं कल अपना निर्णय दे दूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कौनसी तारीख को हुआ था ?

श्री अध्यक्ष—Immediately on the 24th both.

श्री भैरोंसिंह—एक बात मुझे पूछनी है कि इस इन्क्वायरी के समय में जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया था; उनसे पूछ-ताछ की गई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--This is a very grave question. If an order of the Chair is being defied on the floor of the House it is a contempt of the House and both these questions are so co-related that they cannot be separated. I do'nt want to hear any discussion on this point furthermore but will request the Hon'ble Members to confer themselves and arrive at a decision. My decision will be conveyed in its absence tomorrow on this privilege motion.

We come to the Private Members' Business and we have the Resolutions today. The first resolution by Shri Chandmal Mehta.

कु० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir, since a notice of a Privilege Motion has been given by me I feel that I owe a duty to this House and as far as I know I have never shirked my responsibility.

श्री अध्यक्ष–It does not matter. What is the point of order, you tell me ? No point of explanation.

कुं० श्री जसवन्तसिह—My point of order is this. Once a motion has been brought before the House I am not prepared to draw it back.

श्री अध्यक्ष—No motion could be moved unless it receives my consent. I shall have to see whether the motion is in order or not and before I apply my mind to this I give the Hon'ble Members one day more for consideration and if the Hon'ble Member arrives at a conclusion that he will press it, I will give my decision tomorrow. I am prepared to give my decision just now but still I consider that one day's time should be given more.

Resolution by Shri Chandmal Mehta.

शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार मिटाने के लिये एक समिति का निर्माण करने सम्बन्धी संकल्प

श्री चाँदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रथम संकल्प इस प्रकार है:—

"इस सदन की सम्मति है कि शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की योजना बनाने के लिये एक समिति का निर्माण कियाजावे।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार बनी है राजस्थान की सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। राजस्थान सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कानून बनाये गए हैं, कई महत्वपूर्ण योजनायें बनाई गई हैं, कई सुधार किये गये हैं, जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिये कई काम किये गये हैं। शिक्षा की दृष्टि से काफी तरक्की की गई है, स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी तरक्की की गई है, जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट पास किया गया है, कई भूमि सुधार कानून बनाये गये हैं या बनाये जा रहे हैं, जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत देने की कोशिश की गई है। मैं यह निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि इस थोड़े से समय में राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जो-जो काम किये हैं, शायद दूसरी कोई सरकार इतना ज्यादा काम करने में सफल नहीं हो सकती थी (विरोधी पक्ष से हियर-हियर)। फिर भी आज जनता में असन्तोष व्याप्त है और घोर निराशा है। इसका कारण क्या है ? इतना काम करने के बाद भी इतनी निराशा क्यों है ? मैं समझता हूँ, यह भ्रष्टाचार ही है जिसकी वजह से आज इतना असन्तोष है।

कुं० श्री जसवन्तसिह—क्या यह भी कांग्रेस सरकार द्वारा है ?

श्री चाँदमल मेहता—कांग्रेस सरकार द्वारा नहीं है। कांग्रेस सरकार तो इसको दूर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का सदस्य ही इस प्रस्ताव को रख रहा है, विरोधी पक्ष के नेता को यह बात मालूम होनी चाहिये।

आज तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जो कार्य किया है उससे जनता को जो राहत मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल पाई और आज स्थिति यह हो रही है कि कानून पैसों के बल पर बिक रहा है। यदि कोई आदमी साधारण-सा प्रार्थना-पत्र पेश करना चाहे तो उसे पहले चौकीदार से हाथ

[श्री चाँदमल मेहता]

मिलाना होगा। जब तक देने लेने की बात न करले तब तक आगे की मंजिल तक पहुँचना मुश्किल है। यदि आगे पहुँच भी जाता है तो आगे नोट बनाने वाले बाबू की सेवा करनी पड़ेगी और आगे आने हक में फैसला कराना है तो बड़े-बड़े देवताओं को मनाना पड़ेगा। मुझे एक बात याद आती है। मुगलों के समय में जब मरहठे छापे मारते थे तब एक चीज चलती थी, जिसे चौथान कहते थे। जहाँ से चौथान मरहठों को मिल जाती थी वहाँ पर छापे नहीं मारते थे और जहाँसे नहीं मिलती थी वहाँ पर छापे मारे जाते थे। आज यहाँ की भी स्थिति यही है। मैं शासन की आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिये कह रहा हूँ कि बड़े से बड़े काम को हाथ में लिया है तो इस काम को भी लें। बड़ा काम यदि कोई पार्टी कर सकती है तो कांग्रेस ही कर सकती है, कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। अधिकारियों से रिश्वत के बल पर जैसा चाहे काम कराया जा सकता है। ऐसे रिश्वतखोर अफसर गैर वाजिब हुक्म देने पर भी उच्चाधिकारियों को माहवारी चौथान की रकम देकर निष्कंटक हो जाते हैं और उनके खिलाफ शिकायत सुनने वाला कोई नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक आजकल रिश्वत देकर काम कराने का सवाल है वहाँ तक बड़े से बड़ा काम कराया जा सकता है। यदि सरकारी रेकॉर्ड को तब्दील कराना है तो तब्दील कराया जा सकता है, (हियर-हियर) कागज़ गुम कराने हैं तो गुम कराये जा सकते हैं, यदि किसी की फाइल उड़ानी है तो उड़ाई जा सकती है व अगर मकान पर फाइल मंगानी है तो मंगाई जा सकती है (हियर-हियर)। किसी को पनिशमेंट मिलना चाहिये तो, मैं समझता हूं, चौथान की वजह से नहीं मिल पाता है। अध्यक्ष महोदय, आज हम बड़े से बड़े डिपार्टमेंट की तरफ नजर डालें तो यह कहना पड़ेगा कि इस भ्रष्टाचार रूपी रोग से कोई डिपार्टमेंट मुक्त नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि यह रोग इतना घर कर गया है कि अधिकारियों को अनाधिकार काम करने की खुली छूट मिल गई है। यदि अधिकारियों को मनमानी करने के विरोध में कुछ कहा जाता है तो कहते हैं कि आगे अपील करो और अपील करने में सम्बन्धित व्यक्ति को कितनी परेशानी होती है, यह प्रत्येक आदमी मानता है। परेशानियों से बचने के लिये वह रिश्वतखोरों की शरण लेता है और इस तरह से यह सिलसिला ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है।

जहाँ तक जमीन काश्त करने व काश्तकार के हक का प्रश्न है इस सम्बन्ध में आज बहुत अच्छी स्थिति है, मैं समझता हूँ और कह सकता हूँ कि इस सम्बन्ध में अच्छे से अच्छे कानून बने हैं लेकिन कानून बनने के बाद राहत मिलनी चाहिये जो मिलती नहीं है। सेटिलमेंट है, वहाँ ऐसे अधिकारियों के हाथ में सारे अधिकार छोड़ दिये जाते हैं जो पर्चे तकसीम करते हैं, जिनका नाम चाहे उनका दर्ज कर लेते हैं, जिनसे जमीन छीनना चाहें छीन लेते हैं (हियर-हियर)। मुझे जिस क्षेत्र का अनुभव है उस क्षेत्र में उजरदारियाँ जब करते हैं तो मिसलें फाड़ दी जाती हैं। जब किन्हीं उजरदारियों को डिस्पोज़ आफ करने आते हैं तो पार्टीज़ को सूचना तक नहीं दी जाती है और एक्सपार्टी फैसला कर देते हैं। तार चिट्ठियें इस तरह की आ रही हैं। ऐसे काम के लिये ऐसे व्यक्तियों को मुकर्रर किया जाता है जो साधारण व्यक्तियों से भी वगैर चौथान लिये बात नहीं करते। ऐसे आदमी आज भी

[श्री चाँदमल मेहता]

मौजूद हैं जिन्होंने पहले रूपनगर में इस तरह का काम स्वच्छन्दतापूर्वक किया और अब उनको कह दिया गया कि रूपनगर में तो बहुत काम कर लिया, अब किशनगढ़ चले जाओ वहाँ तुम्हारे लिये जगह खुली है।

तो यह इस विभाग की बात हुई। मैं तो यह कहूँगा कि अगर सारे विभागों के बारे में चर्चा की जाय तो इस प्रश्न पर ही सारा वक्त लग जायगा। इसलिये मैं सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में न कह कर, थोड़े ही डिपार्टमेंट्स की बातें बता कर फिर दूसरे पहलू पर निवेदन करूंगा।

अब मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा पुलिस विभाग के बारे में, जिसके लिये यह कहा जा सकता है कि पुलिस जनता की हिफाजत के लिये, जनता की रक्षा और हित के लिये है, और सरकार करोड़ों रुपया इस विभाग पर खर्च करती है। पर, जहाँ तक मैंने इस विभाग के बारे में स्टडी किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह विभाग भ्रष्टाचार की दौड़ में सब विभागों से आगे बढ़ गया है और सब विभाग इस भ्रष्टाचार की दौड़ में पुलिस विभाग से पीछे रह गये हैं। इस विभाग के अफसरों में यह भावना घर किये हुए है कि नीचे के अधिकारी चाहे कैसे भी काम करें उनके कामों पर बड़े अफसरों द्वारा मोहर छाप लगा दी जाती है; चाहे जनता पिस जाय, बर्बाद हो जाय, जनता का गला घोंट दिया जाय, पर वे अफसर इस विभाग के कर्मचारियों की बात रखते हैं। एक बड़े अफसर के लिये यह कहा जाता है कि साहब, ये किसी के पेट पर लात नहीं मारते, बहुत ही अच्छे हैं चाहे उन्होंने जनता का गला ही घोंट दिया हो, चाहे फर्जी मुकदमे बनाये जा सकते हों, निरपराधियों को फँसाया जा सकता हो, अपराधियों को छोड़ा जा सकता हो, चोरी और डाके डलवा कर अपना हिस्सा ले सकते हों, पर अपने विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कुछ न करके उनको बात ही रखी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पुलिस विभाग के बारे में एक छोटी-सी मिसाल रखे बगैर नहीं रहूँगा जिसमें एड़ी से लेकर चोटी तक के अफसर इन्वोल्व्ड हैं। किशनगढ़ में मंडावा नामक एक ग्राम है। उक्त ग्राम में पिछले श्रावण महीने में एक किसान ने मक्का बोई। ५०–६० बीघा मक्का थी जिसमें पाँच छः गाड़ी मक्का हुई। भादवे के महीने में उस किसान ने मक्का काट ली और पौष के महिने में कुछ लोग सोचते हैं कि "जिसकी लाठी उसकी भैंस" है, ५-६ गाड़ी मक्का है, क्यों नहीं इसे ले लिया जाय, पर उस गांव में तो किसी की हिम्मत हो नहीं सकती थी। पर क्या किराये की गाडी, किराये के आदमी और किराये के लठैत नहीं मिलते? मदन गंज से किराये के लठैत, किराये की गाड़ियाँ और पूरी सामग्री इकट्ठा करके पौष के महीने में उस गांव में पहुँच जाते हैं। वह मक्का लकड़ी के बल से हटा कर ले जाते हैं। किसान शिकायत करता है कि जागीरदार और दूसरे आदमियों ने मिल कर मेरी गाढ़े पसीने की कमाई को, मेरे पैदा किए हुए अनाज को उठा कर ले गये हैं, पुलिस को रिपोर्ट करता है परन्तु किसान जिसकी कि मक्का लूट ली गई उसकी सुनवाई नहीं होती है। उसके साथ न्याय नहीं। बल्कि चौथान जो देता है उसके साथ न्याय है। पुलिस के अधिकारियों ने उस केस का चालान नहीं किया। इस मामले के बारे में असेम्बली में प्रश्न पूछे गये और प्रश्नों के उत्तर में गोल-माल करने पर इस सदन में कट

[श्री चाँदमल मेहता]

मोशन पेश किया गया । मैं माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस मामले की जाँच के लिये विशेष अफसर को भेजा । पर जाँच के बाद पता चला है कि वहाँ किसान के पक्ष में और पुलिस के खिलाफ में रिपोर्ट आती है और इस इन्क्वायरी का रिज़ल्ट और ही आता है जो कि बिल्कुल पुलिस के खिलाफ पड़ता है । तो आई.जी.पी. यहाँ से टेलीफोन करते हैं और यहाँ से सूचना देते हैं कि उस किसान पर झूंठी रिपोर्ट करने का मुकदमा चलाओ ताकि आइन्दा ऐसा मौका नहीं आए कि असेम्बली में पुलिस के खिलाफ कोई प्रश्न उठा सके । फिर इसके लिये असेम्बली में प्रश्न उठाया जाता है । पहली रिपोर्ट को बदला जा सकता है कि नहीं, फिर दूसरे आदमी को जाँच के लिये भेजा जाता है, अब दूसरे आदमी की जाँच की रिपोर्ट क्या चलने पायेगी ? जहाँ किसान के घर से मक्का गई, वहाँ डीवाई. एस. पी. और दूसरे पुलिस के अधिकारी उस किसान के पास पहुँचते हैं और उसको कहते हैं आधा अनाज ले लो, ३/४ (तीन चौथाई) अनाज ले लो और राजीनामा कर लो, पर वह किसान इस बात पर राजी नहीं होता है । तो फिर उसको दबाने के लिये उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, आई.जी.पी. जैसा अफसर मुकदमा चलाने का हुक्म देता है । एड़ी से चोटी तक के अफसरों में इस तरह उस किसान को परेशान करने की भावना रहे तो पक्का कांग्रेसी होते हुए भी मेरी भावना यह होती है कि ऐसे लोगों को निकाल दें, (विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि) और एड़ी से चोटी के जो अफसर इसके लिये जिम्मेदार हैं उनको, सब को निकाल दें और आइन्दा के लिये ऐसी व्यवस्था करें कि ऐसा मौका ही नहीं आये । (विरोधी पक्ष की ओर से करतलध्वनि)

कुं० श्री जसवन्तसिंह (विरोधी पक्ष के नेता)—हमारी तरफ चले आइये ।

श्री चाँदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर, सप्लाई के मुतल्लिक कहना चाहता हूँ । सप्लाई के मुतल्लिक प्रश्नोत्तर का मौका आया तो बताया गया कि ५३-५४ में जो सिक्योरिटीज़ की रकम जमा थी उनमें से इस साल के अन्त तक १० लाख रुपये लौटाए गए हैं, जनता की ३० लाख की रकम अमानत के तौर पर अभी भी जमा है । उसको लौटाने का सवाल अभी तक विचाराधीन है जब कि सप्लाई विभाग खत्म होने को जा रहा है ।

कहने को कहा जाता है कि हमारे उनमें ड्यू है इसलिये वह रुपया नहीं दिया गया और कहा जाता है कि वे लोग लेने नहीं आते, उनके एकाउन्ट्स क्लीयर नहीं करवाते इसलिये नहीं दिया गया । आज पैसे का तोड़ा है, कोई भी व्योपारी ऐसे समय में ऐसी गलती नहीं कर सकता कि एका- उन्ट क्लियर करके अपना रुपया नहीं ले, पर दरअसल इसके पीछे वही बातें छिपी हुई हैं जो मैंने पहले कही थीं ।

अब मैं सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर सदन का ध्यान खींचता, पर इस पर बहुत समय लगेगा इस लिये इस पर जो अलग प्रश्न रखा हुआ है उस पर मौका आयगा तब बोलूँगा ।

श्री अध्यक्ष—उसका शायद नम्बर नहीं आये, अभी बोल दीजिये ।

श्री चाँदमल मेहता–(जारी) तो मैं यह पसन्द करूंगा कि इस विभाग पर भी एक-दो शब्द कह दूं। आज इस विभाग पर बहुत काफी रुपया खर्च किया जा रहा है, जगह-जगह सड़कों पर भी बहुत रुपया खर्च किया जा रहा है। हमारा यह देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ वर्षा की कमी रहती है। इस लिये ज्यादा से ज्यादा पैसा सिंचाई के साधनों को बढ़ाने पर खर्च किया जाय उतना ही अच्छा है चाहे जनता पर टैक्स लगा कर, चाहे भारत सरकार से लोन लिया जाय, चाहे जनता से लोन लिया जाय, येन केन प्रकारेण पैसे लिये जाकर सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिये पैसे खर्च किये जाते हैं। इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। पर मुझे खेद है कि इस धन–राशि में से ५० प्रतिशत भी इन कामों पर खर्च नहीं होता, वह बीच में ही खत्म हो जाता है। मेरे पुराने और नये क्षेत्र के एक-एक गांव में घूम-घूम कर वहाँ के तालाबों, सड़कों और कूओं आदि को देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इस जनता के पैसे का, सरकार के पैसे का, क्या उपयोग होता है? मेरी भी जवाबदारी है, मैं भी जनता के ट्रस्टी के रूप में यहाँ इस सदन में हूँ, इसलिये असेम्बली में मैंने इस सम्बन्ध में सवाल उठाये हैं।

मैंने सिंचाई विभाग द्वारा किए गए खर्चों के सम्बन्ध में समय-समय पर सवाल उठाए हैं और उन कामों को मौके पर भी जाकर देखा भी है। मैं एक खास प्रश्न के जवाब की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

मैंने सरवाड़ के खारिया और गोविन्द सागर तालाब पर किए गए खर्च व आबपाशी के सम्बन्ध में प्रश्न किया था। उसका जवाब दिया गया कि ३७ हजार रुपया खर्च हुआ और एक हजार बीघा जमीन की पिछले वर्ष के मुकाबिले में अधिक सिंचाई की गई। वास्तव में देखा जाए तो सच्चाई तो यह है कि उसके पीछे एक हजार बीघा जमीन ही नहीं है। जब जमीन ही नहीं है तो सिंचाई कैसे हो? जितनी जमीन है उतनी ही तो सिंचाई हो सकती है। फिर भी जितनी जमीन है उतनी सिंचाई नहीं हुई। मैंने असलियत एक अन्य प्रश्न द्वारा जानने की कोशिश की, मगर किस ढंग से और किस तरह के जवाब लेकर असलियत को छुपाया गया इस तरह सरकारी पैसों का दुरुपयोग किस प्रकार हुआ है, यह आप खुद अन्दाजा लगा सकते हैं।

अभी-अभी मैंने सवाल खड़ा किया और पूछा था कि क्या यह सही है कि सरवाड़ के खारिया गोविन्द सागर तालाब में जो नहर नदी का पानी लाने के लिए निकलती है उसमें मिट्टी भरी होने से तालाब भरा नहीं गया और उसका जवाब यह दिया जाता है कि तालाब के नहीं भरने का कारण वर्षा का नहीं होना है, यह जवाब दिया जाता है कि वर्षा नहीं हुई; इससे यह प्रश्न ही नहीं उठता कि नहर में मिट्टी पड़ी हुई थी इसलिए तालाब में पानी नहीं आया। मगर वास्तव में चीज यह थी कि इस तालाब पर रुपया लगाया गया, यह सही है; मगर काम ठेकेदारों द्वारा इतना खराब हुआ कि ठेकेदार यह समझते थे कि यदि पानी इस तालाब में आ गया तो नया बना हुआ काम टूट जावेगा और उसकी सिक्योरिटी के रुपये जो सरकार में जमा हैं उसे वापिस नहीं मिलेंगे। इसलिए उसने कोशिश यह की कि तालाब में पानी नहीं भरे और इसी वजह से नहर की मिट्टी नहीं निकाली गई। मैं यह कहूँगा कि ३५ हजार रुपयों में इसका ठेका दिया गया, एक ठेकेदार ने काम लिया और उस ठेकेदार

[श्री चाँदमल मेहता]

ने आगे उसी काम को किसी से मिल कर दूसरे को दे दिया। ३५ हजार में तो उसने ठेका लिया था और उसने दूसरे को आधे में ठेका दे दिया। १७।। हजार रुपये का तो उसको फायदा हो गया। इस प्रकार इस ३७ हजार में से २० हजार से ज्यादा रुपया वेस्ट हुआ। यह एक तालाब का हाल है। इस प्रकार वहाँ के सारे तालाबों की चर्चा करें तो बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियें मिलेंगीं। अगर किशनगढ़ की एक एक तहसील के एक एक तालाब की बात बताई जावे तो बहुत होगी। मैं उन सबका जिक्र यहाँ पर नहीं करके खासतौर से सरवाड़ के एक और तालाब की बात ही कहूँगा कि वहाँ बांकेसागर नामक तालाब से सूरज कुण्ड नाम के तालाब को प्रति वर्ष पानी दिया जाता है। सूरजकुण्ड में मवेशी पानी पीते हैं और जनता नहाती है। इस तालाब की वजह से कूओं में पानी भरा रहता है। गत वर्ष कुछ किसानों ने सूरज कुण्ड को पानी देने पर ऐतराज किया। इस पर सरकार ने इस तालाब को Extend कराने में १५०००) रु० खर्च किए जिससे सूरज कुण्ड को बराबर पानी मिलता रहे और बांकेसागर से सिंचाई भी हो सके। चीफ इन्जीनियर की आज्ञा होते हुए भी इस वर्ष सूरजकुण्ड को पानी नहीं दिया गया और जिस मकसद से १५ हजार रुपये खर्च हुए वह एक तरह से बेकार गए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अरांई तहसील का दिग्दर्शन कराऊंगा, मैं हनुमान सागर तालाब की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इस पर सन् ५३-५४ में ५ हजार से ज्यादा रुपया खर्च किया गया था। मैंने इस सम्बन्ध में एसेम्बली में प्रश्न पूछ कर कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की और एसेम्बली में अभी आने से पहले कुछ मौके की भी जानकारी हासिल करके आया हूँ। जो जानकारी मैंने हासिल की है उससे पता लगता है कि उस तालाब के पीछे नहरी २० बीघा जमीन है और इससे ज्यादा जमीन उसके पीछे नहीं है। अगर इससे ज्यादा जमीन है तो वह बेरों की हो सकती है। बेरे वालों को फायदा पहुँचाने के लिए इस पर ५ हजार रुपये की रकम लगी थी। जिस दादिया ग्राम में तालाब हनुमान सागर है उसी ग्राम में एक अन्य तालाब घन सागर है जिसके पीछे १००० बीघा जमीन है। उसका Feeder तक तैयार नहीं कराया गया, जिससे पानी तालाब में न आकर रास्ते में ही रुक जाता है और घनसागर के पीछे की जमीन बिना सिंचाई रह गई।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे और निवेदन करूंगा कि जब तालाबों में मिट्टी खोदने का मौका आता है तो ठेकेदार लोग क्या चालाकी करते हैं। अमूमन मिट्टी अन्दर से खोदी जाती है और अन्दर से खोदी जाती है तो १६) रुपया हजार क्यूबिक फीट के होते हैं और बाहर से खोदी जाती है तो २०) रु० हजार क्यूबिक फिट के होते हैं। ठेकेदार बजाय अन्दर के खुदाई कराने के बाहर से करा लेते हैं। देखा जावे तो खुदाई बाहर से नहीं हुआ करती, अन्दर से ही हुआ करती है। लेकिन ठेकेदार बाहर से मिट्टी की खुदाई करवाते हैं और २०) रुपये के हिसाब से ले लेते हैं। इससे जो जनता को फायदा मिलना चाहिये था नहीं मिल सकता। एक तरफ तालाब की खुदाई नहीं होती है और दूसरी तरफ अधिक खर्चा होती है।

इस सारी स्थिति से मैं यह कह सकता हूँ कि किशनगढ़ की अरांई और सरवाड़ तहसील के तालाबों पर सन् ५३-५४ के वर्ष में जो १ लाख ७० हजार रुपया खर्च के हुए बताए जाते हैं

[श्री चाँदमल मेहता]

अगर वास्तव में इसकी जाँच करके पता लगाया जावे तो बहुत कम रुपया खर्च हुआ है। मैंने एक प्रश्न के उत्तर के वक्त कहा था कि क्या सरकार इसकी जाँच करने के लिए तैयार है कि इतना रुपया खर्च हुआ। मैं आज भी कह सकता हूँ कि १ लाख ७० हजार रुपया जो खर्च हुए उसमें से सिर्फ ७० हजार से ज्यादा रुपया इन कामों में खर्च नहीं किया गया। एक लाख रुपया ठेकेदार आदि ने गड़बड़ कर दिया। तो एक लाख रुपये की गड़बड़ हुई।

अब मैं पी. डब्ल्यू. डी के बारे में कुछ अर्ज करूंगा। सड़कों पर जो कुछ रुपया लगाया गया वह जितना लगाना चाहिए नहीं लगा। अगर इसकी जाँच करायें तो आपको मालूम होगा कि कितनी सड़कों की मरम्मतें हुई हैं और उन पर कितनी मिट्टी किन-किन सड़कों पर डाली गई है और आपको पता लग सकता है कि कितने रुपयों का उपयोग हुआ और कितने रुपये वेस्ट गये ? ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार रूपी रोग हमारे यहाँ बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। आगे चलकर इसका क्या असर होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।

आज हमारा देश हिन्दुस्तान अपने निर्माण के लिए आगे बढ़ रहा है और इसी दृष्टि से राजस्थान भी आगे बढ़ रहा है। आज राष्ट्र के निर्माण के लिए श्रमदान व ऋण की माँग की जाती है। राजस्थान सरकार की तरफ से भी ऋण व श्रमदान के लिए माँग की गई, लेकिन मिला क्या ? जो कुछ मिला वह नहीं के बराबर है। कांग्रेस सरकार ने बहुत महत्त्वपूर्ण काम किये हैं। कांग्रेस सरकार ने जो काम किये कभी कोई नहीं कर सकता है। मगर फिर भी क्या कारण है कि उसी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार की आवाज पर आज इतना कम पैसा राष्ट्रीय निर्माण के लिए आता है ? इतना क्यों कम श्रम मिलता है ? इसका एक मात्र यही कारण है कि भ्रष्टाचार का बोल-बाला है और इसी दृष्टि से जितना सहयोग मिलना चाहिये उतना नहीं मिल रहा है।

राजस्थान में धनीमानी आदमियों की कमी नहीं। राजस्थान के धनीमानी आज हिन्दुस्तान के कोने-कोने में बसे हुए हैं और व्यापार करते हैं। पुरानी रकम जो सिक्योरिटीज़ के रूप में रसद विभाग में अमानत जमा हैं वह भी नहीं लौटाई गई हैं। इसलिये धनीमानी व्यापारियों का ऋण देने के सम्बन्ध में सरकार का विश्वास नहीं रहा है। अब तो यदि कोई ऋण देता है तो दान समझकर देता है। दान उसी को दिया जाता है जो दान का पात्र हो। अगर आज कांग्रेस की आवाज पर किसी को पैसा मिलता है तो वह इस बात पर मिलता है कि आज कांग्रेस की सरकार है और इस कारण लोगों पर सरकार का प्रभाव है। अगर यह कहा जावे कि आप अपनी मर्जी से रुपया दें, सरकार का कोई आदेश नहीं तो बहुत मुश्किल है। सरकार यह चाहे कि पब्लिक की सरकार है, पब्लिक को पैसा देना चाहिए, सरकार मजबूर नहीं कर रही है, तो मैं यह कहूँगा कि कोई पैसा नहीं देगा। इसका कारण भ्रष्टाचार है और अगर भ्रष्टाचार नहीं हो तो बहुत पैसा मिल सकता है। पहले जमाने में लोग श्रमदान दिया करते थे और श्रमदान के पीछे बड़ी-बड़ी कहानियें कही जा सकती हैं। लोगों ने श्रमदान के जरिये से नदियों के रुख तक बदल दिये, यह किसी से छिपा नहीं है।

[श्री चाँदमल मेहता]

लेकिन आज श्रमदान की जो माँग की जाती है तो जनता सोचती है कि सरकार सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई के लिए जो काम करती है उसमें कितने पैसों का अपव्यय होता है और फिर आखिर हमारा श्रम बेकार क्यों किया जाय इसलिए सहयोग नहीं मिलता है, टूटा-फूटा श्रम मिलता है। यह मैं मानता हूँ। वह भी उस हालत में मिलता है जैसे कि हमारे मारवाड़ में पीने के पानी की कमी है। पीने के पानी के लिए, नाली या तालाब, कुए खोदने के लिए श्रमदान होता है और प्रत्येक आदमी के लिए एक की चोकड़ी हुआ करती है जो साल भर तक काम करते ही रहते हैं। बिना श्रमदान के भी काम हुआ करते ही हैं। किन्तु यदि आप सही माने में सोचें और तसल्ली से सोचें तो आपको मालूम होगा कि श्रमदान के लिए जो सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है और इसकी तह में है भ्रष्टाचार।

श्री किशनलाल शाह—माननीय अध्यक्ष महोदय,......

श्री अध्यक्ष—पाँच मिनिट और हैं आपके।

श्री चाँदमल मेहता—मेरे पाँच मिनिट और हैं तो मै और कहूँगा।

श्री किशनलाल शाह—मैं दो एक बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—आप बोलें तब ही बता दीजियेगा।

श्री किशनलाल शाह—दो एक बातें हैं जिनको मैं बीच ही में स्पष्ट करना चाहता हूँ।

उन्होंने पहली बात कही है भ्रष्टाचार के लिए......

श्री चाँदमल मेहता—मैं समझता हूँ कि हर एक सदस्य को बोलने का हक है और जब उनको रिप्लाई देने का मौका आवे तब दे दें।

श्री अध्यक्ष—You should please go on.

श्री चाँदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसी कोई और तजवीज नहीं है, सिवाय इसके कि एक 'एन्टी करप्शन बोर्ड' बना हुआ है। उसमें भी होता क्या है कि यदि किसी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पेश करें तो वे फिर उनको पकड़े, इसके सिवाय कुछ नहीं, आप स्वयम् सोच सकते है और मैं समझता हूँ कि आखिर रिश्वत लेने वाला कोई बेवकूफ थोड़े ही होता है। वे पढ़े-लिखे हुए लोग होते हैं। उनके एजेन्टस होते हैं और वे उन एजेन्टों के जरिये रिश्वत लेते हैं और उनकी रकम कोई बैंकों में थोड़े ही जमा होती है, वह जमा होती है उनके एजेन्टों के पास।

३६५२ शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक समिति का निर्माण करने संबन्धी संकल्प

[श्री चांदमल मेहता]

(विपक्ष की ओर से हियर-हियर)

और इसलिये यह व्यवस्था सफल नहीं हो सकती है। मैं यह भी कह सकता हूं कि एन्टी करप्शन बोर्ड के सिलसिले में प्रश्न पूछा गया तो पता चला कि किसी भी गजेटेड ओफिसर का मौका नहीं आया कि जिसको सजा मिली हो।

मैं अर्ज करूंगा कि बहुत सारी बातें है इस रिश्वतखोरी के बारे में। आप एक ओवरसीयर को ही ले लीजिये। जिस ओवरसीयर को ८०) रुपया तनख्वाह मिलती है उसके पास चढ़ने के लिए मोटरें और उसका स्टेन्डर्ड भी ऊंचा। ८०) रुपये मिलने वाले ओवरसीयर ने बड़ी-बड़ी जायदादें बना लीं, बैंकों में रुपये भी जमा करा लिया और बैठने के लिए मोटरें भी। तो सरकार का इस ओर ध्यान क्यों नहीं है?

मैं तो आपको कहूँगा कि यह होता है हमारे कानून और कायदों के बने होने पर भी। और इन कानून और कायदों ने भ्रष्टाचार में कोई बाधा नहीं डाली। जो शहर की जनता है उसको वेजिटेबल घी खाना पड़ता है। हमारे यहां कानून बना हुआ है कि वेजिटेबल घी यहां नहीं आ सकता किन्तु और हम सब देखते हैं कि शहर की ६५ प्रतिशत जनता को इस वेजिटेबल घी का उपयोग करना पड़ता है। जनता की ही क्या बात, गवर्नमेंट होस्टल में जहाँ कि राजस्थान का निर्माण करने वाले, ऊंचे दिमाग वाले, विधान सभा के सदस्य रहते हैं, बावजूद कितने ही कहने के प्योर घी प्राप्त नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि उदयपुर में एक व्यवस्था है और वह व्यवस्था है चौकियों की। चौकियों की हद से सुरक्षित निकलने के लिए वहां चौकी का पैसा देना पड़ता है, यदि पैसा दे दिया जाता है तो वे वहां से सुरक्षित निकाल देते हैं। इसी तरह से आज भी यह व्यवस्था है कि कस्टम की हद में पैसे दे देते हैं और उनकी जब चौकी चुंगी पूरी हो गई होती है तो वे उस हद से निकाल दिये जाते हैं। कहा यह जाता है कि इतने केसेज़ पकड़े गये। मैं कहता हूँ कि जिनको सजा हुई वे तो पांव में पूनी हैं।

आपका मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा रोग फैल गया है, यह एक बड़ा फोड़ा है और एक बड़ा रोग है जो कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इस रोग के लिए मेजर ओपरेशन की जरूरत है।

(विपक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

इस मेजर ओपरेशन के लिए कई आदमियों की सलाह मशिवरा की आवश्यकता होगी। इस मेजर ओपरेशन के लिए, सलाह मशिवरा के लिए एक समिति का निर्माण किया जाय जो सरकार की मदद करे और इस भ्रष्टाचार रूपी रोग को निकाल बाहर करे।

[श्री चाँदमल मेहता]

मेरे दिमाग में ऐसी कोई भावना नहीं है कि सरकार के मार्ग में अड़चन डालूं। मैं समझता हूँ कि आज की सरकार से दूसरी सरकार अच्छी नहीं हो सकती। मैं मान सकता हूँ कि हमारी सरकार का कई महत्वपूर्ण कार्यों की ओर ध्यान रहा है। तो, उनके काम को हल्का करने के लिए, उसे बांटने के लिए ही मैंने एक समिति के निर्माण करने का प्रस्ताव रखा है। मैं मानता हूँ कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोक्तिलाल मोदी—क्या मिनिस्टर बनने के लिए यह भाषण दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—No, I will rather request the Hon'ble Member not to cast personal aspersions on each other. That is not the dignity of the House.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, आज मैं समझता हूँ कि सदन में जितने माननीय सदस्य हैं उन सबको बड़ी खुशी और प्रसन्नता हुई होगी। हम तो यह समझ बैठे थे कि गांधीजी के बाद सिवाय पं० नेहरू के और कोई सच्चा कांग्रेसी भारतवर्ष में शायद नहीं होगा, किन्तु राजस्थान को यह गौरव का स्थान प्राप्त होगया है कि जहां एक सच्चा कांग्रेसी हिम्मत करके इस सदन के सामने पेश हुआ है। मैं मानता हूँ कि हमारी सरकार की बहुत बड़ी-बड़ी कार्यवाहियां हुई हैं, एचीवमेंटस हुए हैं, और वे एचीवमेंट्स आज इस सदन को और राजस्थान के निवासियों को मालूम नहीं होते अगर एक सच्चा कांग्रेसी सदन के सामने न आता। जिस प्रकार महात्मा गांधी निडर एवं सच्चे कांग्रेसी थे और उन्होंने अपनी आटोबायोग्राफी में बिल्कुल किसी प्रकार के डर के बगैर...

श्री अध्यक्ष—Come to the point rather than praising the Hon'ble Member.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I am coming to the point. I am not so clever that I can straightaway say my point without developing my arguments.

जिस प्रकार महात्मा गान्धी अपनी आटोबायोग्राफी में ऐसी बातें लिखने की हिम्मत कर सकते थे उसी प्रकार हमारे राजस्थान के लिए भी यह गौरव की बात है कि एक हमारे सच्चे कांग्रेसी ने कांग्रेस की बातें बतलायीं। हम लोग जो जो कांग्रेस में नहीं हैं उनको ऐसी गुप्त बातें मालूम नहीं हो सकती थीं। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि अगर चोर नहीं मिलता हो और यदि चोर का गुप्त पता जानना हो तो चोर की माँ को पकड़ो। उसी प्रकार हमारे काँग्रेसी साथियों की बातें जो कि कांग्रेसियों द्वारा नहीं बतायी जाती हैं, आज एक सच्चे काँग्रेसी ने सदन में खड़े होकर साफ बातें बतायीं हैं; इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और काँग्रेस की महान् संस्था को भी बधाई देता हूँ कि उनमें भी अभी तक सच्चे काँग्रेसी पाये जाते हैं। मुझे इस विषय पर कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे माननीय मित्र जो परबतसर से आये हैं और पहले किशनगढ़ से भी आये थे, उन्होंने जो

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

बातें बतायीं, उनको सुनकर मेरे ख्याल में क्या कांग्रेसी और क्या गैर कांग्रेसी कोई ऐसा सदस्य नहीं होगा जिसके कान खड़े नहीं हुए होंगे।

माननीय अध्यक्षजी, यह आज उनके लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है और उन्होंने बहुत बड़ा बोझा सिर पर उठाया है। लेकिन फिर भी वे बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सच्ची बातें सदन के सामने रखीं। मैं अपोजिशन की तरफ से युनेनिमसली, सिर्फ संयुक्त दल की ओर से ही नहीं, बल्कि अपोजिशन में जो अनअटैच्ड पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से भी, कहने का दावा कर सकता हूँ कि हम बड़ी खुशी के साथ जो प्रस्ताव एक कांग्रेसी सदस्य द्वारा सदन में रखा गया है उसका सहर्ष समर्थन करते हैं।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—बाहर वालों की तरफ से भी करियेगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—बाहर वालों की तरफ से भी करने का अधिकार है, चूंकि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने यह सुझाव दे दिया है। अतः मैं यह कहूँगा कि हमारे राजस्थान से बाहर जितने भी निवासी हैं राजस्थान के वे ऐसे प्रस्ताव के साथ सहानुभूति प्रगट करेंगे।

जो विषय और जो उदाहरण माननीय सदस्य ने इस सदन के सामने रखे हैं उनको सुनकर महान् आश्चर्य हुआ। यह तो सदैव से प्रतीत है कि कुछ न कुछ खामियाँ हैं, ऐसा कोई दुनिया में न व्यक्ति है न, समाज है और न कोई संस्था है जहाँ खामियाँ न हों, लेकिन हमको तो यहाँ तक मालुम नहीं था कि अन्दरूनी हाल यह है। बाहर तो दिखलाने को कुछ और है और अन्दरूनी और कुछ है और यह इतना बड़ा फोड़ा जिसके ओपरेशन के लिए माननीय सदस्य ने तजवीज की है, तो मैं तो यह कहूँगा कि इसके ओपरेशन के लिए सर्जन भी बहुत बड़ा चुनियेगा और जब कि हमारा मेडिकल डिपार्टमेन्ट जो कि एक महान् नेता के आधीन है तो उसका सर्जन भी बहुत बड़ा मिल सकता है ताकि जो फोड़ा बहुत बड़ा हो गया है उसका ओपरेशन भी वह सफलता के साथ कर सकेगा।

आपने जो उदाहरण बताये और जैसा कि हम रात-दिन सुनते आ रहे थे, किन्तु जिन पर विश्वास नहीं करते थे और चूंकि अब भी मुझे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में होने के नाते बहुत सी बातों के विश्वास के लिए सोचना पड़ता है। तो जो माननीय सदस्य ने कहा वह सच हो सकता है। जब कांग्रेसी सदस्य ने ही कहा कि हमारी संस्था में ऐसी खामियाँ हैं तो सिवाय विश्वास करने के हमारे पास और चारा ही क्या हो सकता है?

माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर ज्यादा न कह कर मैं विरोधी दल की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। विरोधी दल की तरफ से और माननीय सदस्यों की तरफ से मैं राज-

[कुँवर श्री जसवन्तसिंह]

स्थान सरकार और माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे और हमारे राजस्थान के भाइयों में जो बीत रही है जैसा कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने बताया उनको मिटा सकें तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने अपने भाषण में बहुत कुछ बताया, लाखों रुपया किस तरह से आफिसरों की जेब में जाते हैं, पोलिटीकल वर्कर्स की जेब में जाते हैं। किन्तु इसके साथ-साथ उन्होने एक बात की खामी रख दी। हम आशा करते हैं कि वे जवाब में यह बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यह रुपया जाता कहाँ है? जिस प्रकार हिम्मत करके उन्होंने अपने पार्टी के खोखलेपन, उसमें फैली हुई बीमारियों को, खामियों को बतलाया उसी प्रकार मैं आशा करता हूँ कि निडर होकर वे यह भी बतलायेंगे कि आखिरकार यह रुपया जाता कहाँ है, किस की जेब में जाता है? अगर वे यह बतायेंगे तो वे दुनिया के हित के साथ हमारे भारतवर्ष का हमारे प्रान्त का, बहुत हित करेंगे। इन बातों में हम उनको पूर्ण सहयोग और सहायता देंगे। इस पर मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं क्योंकि माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण भाषण दिया है कि उसके बाद कुछ भी कहने के लिए नहीं रहता।

अगर हमारी सरकार कांग्रेस ओनर को विन्डिकेट करना चाहती है, डरती नहीं है राजस्थान की जनता से तो हिम्मत के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार करे और एक ऐसी समिति का निर्माण करे जिसमें इस सदन के मेम्बरों को उसमें रखा जाये जो निडर होकर सरकार के ऊंचे से ऊंचे आफिसर से लेकर मंत्रियों तक और नीचे से नीचे के कर्मचारी के विषय में बगैर किसी डर के छानबीन कर सके। जिस प्रकार 'एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट' काम करता है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, उसके काम से किसी को सन्तोष नहीं हो सकता है। सरकार को उससे सन्तोष हो क्योंकि वह जिस प्रकार इशारा दे उसी प्रकार एन्टी करप्शन विभाग काम करता है। अगर सरकार अपने आपको सच्चे माने में जनहितकारी मानती हो तो उन्हें निडर होकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कराना चाहिये। इसके लिये सदन की समिति का फौरन निर्माण हो। जिसमें कांग्रेस की तरफ के और विरुद्ध दल यानि दोनों तरफ के सदस्य हों। माननीय सदस्य जो यह प्रस्ताव हमारी असेम्बली में लाये हैं उन्होंने यह प्रस्ताव लाकर न सिर्फ राजस्थान का ही भला किया है बल्कि हिन्दुस्तान सारा इससे शिक्षा ग्रहण करेगा। अगर हमारी राजस्थान की सरकार सच्चे माने में कांग्रेसी सरकार है और सच्ची बातों को छिपाने से डरती नहीं है तो उसको यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार करना चाहिये और उनको यह समिति बनानी चाहिये। उन्होंने जो गलतियाँ बताई हैं अगर उनको पकड़ेगी तो सच्चे माने में सरकार को श्रेय मिलेगा और वास्तव में जन हितकारी सरकार कहलायेगी। इन शब्दों के साथ में विरोधी पक्ष की तरफ से, विरोधी पक्ष में संयुक्त दल है और जो अन अटेच्ड मेम्बर हैं उनकी तरफ से भी, यह कहने की हिम्मत करता हूँ कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार कराने में सहर्ष समर्थन देंगे और साथ में सरकार से भी आशा करता हूँ कि वह भी निडर होकर अपने भेद खुलने के डर का ख्याल न करके इस प्रस्ताव को सहर्ष मन्जूर करेगी।

श्री नरेन्द्रपालसिंह की भूख हड़ताल पर स्वायत्त शासन मन्त्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—I think the Hon'ble Member was very impatient to hear the statement. I call the Hon'ble Member (Shri Ram Karan Joshi) to make the statement that he promised to do.

कुँ• श्री जसवन्तसिंह—अच्छी वार्ता चल रही थी......

श्री अध्यक्ष—This is also very important.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार सदन के सामने नाथद्वारे की भूखहड़ताल को लेकर कल 'स्थगन प्रस्ताव' पेश किया गया था उस पर मैं थोड़ासा प्रकाश डालना चाहता हूँ। पहले मैं इस बोर्ड के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस बोर्ड के इतिहास के बारे में भी कुछ बातें आपके सामने रख दूं। यह बोर्ड २८-५-५१ से पहले स्थापित हुआ था। इसकी जगह पहले पंचायत बोर्ड था, फिर यह म्युनिसिपल बोर्ड के रूप में परिवर्तित हुआ। २८-५-५१ को म्युनिसिपल बोर्ड बन जाने के बाद वहाँ के हरिजन स्टाफ ने मार्च सन् १९५२ में सबसे पहले नोटिस दिया और ४ अप्रेल, १९५२ को सबसे पहले हड़ताल करदी और वह हड़ताल ६-५-५२ को समाप्त हुई और १-७-५२ को दूसरी बार हड़ताल कर दी, २४-७-५२ को तीसरी हड़ताल शुरू हुई और वह हड़ताल २६-२-५३ को समाप्त हुई। १३-४-५३ को जो हड़ताल हुई वह १६-४-५३ तक जारी रही, १२-११-५३ को पाँचवी हड़ताल शुरू हुई और १४-११-५३ तक जारी रही। १७-४-५४ को मौजूदा हड़ताल छठी बार वहाँ के हरिजन कार्यकर्ताओं ने शुरू की। यह हड़तालें लोगों को बराबर परेशानी में डालती रहीं और बिना मतलब के होती रहीं। यह जो छठी बार हड़ताल वहाँ के कर्मचारियों ने की जो कि सर्विस टर्मीनेट कर देने के सिलसिले में की गई, इसका कोई नोटिस नहीं दिया गया और इस बारे में यह भी नहीं बताया गया कि किस वजह से हड़ताल की जा रही है और बिना नोटिस के हड़ताल करदी गई। हड़ताल करने का कारण सबसे पहले तीस तारीख को सामने आया। वह कारण यह था कि सन् ५३ में बोर्ड द्वारा हरिजन स्टाफ के वर्दियाँ बनाने का निर्णय किया गया और वर्दियाँ बनवाने के लिये टेन्डर कॉल किये गये और यह तय किया गया कि उनको वर्दियाँ दे दी जाँय। जैसा कि सन् ५३ में, जिसका कि जिक्र बराबर किया जाता है, वहाँ के कलेक्टर ने यह अवार्ड दिया, यह फैसला दिया, जिसका पालन बोर्ड नहीं करता है, इसलिये हड़ताल हुई है। उनका फैसला यह था कि हरिजन स्टाफ को म्युनिसिपल बोर्ड हर साल वर्दी देता रहेगा। चूंकि ५३ की समाप्ति नजदीक आ गई थी, उस वक्त यह तय किया गया कि वर्दियाँ बन नहीं सकतीं, इसलिये महिला कर्मचारी को वर्दी के बजाय ४) रुपये, और पुरुष वर्ग को ६) रुपये दे दिये जाँय और आयन्दा बराबर हर साल वर्दी देते रहेंगे। इस तरह से सन् ५३ की साल का पैसा दे दिया गया। सन ५४ जब आया तब भी उन्होंने यह मांग की कि हमें वर्दी के बजाय पैसा दे दिया जाय। माननीय अध्यक्ष, वर्दी के बजाय अलाउन्स दिया जाय, किसी भी जगह यह प्रथा चालू नहीं। जो प्रथा चालू नहीं है उसको यहाँ चालू किया जाय यह कैसे ठीक हो सकता है? वर्दी तो यूनिफोर्मिटी के लिये बनाई जाती है और इसी लिए दी जाती है। इसी वर्दी के बिना केवल वर्दी का अलाउन्स देने से यूनिफोर्मिटी नहीं रहती है। इसलिये इस तरह की मांग स्पष्ट रूप से तो वे सामने रख नहीं सकते थे। इस तरह बिना कोई मांग रक्खे ही म्युनिसिपैलिटी को नोटिस देकर १४ तारीख से हड़ताल करदी। नोटिस में

Page No.37

[श्री रामकरण जोशी]

यह गोल माल सा कह दिया गया कि हमारी जबानी बातचीत हुई थी, उसके आधार पर उसकी पूर्ति नहीं होने से हम इस वक्त हड़ताल पर जा रहे हैं। पर, दो–तीन दिन के बाद उनके यह बात समझ में आ गई कि इससे काम नहीं चलने वाला है। उन्होंने हड़ताल समाप्त करदी और यह लिखकर के भी दे दिया कि हम वर्दी ले लेंगे। वर्दी बनने की तयारी हो गई, पर वे फिर भी काम पर नहीं आये।

इस बात से यह प्रकट होता है कि किस प्रकार गुमराह आदमियों को मौके पर और गुमराह करके अपने-अपने नेतृत्व को बचाये रखने के लिए कोशिश की जाती है। एक ही नगरपालिका में साल में पाँच-पाँच, छः-छः बार हड़तालें करवा कर वहाँ की जनता और सरकार को यह बात दिखाने की कोशिश करना कि हम जब भी चाहें तब हड़ताल करवा सकते हैं और लोगों के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं; इस से बढ़ कर और कोई नजारा इसका नहीं हो सकती।

वहाँ की म्युनिसिपेलिटी को इस परेशानी की स्थिति में शहर की सफाई का इन्तजाम हर बार करना पड़ता था। इसलिये कि वह तो इन्तजाम होना चाहिये, क्योंकि इसमें तो देर की जा नहीं सकती, नहीं तो गन्दगी हो सकती है, लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। इसलिये ऐसे मामलों में इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि काम सफाई का बराबर चालू रहना चाहिये।

अब की बार भी शहर के नागरिये और हरिये बुलाये गये और जब-जब हड़ताल हुई ये बराबर बुलाये जाते रहे और जब उनका फैसला हो गया, उन्होंने काम पर आना स्वीकार कर लिया; तब-तब वे विदा कर दिये जाते थे।

अब की गर्मी की मौसम में जब कि शहर में हैजे का डर था, उन्होंने फिर ऐसे मौके पर हड़ताल कर दी। हमने समझाया कि ऐसे मौके पर कम से कम हड़ताल नहीं करनी चाहिये, ऐसे वक्त हड़ताल करना बहुत गैर वाजिब है और कोई भी आपको शिकायत हो तो हमसे कहिये, हम बात करने को तैयार हैं। वहां के एस.डी.ओ. और उदयपुर के कलेक्टर के सामने सारे मामले पर बहस हुई। २१ तारीख से पहले कलेक्टर खुद वहां गये और उनको बुलाकर बातचीत करनी चाही, पर वे बातचीत करने को पहुँचे नहीं और नतीजा इसका यह निकला कि उन्हें वापिस आना पड़ा।

अब सवाल सामने यह है कि नरेन्द्रपालसिंहजी ने भूख हड़ताल कर दी। मैं समझ नहीं पाया कि उनकी भूख हड़ताल का कारण क्या है? सरकार के पास इस किस्म की कोई सूचना उन्होंने आज तक नहीं दी कि मैं भूख हड़ताल करने जा रहा हूँ और इस वजह से करने जा रहा हूं, यह शिकायत है मुझे सरकार से या उसके किसी विभाग से और वह शिकायत भी ऐसी शिकायत है कि जिसके लिये सिवाय भूख हड़ताल करने के कोई और चारा नहीं है? ऐसी कोई सूचना उन्होंने सरकार को नहीं दी। इसके बजाय भूख-हड़ताल शुरू होने के बाद उनके प्राइवेट सेक्रेटरी का एक तार पहुँचता है जिसमें जिक्र था कि श्री नरेन्द्रपालसिंहजी ने 'हन्गर स्ट्राइक' कर दी है; इसलिए इसके बीच में आपको

[श्री रामकरण जोशी]

हस्तक्षेप करना चाहिए। हमारी समझ में नहीं आया कि अगर जैसे नरेन्द्रपालसिंहजी ने आज वहाँ भूख-हड़ताल की है वैसे राजस्थान भर में अलग-अलग जगहों पर और लोग भूख-हड़ताल करके बैठ जावें और यह न बतावें कि क्यों यह भूख हड़ताल की गई है तो सरकार के लिए यह कैसे सम्भव हो सकता है कि किस जगह दखलन्दाजी करनी चाहिए और किस जगह नहीं करनी चाहिए? यह फिर और भी आश्चर्य की बात है कि जब कि उनके सामने और अनेकों स्पष्ट रास्ते खुले हैं कि अगर कहीं भी ज्यादती किसी बोर्ड ने या उसके सदस्यों ने किसी के साथ की है तो उसका फैसला वे उससे ऊंचे अधिकारियों से मिलकर कर सकते हैं, वे तुर्त-पुर्त भूख हड़ताल करने पर आमादा हो जाते हैं। तो इस सीधे और सही रास्ते को छोड़कर भूख हड़ताल करने का मतलब यही समझ में आता है कि कोई उनके पास रीज़न्स नहीं हैं, ऐसे कोई उनके पास सही आग्युमेंट्स नहीं हैं कि जिससे वे अपनी हड़ताल को ठीक ठहरा सकें और भूख हड़ताल को सही कह सकें। उन्होंने चूंकि स्वयं इस मामले में कोई तथ्य नहीं देखा तो अपनी लीडरी बनाये रखने के लिए भूख हड़ताल का सहारा लिया। इससे मिलने-जुलने में रुकावट पैदा हुई और नतीजा यह निकला कि १७-४-५४ से हड़ताल की। लाचार होकर ७-५-५४ को बोर्ड ने सर्व सम्मति से यह फैसला किया कि इस हड़ताल का हमें कोई हल निकालना होगा और इससे होने वाली परेशानी से जनता को राहत देनी होगी। मुख्य सवाल यह है कि हमें अपने इन्तजाम का ठीक-ठीक प्रबन्ध करना चाहिये। बार बार की इस हड़ताल से लोगों को परेशानियां बढ़ती हैं और बीमारी का खतरा पैदा होता है। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि हड़ताल करने वालों को नोटिस दिया जाय और उस द्वारा यह कहा जाय कि आप तुरन्त अपने काम पर आ जाओ, वरना आपका सर्विसेज़ टर्मिनेट कर दी जावेंगीं इस प्रकार का नोटिस हरिजनों को दे दिया गया और कहा गया कि इसके देने के बाद २४ तारीख तक इन्तजार किया जावेगा; तब तक अगर वे काम पर नहीं आते हैं तो २४ तारीख के बाद सर्विसेज़ टर्मिनेट कर दी जावेंगी। उनका कोई जवाब नहीं मिला, कोई काम पर वापिस नहीं आये। तो अब उनकी सर्विसेज़ टर्मिनेट कर दी हैं। इसके बाद भी एक रास्ता उनके पास और था जिससे वे आगे उच्च अधिकारियों के पास एप्रोच हो सकते थे और यह कह सकते थे कि हमारे साथ ज्यादतियाँ की गई हैं या हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी सर्विसेज़ टर्मिनेट की गई हैं, कम से कम हमें बहाल फिर से किया जाना चाहिए. हमारी ये अमुक माँगें हैं वे पूरी की जानी चाहिए आदि आदि। पर, उन्होंने इस रास्ते को नहीं अपना कर गैर वाजिब रास्ता हड़ताल का पकड़ा। वे आज तक एप्रौच नहीं हुए सरकार को। यह जरूर है कि वे अपना मामला लेकर कलेक्टर महोदय के पास जरूर गए थे, पर कलेक्टर ने फैसला कर दिया कि यह विषय सरकार से ताल्लुक रखता है, यानि लेबर विभाग से ताल्लुक रखता है, कलेक्टर से नहीं रखता है, इसलिए उस विभाग में ऊपर जाकर सरकार से फैसला कराना चाहिए। पर वे सरकार के पास नहीं आये और यह रास्ता निकाला भूख हड़ताल का। तो मैं समझता हूँ कि इसमें वे कहाँ तक रीजनेबल है, उस पर सदन स्वयं विचार कर सकता है।

[श्री रामकरण जोशी]

अब सवाल यह है कि नरेन्द्रपालसिंहजी के खुद के स्वास्थ्य की क्या हालत है? नरेन्द्रपालसिंहजी ने २० तारीख से भूख हड़ताल शुरू की। पर, भूख हड़ताल करने का उन्होंने कोई कारण नहीं बताया और २७ तारीख को उन्होंने फिर मोसम्मी और फलों का रस ले लिया और फिर तीन दिन तक लगातार फलों का रस लेते रहे, फिर अनशन प्रारम्भ किया, फलों का रस लेना छोड़ दिया। इसके बाद एक तारीख को कुछ आदमियों ने मिलकर यह कहा कि आप हमें कुछ दिनों की मोहलत दें, हम मामला निपटा लेते हैं, आप अनशन बन्द कर दें। यह रिपोर्ट मेरे पास वहाँ से आई है और उसी आधार पर मैं सूचना देना चाहता हूँ सदन को कि १ तारीख को फिर कुछ लोगों ने आग्रह किया कि आपको भूख हड़ताल नहीं करनी चाहिए और आपको यह छोड़कर अन्न ग्रहण करना चाहिये, हम इस मामले में बीच-बचाव करते हैं। उनके यह आश्वासन देने पर अन्न लेना उन्होंने प्रारम्भ कर दिया और तीन दिन का नोटिस दिया कि इस टाइम में फैसला करके ले आओ, नहीं तो उनका अनशन फिर आरम्भ हो जावेगा। ऐसा कल मेरे पास जो लोगों का एक डेपूटेशन मिलने के लिए आया था उनसे मालूम हुआ है।

इन सारी बातों को देखते हुए मैं समझ नहीं पाता हूं कि इस सारे मामले में ऐसी क्या अहमियत आई कि जिस पर एक 'स्थगन-प्रस्ताव' सदन में लाने की जरूरत हुई। एक जगह काम करने वाला वर्ग तीन-तीन स्ट्राइक कर देता है और अकारण कर देता है और इसलिए स्ट्राइक कर देते हैं कि उनकी यह बात मानली जावे कि वर्दी के बजाय उनको रुपया दे दिया जावे। इस किस्म की जहाँ माँग रक्खी जाती हो और उसके पीछे दलगत राजनीति में पड़कर हमारे कुछ मित्र उनकी इस माँग को सपोर्ट करें और अपने आपसी मतभेदों को यहाँ आगे लाकर एक गड़बड़ी की स्थिति पैदा करें यह कहाँ तक वाजिब है? इसको वे स्वयं ठंडे दिमाग से सोचें। वे इसको स्वयं सोचते हैं मन में कि इन अनर्गल बातों में साथ देकर अन्त में इन बातों में कोई रीज़न नहीं होने से कोई परिणाम नहीं निकलता है और जब कोई परिणम नहीं निकलता देखते हैं तो मजबूर होकर इस किस्म के एक्शन लेने को मजबूर होना पड़ता है। मैं ऐसी स्थिति में उनसे सहानुभूति रखता हूँ और मैंने कल मिलने वाले डेपूटेशन से भी कहा कि बतलाइये आखिर इस भूख हड़ताल का क्या कारण है? उनके पास भी कोई इस बारे में कोसिबल आर्ग्युमेंट नहीं था। उनका यह कहना था कि कलेक्टर ने कोई उनके मामले में फैसला दिया था, उस पर अमल नहीं हुआ। मैंने उनसे उस कलेक्टर के फैसले की कॉपी मांगी और जानना चाहा कि कलेक्टर ने क्या फैसला दिया और जब कोई फैसला दिया तो क्यों, उस पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य यही है कि हमारे साथ कलेक्टर की मौखिक बात हुई थी, लिखित कोई फैसला नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन और उसके सदस्यों के बीच में भी हमारी कोई बातचीत हुई थी और उस बातचीत से जो समझौता हुआ उस पर भी कोई अमल नहीं हो रहा है। मैंने तुरन्त उनसे कहा कि जो कुछ भी ऐसा कोई आपका और बोर्ड का फैसला है और उसके अनुसार बोर्ड ने कार्य नहीं किया तो आप मुझे वह फैसला बताइये, कानून की धाराएं मेरे पास हैं। मैं देखूंगा कि कौनसी ऐसी चीज़ है जिस पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने

[श्री रामकरण जोशी]

फिर यही जवाब दिया कि अफसोस यही, इस बात का है कि यहाँ भी हमने सब जबानी बातचीत ही की। तो मैं नहीं समझ पाता हूँ कि इस किस्म की बातों में कहाँ तक तथ्य है और हम ऐसी स्थिति में कोई भी क्या कार्यवाही कर सकते हैं ?

तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का 'स्थान प्रस्ताव' लाने के बजाय......

श्री अध्यक्ष—आप हाउस को जानकारी दे रहे हैं, 'स्थगन प्रस्ताव' पर बहस नहीं कर रहे हैं।

श्री रामकरण जोशी—(भाषण जारी रखते हुए) तो आपकी मारफत अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ सदन में और खास कर उन मेरे माननीय सदस्यों को जो इस मामले में और ऐसे मामलो में दिलचस्पी लेते हैं, वे इस मामले को समझें और समझने के बाद ऐसे मामले को किस तरह से टेकल किया जावे, इसका आप निर्धारण करें और तब मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि गलत रास्ते पर ले जाएं अगर आप योग्य सलाह दें तो उनकी समस्या हल हो जावे।

हरिजन स्टाफ को नौकरी से हटाये जाने के बाद उनके लिए कानूनी रास्ता खुला हुआ है, उनको आगे बढ़ना चाहिए। उनके आग्युमेंट्स में, उनकी अपील में बल होगा तो उनके साथ अन्याय होगा और उनके आग्युमेंट्स में और अपील में बल नहीं होगा तो आयन्दा इस किस्म की इच्छा जाहिर करेंगे कि सचमुच वे समाज की शासन व्यवस्था में खुराफात पैदा नहीं करना चाहते हैं और बराबर काम करेंगे और अपने काम से बिना बात मुंह नहीं मोड़ेंगे, इस किस्म की बात करेंगे और अन्कंडीशन्ली काम पर आना चाहें तो कोर्ट इस बात पर विचार कर सकेगा कि उनको फिर से काम पर ले लें। लेकिन इस बात का सही मार्गदर्शन उन लोगों को मिलना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि सही फेक्ट्स उनको समझा कर बात नहीं करते हैं। उनका नेतृत्व ऐसा करते हैं कि नोटिस दे दिया कि उसके बाद काम नहीं करेंगे तो बोर्ड ने फैसला इस बात का किया। उन्होंने यह समझा कि जो लोग हमेशा गलत हो सकते हैं वे सही तरीके से चलकर बोर्ड के पास आयें और सही तरीके से बात करें, अगर वे सचमुच हरिजनों की मुश्किलों को पूरी करना चाहते हैं तो। लेकिन वे लड़ाई का वातावरण पैदा करते हैं, शहर के अन्दर गंदगी पैदा करवाते हैं, हरिजनों को उकसा कर। एक समय तो यह आया था कि वहाँ लॉ एन्ड आर्डर की सिचुएशन बिगड़ने का अन्देशा होगया और उन लोगों ने म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बरों के दरवाजों के सामने हुल्लड़बाजी शुरू कर दी। कई दुकानों पर कुछ गड़बड़ शुरू की। इस प्रकार की रिपोर्टें अखबार में वहाँ से बराबर हम सब लोगों को मिलती रहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गलत रास्ते पर चले जाने वाले आदमियों को सही रास्ते पर लाने के लिए, यानि गलत जो लोग हैं उन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और आज आप इस मामले में मदद करके समाज के लिए गलत काम करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं और जब उनका इस तरह से पूरा नहीं

Page No.41

[श्री रामकरण जोशी]

पड़ता है तो इस तरह से वे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, वे हमारे देश और समाज का कैसे कल्याण कर सकते हैं ?

मैं आपके द्वारा सूचना देना चाहता हूँ कि म्युनिसिपल बोर्ड की जिस कार्यवाही की जो जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हरिजनों को बराबर गुमराह किया गया है। बराबर हड़ताल की गई है और वे हड़ताल करने के आदी हो गये हैं तो बोर्ड को यह फैसला मजबूरन करना पड़ा।

नागरियों और अहरियों में से १४ को परमानेन्ट काम पर इसलिए लगाया कि वह कहते थे कि हम बार-बार इस काम पर जाते हैं......

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is not the Hon'ble Member repeating too much ?

श्री रामकरण जोशी—नागरियों और अहरियों को जब परमानेन्ट काम पर लगाया तो बात यह थी कि उनमें कुछ आदमियों ने आकर यह कहा था कि जब आपके काम आता है तो हमसे ५ दिन, १० दिन या एक महीना, दो महीना, काम लेते हैं और जब वे काम पर आ जाते हैं तो उनको काम से अलग होना पड़ता है, इसलिए हमारे बारे में फैसला करना चाहिए। तो बोर्ड ने फैसला दिया कि १४ आदमीयों को परमानेन्ट काम पर नियुक्त किया जाय, वहाँ ३६ जगह हैं जिनमें से २२ का टेम्परी एपोइन्टमेंट किया गया है और १४ का परमानेन्ट एप्वाइन्टमेंट कर दिया है और इसमें उन लोगों को परमानेन्ट कर दिया है यह सूचना सदन के सामने रखी थी। मैं समझता हूँ कि अब आगे जो कोर्स है उसके मुताबिक आगे बढ़ें। सरकार इसमें जैसा भी मुनासिब होगा वही फैसला करेगी। (हीयर-हीयर)

माननीय अध्यक्ष, स्टेटमेंट में arguments, inferences, references जितनी बातें गिनाई गई हैं, तो मुझे खास तौर से कुछ कहने का मौका देंगे।

श्री अध्यक्ष—There is nothing personal against you.

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह तो हो गया, लेकिन कुछ ज्यादा बातें स्टेटमेंट में आ गई हैं।

श्री अध्यक्ष—Order ! The Hon'ble Member on the Treasury Benches has given information more than what was required, and there were certain short notice questions to that effect, I think his reply covers them and he has given information more than that. If certain more questions arise, then further short notice questions can be put.

Of course the idea was to given the information to the House so far

[श्री अध्यक्ष]

as the state of law and order and the reasons leading to that hunger-strike are concerned.

Now we resume our discussion on the Resolution moved by Shri Chand Mal Mehta.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That was a political speech inflicted on us. We must be given some little opportunity.

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये एक समिति का निर्माण करने सम्बन्धी संकल्प

डा० श्री मंगलसिंह—(विपक्ष की ओर से करतलध्वनि) अध्यक्ष महोदय, यह श्री चाँदमल मेहता ने जो रिजोल्युशन रखा है उसके बारे में हम लोगों में सदन में और इस सदन के बाहर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको इस चीज को जानकारी नहीं हो। यह भ्रष्टाचार किस जमाने में नहीं था ? ऐसा जमाना इतिहास में नहीं है ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—समर्थन कर रहे हैं या अपोज़ कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—Hear him, have patience.

डा० श्री मंगलसिंह—लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

(विपक्ष की ओर से 'हियर, हियर')

जरा सब्र रखियेगा तो ठीक होगा।

यह भ्रष्टाचार का जो सबब मुझे मालूम पड़ा है वह तो ऐसा है कि चाहे कोई व्यक्ति हो, और चाहे कोई देश हो, जो गुलाम होता है उसके ऊपर सब से बड़ा और बुरा असर यह पड़ता है कि वह चरित्रहीन हो जा ता है और वह लाठी से, लकड़ी पानी डर से काम करने का आदी हो जाता है। यह स्वतन्त्रता जो हमको मिली उसमें वह डर और लाठी एक दम हट गये हैं और हम अपनी असली हालत में आ गये हैं। चरित्रहीनता स्पष्ट हो गई है।

श्री जसवन्तसिंह—(अभव्य)

डा० श्री मंगलसिंह—हम उस जमाने में जब कि हम गुलाम थे यह दुर्गुण हममें उसो

[डा॰ श्री मंगलसिंह]

समय आ गया था, लेकिन वह डर से कुछ दबा हुआ था। डर के एक दम हटाने के कारण हम अपनी असली स्थिति में आ गये। (हियर, हियर।)

वह डर हटाना चाहिये नहीं था, ऐसी मेरी मान्यता नहीं है। हटना तो अवश्य ही चाहिये था, लेकिन जिस प्रकार गुलामी में यह दुश्चरित्रता और अवगुण आये हैं, उसी प्रकार स्वतन्त्रता के वायुमंडल में यह अवगुण जाते और गुण आते हैं कि मनुष्य अपना कर्त्तव्य समझने लगता है और दूसरों के लिए वह दुखी बनने का कारण नहीं बनता।

यह भ्रष्टाचार का, जो मेरे मित्र ने कहा है उनका इशारा केवल या अधिकतर सरकारी कर्मचारियों की ओर है, लेकिन मैं तो यह देखता हूं कि क्या वायुमंडल में कोई बचा है; इससे बिल्कुल कतई बचा हो ऐसी मेरी मान्यता नहीं है। यह बाहर-अन्दर सब तरफ दिखलाई पड़ रहा है। वह कर्मचारी जिन्होंने अपने जीवन का सुख, बच्चों, धन-जन का और घर का मोह छोड़ कर; नहीं, नहीं, जिन्होंने मोक्ष का लोभ भी छोड़कर जन सेवा का व्रत लिया, जिन्होंने जनसेवा की शपथ ली और संसार के सब सुखों को छोड़ कर अपना सुख उन्होंने माना जनसेवा में, जिन्होंने अपना सर्वस्व जनसेवा के लिए दे दिया, उनके ऊपर कभी कभी इस प्रकार के आक्षेप होते हैं कि वेतन बहुत मिलता है, तनख्वाह बहुत मिलती है, एलाउन्स बहुत मिलता है। मैं समझता हूँ कि यह उन लोगों की कृपणता है। जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन, सब कुछ दे डाला उन्हें हम चाहे कितना पैसा दें उनकी सेवा का बदला नहीं हो सकता है। इसका बदला तो केवल उनका आदर और मान बढ़ाने के रूप में ही हो सकता है। लेकिन जिन्होंने अपना सर्वस्व दे डाला, जनसेवा के लिए उन्हीं लोगों के हाथ से जनसेवा न होकर और कुछ जन पीड़ा हो, जिन्होंने जन सेवा करने का व्रत लिया है वे ही जनता को दुःख देने के कारण बन जावें, तो उनका यह जीवन तो नष्ट हुआ ही, लेकिन अगला जीवन भी नष्ट होगा। मैं इस सवाल को इस तरह से देखता हूँ। मैं यह सोचता हूँ कि जो कर्मचारी, जिन्होंने इस त्याग की भावना को लेकर रास्ता बनाया है आज वे किस रास्ते पर चल रहे हैं ? उनको अपने दिल से सोचना चाहिए कि आया हम ठीक रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर और अपना सुधार करना चाहिए।

कुँ॰ श्री जसवन्तसिंह—आप तो ऊँची फिलोसफी में चले गये।

डा० श्री मंगलसिंह—मैं ऊपर चला गया फिलोसफी में लेकिन यदि मैं इसके ऊपर की बात करता तो शायद निकाल दिया जाता, परन्तु हल इसी भावना से होगा।

श्री अध्यक्ष—ये नीचे ही रह जाते।

डा० श्री मंगलसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए)मैं तो यह कहूँगा कि श्री चाँदमलजी ने जो यह प्रस्ताव रखा है उससे चाँद के अन्दर जितनी रोशनी हो सकती है उतनी

[डा० श्री मंगलसिंह]

ही रोशनी आई है। यदि कोई सूरजमल यहाँ होता तो अन्धकार दूर होकर ज्यादा रोशनी आती। लेकिन जब तक कोई सूरजमल नहीं है हमको चाँद ही से प्रकाश लेना चाहिए। हमको इसे यहीं पर छोड़ना नहीं है। चाहे कमेटी बनावें और उसके बाद में काम करें, चाहे जिले-जिले में कमेटी बनावें और चाहे सरकार ही ऐसा कोई इन्तजाम करे कि भ्रष्टाचार रुक जाय, लेकिन समय आ गया है कि यदि हम अब भी इस ओर नहीं देखते है तो हमारा सर्वनाश होने का डर है (हियर, हियर)। इसमें ऐसा नहीं समझना चाहिये कि यह प्रस्ताव सरकार के खिलाफ है या दूसरों के खिलाफ है, लेकिन यह बीमारी हमारे अन्दर आई है। बहुतसी ऐसी बीमारियें होती हैं जिनके बारे में मरने के समय तक यह नहीं मालूम होता कि मैं बीमार हूँ; आप सुनते रहते हैं कि फलां आदमी का हार्ट फेल हो गया, लेकिन मैं डॉक्टर की हैसियत से कह रहा हूँ कि न मालूम कितने दिनों से उसका हार्ट फेल हो रहा होगा। जो बीमार है उसको बीमारी का ज्ञान न हो और बीमारी उसको समाप्त करदे, यह भी ऐसी ही बीमारी मालूम पड़ती है। पण्डित जवाहरलालजी नेहरू जो देश के प्राण हैं, जो भारत के प्रधान मन्त्री हैं, जिनमें सब की श्रद्धा है, वे भी कई बार इसकी आलोचना कर चुके हैं; तो हमको इस ओर कदम बढ़ाना ही चाहिए और हर सदस्य जो सदन में बैठा है या जो मन्त्री है और जो इसमें दिलचस्पी लेते हैं उनको यह प्रयत्न करना चाहिये कि यह बीमारी हमारे यहाँ नहीं रहने पावे............

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—आप डाक्टर हैं, आप से इलाज करायेंगे।

डा० श्री मंगलसिंह—मैं शरीर का इलाज कर सकता हूँ। मानसिक रोग के लिए और चीजों की आवश्यकता है। आप यदि मदद करें तो जल्दी इलाज हो सकता है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—जरूर जरूर।

डा० श्री मंगलसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मेरा यह मानना है कि इस प्रश्न पर, इस भावना से सदन में लोग सरकार की शिकायत किया करते हैं और कुछ सुझाव भी देते हैं। मैं यह समझता हूँ कि सुझाव के रूप में इसको मानना चाहिये। इस बारे में भ्रष्टाचार के किस्से कहने शुरू हो जायं, तो मैं समझता हूँ, हरेक सदस्य को ऐसे किस्से याद हैं और दो-तीन वर्ष किस्सों को बयान करने में ही लग जायेंगे। ये किस्से बहुत से आदमियों को याद हैं, मुझे भी बहुत सी बातें याद हैं लेकिन उनके दुहराने की आवश्यकता नहीं। जब सब मन्त्रियों के सामने कह दिया जाता है, कभी-कभी इलाज भी सोचा जाता है लेकिन वह पैलिमेटिव (थोड़ा सुधार) ट्रीटमेन्ट भी होता है क्योरेटिव (रोगनाश) नहीं होता। अब जब कि यह चीज हमारे सामने आ गई है और इसकी जानकारी हमको हो गई है तो इसमें देरी करना ठीक नहीं है। जिस प्रकार से ठीक हो सके हमको सही रूप से इसका उपचार करना चाहिये। मैं समझता हूँ, इस पर बहुत से लोग बोलना चाहते हैं इसलिए मैं इतना ही कहना ठीक समझता हूँ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आप इसका समर्थन कर रहे हैं या क्या कर रहे है ?

डा० श्री मंगलसिंह—यदि आप इतना कहने पर भी नहीं समझे तो आपकी समझ की बलिहारी है।

श्री घीसीसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय चाँदमलजी मेहता ने जो संशोधन--संशोधन नहीं प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और आपके जरिये अपने ख्यालात सदन के सामने रखता हूँ।

भ्रष्टाचार के मुत्तलिक जो बातें श्री चाँदमलजी मेहता ने कहीं वे सर्वथा पूर्ण सत्य ही नहीं, बल्कि पूरी पूर्ण सत्य हैं और हर डिपार्टमेंट के मुत्तलिक यदि उनकी डिटेल्स में जाना चाहें तो बहुत समय सदन का व्यर्थ में खर्च होगा। इसके लिए वे ही काफी कह चुके हैं। लेकिन मुझे एक बात पर जरूर प्रकाश डालना है: वह यह है कि एक महानुभाव द्वारा मुख्य मन्त्रीजी से विशेष प्रेम होने के कारण उनके ऊपर भी छींटाकशी की, वह उचित नहीं थी क्योंकि जो उनको मुख्य मन्त्री बनने के लिए अपना पद रिक्त कर सकता है उसकी मन्त्री बनने की इच्छा होना संभव नहीं हो सकता। लेकिन यदि इस सदन के इधर के महानुभाव ऐसी उदारता कर सकते हों और उस त्याग पर मन्जिल खड़ी हो तो बहुत मुश्किल बात नहीं है। लेकिन उनके लिए पद रिक्त करना बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है।

पुलिस के मुत्तलिक हमारे यहाँ भरतपुर में ४८,०००) रुपयों की रिश्वत मय सुबूत के पकड़वा दी थी लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। रिश्वत का यहाँ तक बोलबाला है कि पुलिस के आचरण के बारे में कहना पड़े तो साल गुजर जाय इतना कह सकते हैं।

(श्री गोपीलाल यादव और श्री हरिदेव जोशी दोनों बोलने के लिए प्रस्तुत)

श्री अध्यक्ष—हरिदेव जोशी।

श्री गोपीलाल यादव—पाँच दफा खड़ा हो चुका हूँ बोलने के लिए।

श्री अध्यक्ष—आप भी बोलेंगे।

श्री हरिदेव जोशी—अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री चांदमलजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। डाक्टर मंगलसिंह जी ने भ्रष्टाचार किस प्रकार और क्यों आज की समाज में व्याप्त हुआ है इसके बारे में संक्षेप में कुछ कहा था। मैं संपूर्ण रूप से उनसे सहमत हूँ। आज हालत यह है कि भ्रष्टाचार केवल राज्य कर्मचारियों में ही व्याप्त हो, ऐसी बात नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार आज के भारतीय समाज का एक अंग हो गया है। कुछ समय

[श्री हरिदेव जोशी]

पहले, आज से १० वर्ष पहले ऐसी स्थिति थी कि बुराई करने वाले आदमी को अपने मुहल्ले में रहना मुश्किल हो जाता था। एक आदमी यदि मुहल्ले में रहने वाली, बहिन-बेटियों को बुरी नजर से देखता था तो वह मुहल्ले वालों द्वारा हिकारत की नजर से देखा जाता था। बड़े लोगों के सामने छोटे नवयुवक बीड़ी आदि पीते नहीं निकलते थे, गालियां देना अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन आज के समाज में जो स्थिति पैदा हो गई है वह हमें किसी भी तरह से समझ में नहीं आती। लेकिन आज हम सही मानें में देखें तो राज्य कर्मचारी, व्योपारी और आम जनता में भ्रष्टाचार व्याप्त है। भारतीय समाज की आज जो हालत है वह आश्चर्य जनक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बारे में कोई ४ या ५ आदमियों की कमेटी कोई कारगर उपाय कर सके, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि भ्रष्टाचार के बारे में यह कहना कि नहीं है और यदि कोई इसकी शिकायत करे तो चिढ़ना तथा यह समझना कि इस बारे में कोई शिकायत कर रहा है, यह फिजूल की बात है। हमको मुक्त कंठ से स्वीकार करना चाहिए कि आज भारतीय समाज में जो रोग घुस गया है यदि उसका इलाज नहीं किया गया तो वह न केवल राज्य कर्मचारियों के लिए व न केवल शासन के लिए ही बुरा है, बल्कि भारतीय समाज और शासन की क्या स्थिति होगी यह नहीं कहा जा सकता।

अभी वर्षों पहले प्रेस और प्लेटफॉर्म के जरिये हम सुना करते थे कि हिन्दुस्तान की संस्कृति इतनी ऊंची है कि उसमें सत्य और अस्तेय की और दूसरे गुण हैं उनकी दूसरे मुल्कों की अपेक्षा ज्यादा कद्र की जाती है। परन्तु अति आश्चर्य और खेद का विषय है कि भारत के अन्दर जो इतने ऊंचे गुण हैं उनका लोप होता जा रहा है। आज हम जहां कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी बैठते हैं, चाहे वह राजनैतिक मजमा हो, चाहे सामाजिक मजमा हो, हर जगह यही सुनने को मिलता है कि समाज का एक तरह का क्षय होता जा रहा है। उस क्षय को नष्ट करने के लिय व्यापक आधार पर काम करने की जरूरत है।

मैं नहीं मानता कि केवल रिश्वत लेने वाला राज्य कर्मचारी ही दोषी है, मैं तो यह मानता हूँ कि रिश्वत देने वाला भी उतना ही दोषी है। यह ठीक है कि रिश्वत लेने वाले ज्यादा गुनहगार हैं और कई साधन है इसकी रोक-थाम के लिए जिनको अपनाया जा सकता है और उनको सजा दी जा सकती है।

खुशकिस्मती की बात है कि भारत सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रयत्नशील है और विधान में संशोधन हो रहा है, किन्तु मेरा यह नम्र निवेदन है कि न तो इसका इलाज विधान ही कर सकता है और न सरकार ही कर सकती है। जब तक आम जनता में यह भावना पैदा न हो कि इस बुराई को समाज से बाहर निकाल फेंकेंगे तब तक यह रोग दूर नहीं हो सकता। किसी रिश्वत के बारे में शिकायत आती है, उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। लोग भय के मारे, डर के मारे, उतनी मदद नहीं देते जितनी कि देनी चाहिये।

इसके माने यह नहीं है कि मैं राजस्थान सरकार के प्रयत्नों की प्रशंसा कर रहा हूँ कि राज-

[श्री हरिदेव जोशी]

स्थान सरकार को जितने प्रयत्न करने चाहिये थे वे इस दिशा में कर चुकी है। अगर सरकार ऐसे प्रबन्ध करे कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेंटस हैं, कलेक्टर्स हैं, एस. पी. आदि हैं, उनको इस बारे में अधिक सतर्क किया जाय तो एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट और ऐसी समितियाँ उनसे इतनी ज्यादा उपयुक्त नहीं रहें। स्व. साहब हमारे यहाँ रिषभदेव जी में आये थे, उन्हें पूछा कि आपके यहाँ एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट कायम हुआ, उससे भ्रष्टाचार को रोकने में कितनी कामयाबी मिली? वे उस समय बम्बई के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि उन्हें एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट के ऊपर एक और एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट कायम करना पड़ा है क्योंकि एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट के आदमी रिश्वत लेना शुरू हो गए। कहाँ तक सही है, कहाँ तक झूठ है राजस्थान के एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट की काफी तारीफ है, परन्तु पिछले दिनों यहाँ एक एन्क्वायरी के सिलसिले में कहा जाता है कि इस विभाग के कर्मचारी ने ५०००) रुपये लिए।

तो बदनियती, बदगुमानी के विरुद्ध विरोध पैदा किया जाय और समाज इसे ठीक करे तभी यह खराबी दूर हो सकती है। यह लम्बा प्रोसेस होगा, पर स्थाई होगा। दो-एक कमेटीज़ को स्थापित कर दीजिये, वे कहाँ तक कामयाब होंगी? यही होगा कि श्री चाँदमलजी का प्रस्ताव पास हो जायगा, एक कमेटी स्थापित हो जायगी और अखबार में यह समाचार आ जायगा। पर मेरा निवेदन है कि इससे राजस्थान की समस्याओं का हल नहीं होगा। इसके लिए राजस्थान सरकार सोचे कि किस प्रकार ऐसा कदम उठाये कि राजस्थान के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में जो भ्रष्टाचार है उसे रोका जाय। मेरा खयाल है कि जनतन्त्र में जनतन्त्री सरकार हो, वही जनता की नेता है। आज राजस्थान का नेतृत्व हाथों में लेने की वजह से वही जिम्मेदार है और ऐसी कोशिश करे जिससे समाज में आया हुआ यह दुर्गुण दूर हो। इसे रोकने का प्रयास न करके केवल यह कह देना कि रिश्वत लेते हैं, इसे मैं बेहूदा मानता हूँ। आज एक साधारण किसान, साधारण व्यापारी, रिश्वत देते हैं, क्योंकि वे लोग अपने एक पैसे से एक रुपये का फायदा उठाने के लिए, अपने पड़ौसी का, अपने साझीदार का नुक्सान करा देना चाहते हैं। इसलिए समाज के जितने वर्ग हैं वे भ्रष्टाचार में थोड़े बहुत लगते हैं। तो इसलिए यह मान लेना कि केवल राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों में से रिश्वत का लोप हो जायगा तो भ्रष्टाचार समाज से ही मिट जायगा, यह गलत होगा।

आज भ्रष्टाचार समाज की जड़ों में जा चुका है और जैसे कि हम लोग गिज़ा लेते हैं और वह सारे शरीर में रम जाती है उसी तरह समाज की जड़ों में भ्रष्टाचार घुस गया है। हमने देखा है कि एक एस. डी. ओ. को भ्रष्टाचार की वजह से हटाया तो जो उसकी जगह दूसरा एस. डी. ओ. आया वह उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचारी निकला। पहले वाला अगर १००) रुपये लेता था तो वह २००) रु० लेता है। तो यह कोई इलाज नहीं है। एक मिसाल इसके बारे में मैं यहाँ रख देना चाहता हूँ। एक आदमी को डिस्मिस किया गया, डूंगरपुर जिले में एक थानेदार था उसको डिसमिस किया, वह एक व्यापारी बन गया और व्यापार करने लगा। वहाँ पर भी उसने ब्लैक मार्केट किया और उसे सजा हुई और उसका लाइसेन्स ज़ब्त हो गया। इसके बाद वह माइका में व्यौपार करने लगा और वहाँ पर भी जितने उसके साझीदार थे उनके पैसे खाकर भाग गया और अभी वह जेल में है। कहने का

[श्री हरिदेव जोशी]

मतलब यह है कि आज समाज में एक क्रान्ति करना है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आम जनता में एक सामुहिक भावना पैदा करना है। जब तक इस पूरी बुराई को दूर नहीं करेंगे, इस तरह चेरा-चेरी करने से, थेकली लगाने से काम नहीं चलेगा।

इसके लिए ऐसी चीजें की जाँय जिससे कि समाज के अन्दर जो यह बुराई है वह दूर हो जाय।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष, यह जो श्री चाँदमलजी ने प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। यह 'भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार' शब्द मेरे साथी बोले और उन्होंने कहा कि रिश्वत लेने वाले सरकारी कर्मचारी और रिश्वत देने वाले ये दोनों ही भ्रष्टाचार करते हैं; परन्तु यह कहा जाय कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ जो एम. एल. ए. बैठे हैं, वे करते हैं, उनमें मैं खुद भी शामिल हूँ।

(करतल-ध्वनि)

कु० श्री जसवन्तसिंह—ज्यादा किस तरफ हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—जब कि यहां भ्रष्टाचार का आरोप सरकारी कर्मचारियों के ऊपर लगाया जाता है, व्योपारियों के ऊपर, किसानों के उपर लगाया जाता है, पर वह करता कौन है ? करते हैं अपन लोग। क्योंकि आज देखते हैं कि एम. एल. ए. हो गये, कल पालियामेंट के मेम्बर बन जायेंगे; फिर डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर बन जाँयगे, तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। यहाँ जो कानून पास करते हैं, राजस्थान के कानून पास करते हैं, वे जब तक नहीं सोच लेते कि भ्रष्टाचार रोकें तब तक वे कर्मचारी लोग भ्रष्टाचार दुगुना करेंगे। उदाहरण दूँ कि इतने एम. एल. ए. बैठे हैं; वे किराये के पैसे भी नाजायज वसुल करते हैं, इतना भी नहीं रख सकते तो वे 'भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार' क्यों पुकारते हैं ? कर्मचारी तो नहीं करेंगे जब आप खुद ऐसा करना बन्द कर दोगे। आप खुद ट्रान्सफर करते हो, इलेक्शन होता है तो रिश्वतें देते हो, शराब पिलाते हो, बीस-बीस हजार, पचास-पचास हजार रुपया एक एक इलेक्शन में खर्च करते हो, तो दुनिया देखती है कि ये लोग करते हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं करें, अफसर भी कहते हैं कि आप लोग करते हो तो हम लोग भी क्यों नहीं करें ? और अब जागीरदारों की जागीरदारियें जाने से और भी ज्यादा उनको छूट मिल गई। वे लोग यह समझने लगे कि हम लोग कांग्रेस में चले गए, हमारा भी काम हो जावेगा। भ्रष्टाचार की सारी जड़ अपन लोग ही हैं और मैं तो इस बात को मान कर चलता हूँ कि अगर अपन ने अपने आपको

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

सुधारा तो कर्मचारी, पुलिसवाले या किसी दूसरे डिपार्टमेंट वालों की हिम्मत नहीं कि वे भष्टाचार करें। परन्तु मैं आपको बताऊँ कि एक सेठ आता है और गवर्नमेंट उससे लाखों रुपया माँगती है, गवर्नमेंट कहती है, और उसके मामले में कुछ ऑर्डर कर देती है; सेक्रेट्री कुछ आर्डर दे देता है और डिप्टी सेक्रेट्री कुछ और आर्डर दे देता है, जब इस प्रकार का अपने यहाँ हो रहा है फिर दूसरों को दोष क्यों दिया जाता है ? अगर इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट चाहे तो मैं हजारों फेक्ट्स एण्ड फिगर्स बता सकता हूँ जिसमे गरीबों का काम २॥ वर्ष तक नहीं होता और एक अमीर का और मालदार का काम १० मिनट में हुआ है। अगर आप कहें तो मैं फेक्ट्स एन्ड फिगर्स, ट्रन्क काल के नम्बर, तारीख आदि बता सकता हूँ, फायलें आपके पास हैं आप खुद देख लें। हमसे किसी से मत पूछिये, आपको खुद को असलियत मालूम हो जावेगी। आप लोग यह कहते हैं कि कर्मचारी भ्रष्टाचारी है, पुलिस में भ्रष्टाचार है, परन्तु यह नहीं समझते कि अपने को खुद को इलेक्शन के लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती, जब फुर्सत मिले तब इस बात की तरफ ध्यान हो। समिति भी बनेगी तो वह हम लोगों की ही बनेगी उसमें भी हम लोग रहेंगे। (हंसी)। आप भ्रष्टाचार को रोकोगे कैसे ? श्री चाँदमलजी कहते हैं कि एक समिति बने। उसमें रहेंगे कौन लोग ? जैसे हैदराबाद एसेम्बली में जो एम. एल. एज़ हैं उनके लिए यह बात रखी गई है कि वे डिपार्टमेंट में वकालत करने के लिए नहीं जावें। यहाँ काफी एम. एल एज़ ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट में वकालत करते हैं। फिर भ्रष्टाचार कैसे मिटे ? कहते हैं, भ्रष्टाचार रोका जावे। आपके लड़के हैं, बच्चे हैं रिश्तेदार हैं। एक भ्रष्टाचारी को पकड़ते हैं; पकड़ते हैं तो किसको पकड़ते हैं ? एन्टीकरपशन वाले किसी गरीब को। आज तक कोई सेक्रेट्री, डिप्टी सेक्रेट्री, डाइरेक्टर आदि बड़ा अधिकारी नहीं पकड़ा गया। आर इसके लिए एक मिसाल तो मुझे बतावें कि फलाँ सेक्रेट्री या डिप्टी सेक्रेट्री या डाइरेक्टर पकड़ा गया। पकड़ा जावेगा ६०) रुपये पाने वाला एक आदमी, यानि दो रुपये रोज का आदमी। क्यों कि उसके कोई सिफारिश नहीं। बड़े आदमियों को तो पूछनेवाला कोई नहीं। कोई एक जिप्सम या पेट्रोलियम की एक खान का ठेका दे देंगे, बस उनका काम बन गया। दूसरा कितना ही चिल्लावे मगर कौन सुने ? मुझ से समिति के बारे में पूछा था। चांदमलजी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उससे पहले से ही गवर्नमेंट इस प्रकार की समिति बनाने के बारे में सोच रही है। मगर उसमें रहेंगे कौन ? आपको मालूम नहीं है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट महीने डेढ़ महिने से इसके लिए कोशिश कर रही है; परन्तु यह समिति बनावे कौन ? तो यह सारे रोग हैं, उसकी जिम्मेवारी अपने पर है। अपन ने शपथ ली उस वक्त कहा था कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मगर पीछे कौन क्या करते हैं, कोई मरे कोई जीवे हमारा क्या ? उनको इलेक्शन लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती तो फिर गवर्नमेंट क्या काम करेगी ? क्या पब्लिक का काम करेगी और उसके लिए देखेगी ? भ्रष्टाचार अपन लोग ही रोक सकते हैं। हमसे तो अभी तक कोई पैसा किसी ने लिया नहीं और काम से रुके नहीं। मगर जो लोग सुबह से लेकर शाम तक पटवारियों और तहसीलदारों की बदलियें कराने के लिए फिरते रहते हैं उनके काम रुकते होंगे। पटवारी और दूसरे लोग भी तो आदमी हैं। बजाय उनकी ट्रान्सफरें कराने के उनको समझाओ कि ऐसा काम मत करो और फिर भी तुम्हारे समझाने से न माने तो फिर अपने आप रुक जावेंगे। गांधीजी ने वैसे किया ? आपमें भी आत्मबल होना चाहिए। महात्मा गांधी इसीलिए तो परमात्मा थे। परन्तु आप लोगों में आत्मीय शक्ति खत्म हो गई है और

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

खुद भ्रष्टाचार की ओर चले गए और इसलिए भ्रष्टाचारी हो गये। और मैं यह भी बता दूं कि जब कानून बनाने वाले खुद भ्रष्टाचार करते हैं तो दूसरे गवर्नमेंट सर्वेन्ट वैसे ही बनते हैं। आप पालियामेंट में जाकर देखिये। पालियामेंट के एक सदस्य को देखिए, वे ज्यादा सिफारिशें करते हैं; वे पालियामेंट के सदस्य हैं लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं और लम्बे-चौड़े व्याख्यान देते हैं। ऐसा ही उन लोगों की देखा-देखी राजस्थान में भी सब जगह होता है। कोई किसी को दोष मत दो, अपने आपको दोष दो। यह कहा जाता है कि मिनिस्टर रिश्वत नहीं लेते, परन्तु मिनिस्टरों के दूसरे आस-पास रहने वाले ले लेते हैं। तो इससे कोई क्या काम करा लेते हैं और कोई क्या काम करा लेते हैं। मेरा तो यह कहना है कि कमेटी बना लें लेकिन उस समिति में ऐसे आदमी रखे जावें जो मिनिस्टरों से नहीं डरें। मैंने कांग्रेस भी इसीलिए छोड़ी, इसी दुख के मारे छोड़ी कि रोजाना छाती कूटा होता और मुझे यह बात बर्दाश्त नहीं होती थी। (चीअर्स) मैं कांग्रेस कभी नहीं छोड़ता, मर जाता तब भी नहीं छोड़ता; रोजाना की इस लड़ाई के मारे मैंने कांग्रेस छोड़ी। लड़ाई मैंने यहाँ तक ही नहीं, बल्कि दिल्ली तक लड़ी। मगर कोई सुनने वाला ही नहीं। कर्मचारियों को क्या कहते हो ? आप में खुद में पाँच गुना ज्यादा होगा। महात्मा गांधी कहते थे कि जब तक इलेक्शन का रास्ता नहीं बदलेंगे भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। आप चौगुना पैसा लुटा रहे हैं। अमेरीका से पैसा आता है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है। बस मैं इतना ही कहूँगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, यह जो परबतसर से आये हुए माननीय मित्र ने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव का मैं हार्दिक समर्थन करता हूँ। हालांकि ये कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य हैं और हालांकि उनकी राय कुछ इस प्रकार की मालूम हुई कि भ्रष्टाचार से कांग्रेस की नीति का कोई सम्बन्ध नहीं है, उनकी राय इस प्रकार की मालूम हुई कि कांग्रेस के उसूल तो ठीक हैं लेकिन कार्य करने वाले लोग और विशेष कुछ अधिकारी और अधिकारियों पर अंकुश रखने वाले अधिकारी और सर्वोच्च अधिकारी, यानि मिनिस्टरों के काम में कमी है, यह उनकी राय प्रतीत हुई और मेरी कुछ इस सिलसिले में ज्यादा राय है और वह यह है कि बीमारी इसलिए बढ़ी कि मौजूदा शासन व्यवस्था में कमजोरियें रही हैं, लेकिन बावजूद उनके प्रस्ताव का समर्थन इसलिए करता हूँ कि हमारे इस प्रान्त में फैली हुई भ्रष्टाचारी की बीमारी के रोग का प्रस्तावक ने इस सदन के और इस सदन के जरिए राजस्थान की सरकार और जनता के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। यह बात कह रहे हैं कि समिति बना देने से कल ही यह भ्रष्टाचार की बात समाप्त हो जावेगी, ऐसी गलत आशा रखना दुरुस्त नहीं होगा और मेरे मित्र ने जो यह प्रस्ताव रखा है उनकी भी कोई ऐसी मन्शा नहीं है।

लेकिन प्रश्न यह है कि हमारी आंखों के सामने रोज-बरोज और हर जगह, हर सिलसिले में, जैसे कोई पंचवर्षीय योजना जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, वैसे ही अगर गैलोपिंग तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ता जाय तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है कि हम इस सिलसिले में कुछ करें ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

और मैं इस राय का हूँ माननीय उपाध्यक्ष, कि यदि इस प्रकार को एक समिति बनाई जाय तो उस समति में जो छान-बीन के जरीये, देखभाल के जरिये और पेनिट्रेटिंग आइज़ की वजह से, जो सुझाव आवेंगे तो जो गई गुजरी हालत है उसमें तो सुधार किया जा सकेगा। दरअसल यह ऐसा सुझाव है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में दिलचस्पी रखने वाला है उसको स्वीकार करना चाहिए। और मुझे बड़ा ताज्जुब होगा यदि ऐसा ऐलान करने वाले राजस्थान सरकार के मुख्य मन्त्री, जो कहते हैं कि सुधार करना चाहिए, शासन की गलती हो तो सुधारना चाहिए, फिर भी खड़े होकर इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे तो फिर कैसे सुधार होगा; मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा उस चीज की ओर कि अभी कुछ महीने पहले एक बहुत बड़ी जबरदस्त चीज हमारे सामने आई। आप सब लोग जानते हैं इस बातें को कि राजस्थान सरकार के बिल्कुल नाक के नीचे इसी जयपुर शहर में बिजली घर में जो कोयले का जबरदस्त गोलमाल, बल्कि भ्रष्टाचार ही नहीं, परम भ्रष्टाचार, लगातार हुआ है और पिछले छः-सात साल से होता आ रहा है, उसने हमें क्या सबक सिखाया है? उसकी शायद पूरी तफसील कभी न कभी इस सदन के सामने आयगी, लेकिन इतनी तो एक बात सब दुनिया को मालूम है कि एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक वर्ष के लिए नहीं; लेकिन लगातार पांच छः वर्ष तक रेलवे की रसीदें फर्जी, चाहे वे रसीदें जो अकाउन्टेन्ट जनरल के पास उनकी जो नकलें गईं और जिनके मुताबिक पैसा लिया गया वे और हों और विभाग के जरिये रजिस्टर में जो आँकड़े दर्ज हैं वे और हों, ठेकेदार को कोयला लेने के लिए जितने टन और जितने लाख टन का पैसा दिया गया वे आँकड़े और, और जो खर्चा होता है और आँकड़े दिखाये गये हैं वे और। हर महीने में रजिस्टर में दर्ज करते हैं कि कोयले का खर्चा पाँच हजार टन, और उसमें से काट दिया गया है २०० टन; चूंकि कम होगया। हर पेज पर ओवर राइटिंग है, स्टॉक अकाउन्ट एक का भी नहीं होगा। करोड़ों रुपयों का सामान कब आया और कब खर्च हुआ इसकी जाँच पड़ताल नहीं की गई? करोड़ों रुपयों का पेमेन्ट किया गया लेकिन चेक के जरिये नहीं, केश के जरिये। नकद पैसे दिये गये। रेलवे की रसीदों पर आँकड़े रबर से घिस कर इन्वोइस नम्बर १३ इधर से निकाल कर उधर जोड़ दी गई, फर्जी रसीदें बना ली गई और ख्याल ऐसा होता है और अब तक जहाँ तक मुझे सूचना प्राप्त हुई है माननीय उपाध्यक्ष, करीब-करीब ६ लाख के डिफालकेशन का पता लग चुका है और अन्दाजा यह किया जाता है कि शायद २०-३० लाख रुपयों के लगभग यह एम्बेज़लमेंट का मामला जायगा। किन्तु हुआ कैसे आखिर? इतने अधिकारी थे, इतने चेक करने वाले थे, लेकिन फिर भी हुआ कैसे आखिर? इसके जो टेक्निकल कारण है उन टेक्निकल कारणों में आज मैं नहीं जाना चाहूँगा इसलिए कि वह विषय सदन के जेर तजवीज नहीं है, लेकिन उसके उसुल पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और मेरे मित्र उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। यह इसलिए हुआ कि सवालों के समय इस ओर दुर्लक्ष्य किया गया।

कुछ अर्से पहले राजस्थान सरकार ने एक उच्चाधिकारी को मुकर्रर किया था जिनका नाम है, जहाँ तक मैं याद करता हूँ, श्री यादराम चतुर्वेदी, और उन्होंने एक नहीं शायद १५ या १६ रिपोर्टें बिजली विभाग के करप्शन के बारे में पेश कीं और जब सरकार के पास ये रिपोर्टें पेश हुई तो सरकार ने क्या विचार किया? सरकार ने उन रिपोर्टों पर क्या ध्यान दिया? हकीकत तो यह है कि उन

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

रिपोर्टों को सामने लाने के लिए सरकार ने लगातार हिचकिचाहट की है, इन्कारी की है और छानबीन करने के लिए सदन की जिस समिति को अधिकार है वहां तक भी वह मामला नहीं पहुंच पाया। क्या नतीजा होगा उसका ? उसका नतीजा यह होगा माननीय उपाध्यक्ष, कि आंखें मीचे रखिये तब तक लाखों रुपये से हाथ धोना पड़ेगा और इतना ही नहीं फिर पता लगाना भी मुश्किल होगा कि अमुक की जिम्मेदारी थी या नहीं ? अमुक को पकड़े या अमुक को इस प्रकार से तो और आड़ मिला करेगी। यदि हम ऐसी समिति बना लेंगे और वह समिति उस ओर लगातार पड़ी रहेगी कि यदि कहीं कुछ हो तो तुरन्त सुझाव दे और कार्यवाही करने के बारे में सरकार को कुछ कहे और कार्यवाही कर पाये तो मुमकिन है एक साल में, छः महीने में, तीन महीने में पता लग जावेगा और इतने साल तक जो चीजें चलती रही हैं वे आगे नहीं चल सकेंगी।

मैं आपका फिर कुछ महत्वपूर्ण चीजों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। किस प्रकार से भ्रष्टाचार को पनपाने का मौका राजस्थान सरकार के उत्तराधिकारी, मंत्रीगण, छानबीन न होने के कारण; राजस्थान सरकार के मन्त्रीगण देते हैं ? अभी परसों ही, माननीय उपाध्यक्ष, गंगानगर के शक्कर के कारखाने के बारे में प्रश्नोत्तर यहाँ हुए और मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि उस सिलसिले में जो जानकारी दी गई वह जानकारी छिपाई गई है और सत्यता को अलग किया गया है। किस लिए आखिर ? इसलिए कि गोलमाल सामने न आये। मैं तो बता सकता हूँ और निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि उस शक्कर के कारखाने के हिसाब की जाँच करने के लिए ए. जी. ओफिस का एक अधिकारी ए. ए. बी. गये। मैं निश्चित तौर पर बता सकता हूँ कि उसने लम्बी चौड़ी रिपोर्ट राजस्थान सरकार के पास पेश की है। मैं यह भी निश्चित तौर पर बता सकता हूँ कि उस रिपोर्ट में जो हिसाब लगाया गया है उसमें सब बातें हैं; मकान का किराया है, कारखाना कब बन्द रहेगा, डेप्रिसियेशन का हिसाब है, डिबेन्चर्स का हिसाब है और उसको कुछ नहीं देना पड़ा। उसकी ओर वह इस नतीजे पर पहुँचा है जितने भी हिसाब किताब हुआ उसके अनुसार इसको १ लाख और ६६ हजार के घाटे में गिना जाय। यह रिपोर्ट सेक्रेटेरियेट पहुँच गई फिर भी राजस्थान के मुख्य मन्त्री खड़े होकर कहने लगे कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं निश्चित तौर पर बता सकता हूँ कि वह रिपोर्ट राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के पास पहुँच चुकी है और उसने यह लिखा है कि "This is the deplorable state of affairs of the much talked concerns like the Ganganagar Sugar Mills" यदि यह सही नहीं है तो आप मेरा चेलेन्ज स्वीकार करें और कागजात सदन की मेज पर रखें। मैं आपको यह सूचना देता हूँ कि अगर गलत हो तो मैंने जो कहा है सदन उसके लिए कार्यवाही करें। गलत न हो तो इतने बड़े कान्ड को छिपाने के लिए राजस्थान सरकार का भरोसा न करते हुए एक समिति बनाये और इस प्रकार के मामलों को दुर्लक्ष्य करने वालों के बारे में कार्यवाही करे।

एक और घटना घटने जा रही है, माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान में : भ्रष्टाचार क्यों होता है, क्या है ? भ्रष्टाचार की चरम सीमा आ गई है। मैं छोटे-मोटे मामलों का तो जिक्र ही नहीं करूंगा। मैं जिसके बारे में कहने जा रहा हूँ उस विभाग का नाम है सिविल सप्लाइज़ विभाग। उस विभाग के आज तक हिसाब नहीं बने और कभी इसका हिसाब मान लीजिये कि बनेगा भी नहीं। कई अफसर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मुकर्रर किये गये फिर भी हिसाब किताब का कुछ पता नहीं। वे कहते हैं कि हिसाब रखने की जिम्मेदारी ए. जी. की थी और ए. जी. कहता है कि उनकी नहीं थी। लेकिन यह साफ है कि हिसाब नहीं बने हैं। पिछले वर्ष के आँकड़े हमारे सामने आये और उस पर आधे घंटे का वार्तालाप भी हुआ। पता चला कि तीन करोड़ और कुछ लाख रुपये सरकार द्वारा सिविल सप्लाइज़ विभाग को 'ग्रेन ट्रेडिंग स्कीम' के लिए दिया गया और इसमें से दो करोड़ की कमी हुई और यह कब हुई जब कि अनाज के ऊपर एक मन के पीछे पाँच रुपया करीब 'ओवर हेड चार्जेज़' लगाये गये थे। भारत सरकार के ये लिखित आदेश हैं कि २॥ परसेन्ट ही लगावें किन्तु राजस्थान सरकार ने पाँच रुपया लगाया और उसके हिसाब से कुल कितना मुनाफा होना चाहिए था, कहीं पता नहीं चलता। रुपयों का पता नहीं। यदि दस करोड़ का अनाज ही ट्रान्जेक्शन में होता है तो एक मन के पीछे कितना मुनाफा होना चाहिए, उसका भी पता नहीं और उल्टा असल माल में से दो करोड़ रुपया देने का सवाल आ गया। आखिर क्यों? कहां क्या हुआ, क्यों हुआ, पता नहीं लग सकता। जांच आज तक नहीं हुई।

फिज़ीकल वेरीफिकेशन आज तक पूरा नहीं हुआ। अधूरा करके छोड़ दिया गया और अधूरी रिपोर्ट दे दी गई। रजिस्टर में आज तक दर्ज नहीं हुआ; इसके बावजूद भी हम आज आँखें मींचे हुए हैं। पी. डब्ल्यू. डी. की मेज़रमेंट बुक में गलत इन्दराजात हैं। जोधपुर की एक ऐसी सड़क है जो बनी नहीं है किन्तु उसको मेज़रमेंट बुक में ले लिया गया और अब उस संबन्धी जांच भी चल रही है। आपको इस प्रकार की एक नहीं अनेकों मिसालें दे सकता हूँ जिसके बारे में हमारी वर्तमान सरकार ने खबरदारी नहीं ली है। आज हमें यह सोचना है कि अब ऐसा कौन-सा तरीका निकाला जाय जिससे मौजूदा शासन व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसे दूर किया जा सकता है? मौजूदा शासन व्यवस्था को 'नौकरशाही शासन व्यवस्था' कहना चाहिए। इस शासन-व्यवस्था में शायद ही पूरे तौर से, मुकम्मिल तौर से, भ्रष्टाचार मिट सकता है। भ्रष्टाचार का हल इस शासन व्यवस्था से हो नहीं सकता इसके लिए अपने को एक ऐसे शासन व्यवस्था की आवश्यकता है जो सरकार से ऊपर अधिकार रखने वाली संस्था हो, जो चुनी हुई संस्था हो, जिसको सम्पूर्ण अधिकार हो, जो पब्लिक सर्वेन्टस को बिना किसी कोर्ट के सामने ले जाये उसको सजा दे सके। लेकिन हम इस ओर जाते हैं या नहीं जाते हैं, जाते हैं तो किस रफ्तार से जाते हैं, यह प्रश्न एक बार के लिए अलग रख दिया जाय; किन्तु आज की हालत में हम क्या सुधार कर सकते हैं जिससे हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसमें कमी आ सके? इसके लिए यह किया जा सकता है कि हम एक ऐसी जाँच पड़ताल करने वाली, छान-बीन करने वाली, सरकारी अधिकारियों पर नजर रखने वाली, समिति बनायें। वह समिति सुझाव दे कि अमुक-अमुक मार्ग अपनायें जाँय। यह आवश्यकता इसलिए प्रतीत हुई कि आज इस भ्रष्टाचार में राजस्थान का उच्च से उच्च अधिकारी, मन्त्रीमण्डल के सदस्य तक शामिल हैं। यह मैं इस आधार पर कह सकता हूँ जो घटनायें हमारे सामने हुई हैं; जैसे जमीन के सिलसिले में, मशीन तकावी के सिलसिले में, ट्रन्क टेलीफोन के सिलसिले में, मकान किराये के सिलसिले में, जैसे रामप्रकाश सिनेमा आदि से एक पैसा भी वसूल नहीं हुआ है। अब तो यह भी पता चला है कि इस सम्बन्धी सेक्रेटेरियेट में जो फाइल थी वह भी अब गायब हो गई है। प्लॉटस बेचे गये हैं उसमें भ्रष्टाचार हुआ है; जिसमें न सिर्फ प्रोसीजर की गलती हुई है, बल्कि इसमें यह कह सकता हूँ कि इसके बोनाफाइडी में शक किया

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जा सकता है और ऐसी परिस्थितियां बाकायदा हुई हैं। अगर ऐसी परिस्थिति है जिसके बोनाफाइडी में शक करने की गुँजाइश हो तो फिर इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने अभी कहा कि इसका एक मेजर आपरेशन हो सकता है; हालांकि मैं भी इस बात से सहमत हूँ, किन्तु मेजर ऑपरेशन आज की परिस्थिति में किया नहीं जा सकता। मेजर ऑपरेशन की आवश्यकता है तो सही और मुझे उम्मीद है कि हम सबको इस नतीजे पर आना होगा; किन्तु आज जब कि हम मेजर ऑपरेशन नहीं कर सकते ऐसी स्थिति में कम से कम एक पेनीसिलिन का इन्जेक्शन तो अवश्य लगाना चाहिये ताकि जो रोग का मवाद है वह तो आगे न बढ़ सके। आज यद्यपि इस रोग को पूरी तौर से मिटाने का वक्त नहीं तो कम से कम इस बीमारी को बढ़ने न दें। इसका तो इलाज किया जा सकता है। इसलिए मैं मेरे मित्र द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ, समर्थन ही नहीं करता बल्कि उन्होंने राजस्थान के पीड़ित लोगों के प्रति जो कार्य किया है, हिम्मत करके जो प्रस्ताव किया है, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। आपके वक्तव्य से स्पष्ट पता चलता है कि आपको अपने पुराने क्षेत्र के प्रति कितनी सहानुभूति है, हमदर्दी है, किन्तु वर्तमान में जो उस क्षेत्र से चुनकर आये हैं वे इस ओर अवश्य ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मित्र को धन्यवाद देता हूँ और इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। मुझे शक है राजस्थान सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। किन्तु फिर भी मैं निवेदन करता हूँ कि राजस्थान सरकार इस प्रस्ताव को मन्जूर करके अपनी न्याय-प्रियता और भ्रष्टाचार विरोधिता का परिचय देगी। मुझे विश्वास तो नहीं कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वे अवश्य इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं फिर एक बार माननीय सदस्य द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्षजी, यह कमेटी बनाने का जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है उसके मायने थोड़े से लोगों ने गलत समझे हैं। कुछ लोग यह समझ रहे हैं कि कमेटी के बना देने से भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? यह प्रस्ताव कमेटी बना कर भ्रष्टाचार के रोकने का नहीं है; किन्तु भ्रष्टाचार रोकने के क्या-क्या साधन होंगे इस प्रकार के सुझाव देने लिए इस कमेटी का निर्माण किया जायगा। जहाँ तक सुझाव देने का ताल्लुक है यह प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है। इसको अवश्य पास करना चाहिए। अगर इसी प्रस्ताव द्वारा भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक कमेटी बना देते हैं तो मैं निश्चित तौर से विरोध करता हूँ। मेरे खुद का यह तजुर्बा है कि जितनी कमेटियाँ भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनी हैं या अन्य दूसरे काम के लिए बनाई जाती हैं वे खुद भ्रष्टाचार में फंस जाती हैं। मैं आपके सामने छोटा-सा उदाहरण देता हूँ जो जमीन के मामले में तहसीदार गोलमाल किया करते हैं, तो कांग्रेस मैनों ने शिकायत की कि जमीन के मामलों में तहसीलदार रिश्वत लेते हैं, इसलिए कॉंग्रेस मैनों की कमेटियाँ बना दी जाँय और इस तरह से हरेक तहसील में कमेटियाँ बना दीं, जिनमें कॉंग्रेस के आदमियों को रख दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष, मैं सच्चाई के साथ कहता हूँ कि पहले से रिश्वत ५० गुना ही नहीं हजार गुना बढ़ गई। आज किसान इनके कारनामों से बुरी तरह लुट रहे है। मैं आपके सामने एक कहानी रखता हूँ जिससे आपको पता चल जायगा कि यह रिश्वत कितनी मात्रा में कॉंग्रेसियों में बढ़ रही है।

[श्री गोपीलाल यादव]

भरतपुर जिले में एक कस्बा है कुम्हेर का। कुम्हेर का कस्बा किसी वजह से खास है। वह हजारों वर्षों से खास चला आ रहा है। वहाँ के लोगों को उसके पट्टे हो रहे है। ५०-५० और बीस-बीस साल से वे जमीन को जोतते आ रहे हैं। अभी हाल ही में पिछले सेशन में गवर्नमेंट ने जमीन के अलोटमेंट के रूल्स बनाए उसमें यह रख दिया कि 'अनऔक्युपाइड लेन्ड' हो वह २० बीघा से किसी के पास ज्यादा न हो। इस देश में बद किस्मति से समझिये आज काँग्रेस की सरकार है और वहाँ भी काँग्रेस मेनों की कमेटी बनी हुई है जो जमीन देती है। यह बात तहसीलदार की जानकारी में हैं कि कमेटी के लोगों ने हजारों रुपया रिश्वत का खाया है, किन्तु वह बेचारा तहसीलदार कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यदि वह कुछ करता है तो उसको यह डर बना रहता है कि कहीं उसका ट्रान्सफर बाड़मेर या जैसलमेर न कर दिया जाय। मैं मुख्य मन्त्री से निवेदन करता हूँ कि वे खुद इस बात की जाँच करें, इस प्रकार के जुल्मों की जाँच करें। जो लोग पचास-पचास चालीस-चालीस, साल जो जमीन काश्त करते आ रहे हैं, जिनके पास ३० बीघा जमीन है, तो उससे ६ बीघा जमीन ले ली जाती है। अगर उसके बाप के पास १३ बीघा है और उसके पुत्र के पास १७ बीघा है तो उनसे भी ६ बीघा जमीन ले ली जाती है जो बेचारे बीस-बीस साल से उस पर काश्त करते आ रहे हैं। इस तरह से जो जमीन बीसों वर्ष से एक व्यक्ति के हाथ रही है वह आज दूसरों को दे रहे हैं। आज इस प्रकार जमीन देने की जो कमेटी बनी है उसमें तीन सदस्य हैं जिसमें नायब तहसीलदार को भी रख लिया गया है। अकेले इस कस्बे में १० हजार रुपये की रिश्वत ली गई है। इससे मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि जितनी भी कमेटियाँ बनी हैं उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है। हमें इस प्रकार की कमेटियाँ न बनाकर ईमानदार आफिसरों के जरिये यह काम करवाने चाहिये। अगर आप कमेटी ही बनाना जरूरी समझते हैं तो आप यह ध्यान रखिये कि जो संस्था पॉवर में हैं उसके सदस्य उस कमेटी में न हो। अगर दूसरी पार्टियों के मेम्बर उस कमेटी में होंगे तो उन्हें कांग्रेसमैनों और कॉंग्रेस गवर्नमेंट का डर रहेगा और उनके एक-एक एक्शन्स पर गवर्नमेंट अपनी निगाह रखेगी। उनके पीछे बैकिंग नहीं होगा, तो वे काम ईमानदारी से करेंगे। आज तो मिनिस्टर लोग इन लोगों से डरते हैं, वे सोचते हैं कि अगर किसी प्रकार की रोक इन पर लगादी तो हमारी ये पी. सी. सी. में मुखालफत करेंगे। तो मिनिस्टर लोग यह समझते हैं कि चलो एक साथी को छोड़ दें जो किसानों को लूटता रहे और इधर हम सरकारी खजाने को लूटते रहें। अगर यह चीज नहीं होगी तो कमेटी ठीक ढंग से काम कर सकती है। अब प्रश्न यह होता है कि यह भ्रष्टाचार इस तरह दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसके लिये कुछ बुनियादी ऐसे कारण हैं कि जिनकी तरफ हमें पहला ध्यान देना चाहिये।

पहला एक कारण है देश की गरीबी।

दूसरा कारण है हमारी अन्दर की असमानता।

और तीसरा कारण क्या है? वह है छोटी तनख्वाह जो हम मुलाजिमों को देते हैं।

[श्री गोपीलाल यादव]

मैं आपको निवेदन करूं कि आज हरेक आदमी यह जानता है कि एक ही आदमी को यह अधिकार नहीं है कि वह अकेला एक इतनी बड़ी कोठी में रहे सके, कार रख सके और १० नौकर रख सके, अपने लड़के के लिए योग्य से योग्य शिक्षक रख सके, ऊंची से ऊंची शिक्षा दिला सके और बिलायत तक भेज सके, जबकि दूसरी तरफ दूसरा आदमी गरीबी की वजह से अपने बच्चों को नर्क में डाले; रखे, न अच्छा खा सकता है, न कार रख सकता है और न कोठी, बंगले में ही रह सकता है, अपने जीवन में न आगे बढ़ सकता है, न एम. एल. ए. बन सकता है, क्योंकि इन सबके लिए पैसा चाहिए और पैसा उसके पास है नहीं। आज लोग एम. एल. ए. शिप के लिए खड़े होते हैं तो २० हजार रुपया खर्चे के लिए चाहिए। अब इसके लिए या तो वह सेठों की गुलामी करे या बेईमानी करे। अगर बेईमानी करके पैसा इकट्ठा नहीं करता है तो पड़ा रहे गड्ढे में, कोई नहीं पूछेगा उसे। तो यह है हमारी आज की व्यवस्था शासन की और समाज की। यह व्यवस्था इस किस्म की है कि हम बरबस बेईमानी की ओर जाते है, यह व्यवस्था हमें बेईमानी की ओर धकेलती है। तो इस भ्रष्टाचार का उन्मूलन जब तक यह व्यवस्था रहेगी हो नहीं सकेगा। इसके लिए तो जब तक हम समाज में एक फेमिली वातावरण नहीं पैदा कर लेंगे तब तक कोई सही हल नहीं निकल सकता। हरेक आदमी यह समझे कि दूसरा आदमी हमारा खास भाई है, सारा देश हमारा है सारे समाज के भाई मेरे सगे भाई जैसे हैं, देश में समाज में रहने वाला हर व्यक्ति ऐसा है कि जैसे एक माँ आप की कोख से पैदा हुए बेटे। जिस तरह से एक भाई अपने दूसरे सगे भाई के साथ बेईमानी मुश्किल से करता है, उसी तरह सबको अपने ऐसे ही भाई समझ लेने पर एक दूसरे की जमीन बेईमानी से छीनने की कोशिश नहीं करेगा, एक दूसरे हक को मारकर अपना स्वार्थ साधन करने का प्रयत्न कोई नहीं करेगा।

इसके अलावा आप किसी एक छोटे कर्मचारी की तरफ देखते हैं तो एक कर्मचारी है जो रिटायर होने जा रहा है, वह समझता है कि मुझे पेन्शन नहीं मिलेगी, मिलेगी तो बहुत थोड़ी मिलेगी, इसलिए कम से कम जब तक नौकरी में हूँ और मौका है यहाँ मुझे, तो कम से कम बीस हजार तो इकट्ठा करके रख लूं ताकि रिटायर होने पर सहारा लगे, खुद भी अच्छी तरह से खाव और बच्चों को भी खिलाव-पिलाव, उनको पढ़ाना लिखाना भी पड़ेगा तो उसका प्रबन्ध आसानी से कर सकूंगा।

इसी तरह से एक छोटा कर्मचारी है। आप दो हजार रुपये माहवार अपने पर खर्च कर रहे हैं पर आपका एक छोटा कर्मचारी है जिसको आप तीस रुपया मासिक ही दे रहे हैं और दिल में आप जरा भी नहीं सोचते कि यह बिचारा इन तीस रुपयों में क्या तो अपना पेट भरेगा और क्या अपने बाल-बच्चों को पालेगा-पोसेगा, और उन्हें लिखावेगा-पढ़ावेगा ? क्या करेगा ? मुझे ताज्जुब होता है कि आपका दिल कैसा पत्थर सा है जो कभी यह हिसाब तक नहीं लगाते कि जब हम अपने लिए हजार रुपया तनख्वाह मुकर्रर करते हैं, काफी अलाउन्स; फ्री बंगला, कार और काफी टी. ए. डी. ए. लेते हैं और दूसरी तरफ एक चपरासी को या एक छोटे स्वीपर को हम बीस, तीस और चालीस रुपया देते हैं तो यह हिम्मत कैसे कर सकते हैं आप ? इतनी सी रकम से उसके खाने पीने और पहनने ओढ़ने का

[श्री गोपीलाल यादव]

भी खर्च नहीं चला सकेगा, तब फिर वह कैसे अपने बाल बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध कर सकेगा, कैसे अपनी जिन्दगी को बनाये रख सकेगा, क्या करेगा इस छोटी सी तनख्वाह में वह ? इसके मानी यह हैं, कि तनख्वा काफी नहीं है, एक आदमी के लिए भी तो हमने उनको छूट दे रखी है, इस भांति कि तुम पब्लिक को लूटो, बेईमानी से अपना खर्च चलाने के लिए रुपया जनता से लूटो और खाओ; हम सरकार के खजाने को लूटते हैं और तुम पब्लिक को लूटो।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक आप समानता देश में नहीं लावेंगे तब तक हर्गिज नहीं मिट सकेगा यह भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार को तो आज आपके बर्ताव के ढंग, आज के शासन के ढंग और समाज की आज की स्थिति बढ़ावा देते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं दो-चार बातें और बता देना चाहता हूँ। हमको करना क्या है ? हरेक आदमी के अन्दर एक चीज पैदा कर देनी चाहिये कि जिसमे वह यह समझे कि यदि मैं बच्चा हूँ तो मुझे शिक्षा मिलेगी, राज्य मेरी शिक्षा का प्रबन्ध करेगा और अगर मैं योग्य हूँ तो ऊंची से ऊंची शिक्षा पा सकूंगा। जिस वक्त जवान होऊंगा तो मुझे निश्चित रूप से काम मिलेगा, मैं अनएम्प्लोयड नहीं रहूँगा और जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे निश्चित रूप से खाने-पहिनने के लिए राज्य से सहायता या पेन्शन मिलेगी; उसके बगैर मैं रह नहीं सकता। तो जब तक आप लोगों में यह बात पैदा नहीं कर देते हैं और इस तरह का भरोसा या विश्वास उनके दिलों में नहीं जमा देते हैं तब तक आप भ्रष्टाचार को मिटा नहीं सकते हैं और यह मेरी राय है कि इसकी तरफ आपने एक कदम भी उठाया नहीं है, इसको मिटाने के लिए। जब तक हम इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देते तब तक भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करना हमें शोभा नहीं देती।

हम करने क्या रहे हैं ? पहले के जमाने में लोग एक काम करते थे। वह क्या करते थे ? लोगों का ध्यान इस तरफ न जावे इस वास्ते ईश्वर भक्ति उनमें पैदा करने की कोशिश करते थे और कहते थे कि भगवान ने तुमको भूखा बना दिया है, तुम भूखे रहो; परमात्मा की स्तुति करो, उसको खुश करो। तुम्हारे पूर्व जन्म के ऐसे ही अशुभ कर्म थे जिनका फल तुम्हें इस जन्म में भूख और गरीबी के रूप में मिला है। परमात्मा का इसलिए इस जन्म में नाम लो। तुम्हारे कर्म अच्छे हो जावेंगे तो अगले जन्म में तुम्हें यह दुख नहीं रहेगा। अगर तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होते तो तुम इस जन्म में मालदार होते, किसी राजा या सेठ के घर जन्म लेते, पर तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम गरीब हो, तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है, तुम इन कर्मों के फल के सामने अपने को सरेन्डर करो। तो इस तरह से पुराने जमाने में इस स्थिति का इस रूप में मुकाबला करते थे।

पर अब लोग यह समझ गये कि यह कर्मों के फल का ढकोसला तो इन मालदार और बड़े बड़े सत्तावालों का तरीका था हमें लूटने का और हमें मूर्ख बनाये रखने का। पहले कहा जाता था कि भूखों मरना भी हमारी किस्मत में है, पर अब लोग समझने लग गये हैं कि भूखों मरना हमारी किस्मत

[श्र० गोपीलाल यादव]

नहीं है। अब तो उनको यह कहा जाता है कि ऐसी भी एक दुनिया है जिसमें सब समान नजर आवेंगे।

तो मेरा कहने का मतलब है कि ईश्वर-भक्ति वाली चीजें जब हमने खत्म कर दीं तो या तो फिर से उन्हें आप ईश्वर भक्त बना दीजिये और अगर ईश्वरभक्त बन गये तब भी ईमानदारी से काम करें तो अच्छा है। पर अगर आप ईश्वर भक्त नहीं बना सकते जैसा कि आपका आज का रुख देखते हुए इसमें सन्देह ही है कि आप ईश्वरभक्त बनावेंगे तो कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिये फिर, अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो फिर आपके कोई उपदेश को सुनने को तैयार नहीं है।

तो ऐसी स्थिति में दूसरा तरीका कौनसा ठीक है? गरीबी को ठीक करिये। हरेक आदमी को एम्प्लोयमेंट दिलाने का विश्वास दीजिये। उन्हें यह आप विश्वास दिलाइए कि बच्चा होगा कोई तो शिक्षा आदि से वन्चित नहीं रहेगा, जवान होगा तो काम मिलेगा, बिना काम कोई नहीं रहेगा और बूढ़ा होगा तो भूखों नहीं मरेगा। यह इतमिनान आप सबको दिला दीजिये। इसके बाद फिर अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ मिलता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिये; जुर्माने की सजा नहीं, जेल की सजा दीजिये।

आज का 'एन्टी करप्शन विभाग' आपका क्या करता है? एक स० इन्सपेक्टर साहब थे, नाम उनका नहीं बतलाना चाहता मैं, ईमानदारी से अपना काम करते थे। वहाँ के कुछ कार्यकर्ता उनके पास कोई सिफारिश लेकर जाते थे तो उनको उसने नहीं माना। नतीजा यह हुआ कि वे कार्यकर्त्ता एस. पी. के पास पहुँचे और कलेक्टर के पास भी पहुँचे। कुछ करेन्सी नोटों पर दस्तखत कराये और आप सच समझिये कि वह इन्सपेक्टर अपने मकान पर जब मैदान में सोया हुआ है उस घर से बीस कदम फासले पर तब एक आदमी आता है और उसकी चारपाई के पैताने की ओर सौ सौ के दो नोट रख देता है और वह भाग जाता है और फिर वहाँ से अफसर लोग पहुँचते हैं उसके पास एक मिनिट बाद ही और पैताने की ओर वे नोट उनको मिल जाते हैं। वह आदमी सोया हुआ है और पैताने की ओर वे नोट मिलते हैं। इस बात की तस्दीक है मजिस्ट्रेट की। अगर वह रिश्वत ही लेता तो सिरहाने की तरफ रखता। पर इसके बाद वह सस्पेन्ड हो जाता है। मजिस्ट्रेट यह तस्दीक करते हैं और सस्पेन्ड भी वह हो जाता है।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 'एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट' के जरिये से जो हम इसको बन्द करने की बात कर रहे हैं इसके बारे में मेरे एक मित्र खेर साहब का यह कथन मुझे याद आ जाता है कि इस एन्टी करप्शन विभाग के पीछे भी हमें एक और 'एन्टी एन्टी करप्शन विभाग' रखना पड़ेगा। इसलिए जब तक आप इस समाज में फैली हुई, इस शासन में फैली हुई व्यापक असमानता की विषमता को दूर नहीं करेंगे और जैसा कि कहावत है 'charity begins at home' के अनुसार

[श्री गोपीलाल यादव]

काम करने को आप तैयार नहीं होंगे तब तक यह भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। सौ फी सदी ईमानदार आपको नहीं मिलेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। यह कमेटी अगर आप बनावेंगे तो वह इन सारे मामलों पर काफी वाद-विवाद के बाद सोच समझ कर एक स्कीम, एक योजना, सरकार के सामने रखेगी जो बहुत उपयोगी होगी। इसलिए इस प्रस्ताव को तो पास कर देना चाहिए।

राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—On point of information, Sir, मैं पूछना चाहता हूं कि प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस के लिए एक दिन और दिया जावेगा या आज ही सारा काम ले लिया जावेगा और अगर समय नहीं दिया जाता है तो रेजोल्यूशन बहुत से हैं और इसी एक प्रस्ताव पर डिबेट काफी हो चुकी है। क्लोजर मूव करके आगे कार्यवाही की जाय तो दूसरा काम पूरा हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—आज का दिन तो रेजोल्यूशन के लिए रखा है और कल का रखा गया है प्राइवेट बिलों के लिए।

श्री तेजपाल—उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी गोपीलालजी ने कमेटी के सम्बन्ध में कहा है उसमें मुझे आपत्ति उठानी पड़ती है; क्योंकि एक जिम्मेदार आदमी होते हुए भी उन्होंने ऐसा बयान दिया। वह दे सकते हैं वकील की हैसियत से, क्योंकि वकालात का काम करते हैं इस वजह से। उनके द्वारा यह बतलाया गया है कि जो जमीन कुम्हेर की तहसील में ऐसे आदमियों को दी गई है जो कि पैसे वाले हैं; मैं बताऊं कि जो भी जमीन दी गई है वह भूमिहीन काश्तकारों और गरीबों को दी गई है। यहां सरकार के पास वे बड़े-बड़े पूंजीपति जमीन की माँग करने के लिए आये थे कि जमीन उनको दी जाय।...

श्री गोपीलाल यादव—यह कहना गलत है। मैंने यह नहीं कहा है कि मालदारों को दी गई है लेकिन जिनको दी गई है उनसे पैसा लिया गया है।

श्री तेजपाल—यह बिल्कुल गलत बात है। इस तरह से किसी को पैसा लेकर जमीन नहीं दी गई है। गरीबों के पास पैसा है कहां; जो जमीन पैसा देकर खरीद सकें? वह वकील हैं यह बात कह सकते हैं। आपका वकालत का पेशा है।

दूसरा यह भी बतलाया गया है कि कमेटी के अन्दर जो भी कांग्रेसमेन रखे जा रहे हैं वह ठीक नहीं है। चाहे दूसरे आदमियों को रखा जाय; वह कांग्रेसमेन से और भी शायद गलत कदम उठाने वाले हों, और ज़्यादा रिश्वत लेने वाले हों। एक पार्टीवालों को ही क्यों मेम्बर रखा जाय?

[श्री तेजपाल]

भरतपुर में शायद गोपीलालजी आते नहीं हैं। कभी-कभी तो आते ही हैं। मैं तो विशेष तौर से एक ही क्षेत्र से हूँ, लेकिन घूमता सभी क्षेत्रों में हूँ। सारे क्षेत्रों की जानकारी और अनुभव शायद आपसे ज्यादा है। आप वकालत के रूप में सुनते रहे हैं। सुनी-सुनाई बातें जो होती हैं वे गलत होती हैं, लेकिन जो साफ देखी जाती हैं और उनकी जानकारी की जाय तो वे बातें सही हो सकती हैं, और इस बात में मेरा इतना ही कहना है कि जो कुछ भी आक्षेप लगाये जाँय वह इस तरह से नहीं नहीं लगायें। जो कुछ लगाये जांय वह सोच-समझ कर लगाये जाँय।

श्री भैरोंसिंह (वि० ६० १६)—उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो अपना प्रस्ताव रखा है......

कई माननीय सदस्य—किशनगढ़ से नहीं, परबतसर से।

श्री भैरोंसिंह—परबतसर से। वे दोनों जगह का प्रतिनिधित्व करने को तैयार हैं, इसलिए मुझे किशनगढ़ का नाम याद रह गया था। जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार सदन के सामने रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भ्रष्टाचार नाम की बीमारी इस प्रान्त में ही नहीं सारे देश में जो व्याप्त है उस बीमारी को दूर करने के पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस बीमारी की उत्पत्ति किस जगह से है और जब हमें यह मालूम हो सकेगा कि यह उसकी उत्पत्ति का स्थान है तो उस उत्पत्ति के स्थान को किस प्रकार से नष्ट किया जाय ? यह हमारे सामने विचारधारा जब स्पष्ट रूप से आ गई तब समझें कि इस बीमारी को दूर करने में किस प्रकार से तत्पर हो सकेंगे। लेकिन पूर्व इसके कि हमें बीमारी के उत्पत्ति स्थान का कोई पता नहीं लगे और बीमारी का कुछ असर देखकर उस बीमारी के उत्पत्ति के स्थान की तलाश नहीं करें और ऊपरी बातों को दूर करने का प्रयत्न करें तो हो सकता है कि यदि व्यवस्था कड़ी की जाय तो उसके कारण ऊपरी बातों को रोकदें, लेकिन उत्पत्ति के स्थान को नष्ट करदें और कीड़े पैदा नहीं हों और इस प्रकार की बीमारी फिर पैदा नहीं हो, ऐसा नहीं होगा।

हमारा देश गुलाम था और देश में स्वतन्त्रता संग्राम चल रहा था। उस वक्त विदेशी हुकूमत करने वालों ने यह सोचा कि इस देश में अनैतिकता का बोलबाला नहीं किया जायगा तो देश को आजाद करने की जो एक मांग प्रस्तुत होती जा रही है उस माँग को किसी प्रकार कुचला नहीं जा सकेगा। इस माँग को कुचलने के लिए उन्होंने यह आवश्यक समझा कि आज हम जिस जगह हुकूमत कर रहे हैं वहाँ से वह सेना नहीं ला सकते हैं और न इस प्रकार की ताकत जुटा सकते हैं कि जिस ताकत के आधार पर इस देश के लोगों को दबाया जा सके और इस प्रकार दबाया जाकर इस स्वतन्त्रता संग्राम में बाधा उपस्थित की जा सके। उन्होंने यह सोचा कि इस देश के लोगों के जरिये ही इस देश के स्वतन्त्रता संग्राम को खत्म करने के लिए किस प्रकार से उनको कुचला जाय, इस प्रकार की योजना बनानी

[श्री भैरूंसिंह]

चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत ही इस देश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त हो, उसी प्रकार के तरीके हमको करने चाहिए।

आज हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे देश के लिए, हमारे देश को आजाद कराने के लिए, देश के लिए आजादी के संग्राम में लड़ने वालों को कुचलने के लिए कोई किस्म का साधन बाकी नहीं छोड़ें। यह उन्हीं लोगों की देन है। इस देन में सारे देश के अन्दर शिक्षा की जो पद्धति अपनाई है वह भी यहीं थी कि इस संग्राम में किसी प्रकार की उलझनें डाल दी जाँय। उन्होंने सोचा कि जैसी कि शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ थी उसमें परिवर्तन कर दिया जाय ताकि जो लोग, जो देश में नैतिक वातावरण था, जो देश में स्वतन्त्रता संग्राम छिड़ा हुआ था, जो देश को आजाद कराने पर तुले हुए थे, उन लोगों में ऐसा वातावरण निर्माण कर दिया जाय कि वह इस देश को गुलाम रखना पसन्द करें। तो यह एक मार्ग अपनाया कि शिक्षा पद्धति में इस प्रकार का परिवर्तन कर देना चाहिए और ऐसा किया गया।

इस बारे में कि राजस्थान में इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है तो आपने चाँद की रोशनी में देखा, मंगल के सितारे की रोशनी में देख लिया और जो कुछ बाकी रहा वह सूरज के प्रकाश में हमारे सामने आया। इसका सारा तात्पर्य यह है कि आज राजस्थान में इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। यह चीज़ इस तरह से व्याप्त हो गई है कि उसके सुनने की और कहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस बात को टालने का प्रयत्न करने के बजाय इस बीमारी को जल्दी से जल्दी दूर हो, इस बात का प्रयत्न हो, ऐसी सब की इच्छा है।

माननीय उपाध्यक्षजी, एक वक्ता ने अभी-अभी यह भी कहा था कि देश के अन्दर भुखमरी को दूर किया जाय, देश के अन्दर कर्मचारियों की तनख्वाह ज्यादा बढ़ाई जाय, और जितनी चीजें उनके लिए रखी जाँय तो बहुत मुमकिन है कि देश के अन्दर भ्रष्टाचार दूर हो। राज्य के कर्मचारियों में इतना भ्रष्टाचार नहीं है कि जितना कि हमारे कार्यकर्ताओं में। उन कार्यकर्ताओं को खास-तौर से सरकार की मुलाजमत में रखा जाय तो वह भी उस बीमारी से दूर नहीं हो सकेंगे, जिस बीमारी का सब के ऊपर सामूहिक लाँछन है।

हमारे देश में कभी वह भुखमरी का जमाना भी हुआ है और देश के लोगों ने कम तनख्वाहों में काम किया। आज जैसी परिस्थिति है कि दो साल पहले पाने वाली तनख्वाहों से आज दुगनी तिगुनी तनख्वाह हो गई है। उसके बाद में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह तनख्वाहों में वृद्धि हुई है उसी तरह यह मैं मान्यता रखने को तैयार हूँ कि उससे ज्यादा भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। यह कहना कि तनख्वाह ज्यादा करने से या भुखमरी को दूर करने से या अन-एम्प्लायमेंट को दूर करने से इस प्रकार की समस्या या बीमारी दूर हो सके, मैं इस चीज को मान्यता देने को तैयार नहीं हूँ। मेरी मान्यता है कि जब तक हर घटक का चरित्र उज्जवल न किया जाय और चरित्र को उज्जवल करने वाला कार्यक्रम समाज के सामने न रखा जाय तो उस बीमारी को हम दूर

[श्री भैरूंसिंह]

नहीं कर सकते हैं। आज सरकार के रास्ते में कोई बाधा हो तो मैं समझता हूँ कि अगर सरकार इस प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हो जाय तो सरकार के सामने ऐसी कोई बाधाएं नहीं रह सकती हैं। शासन व्यवस्था को लेकर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह एक मामूली चीज है। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस बीमारी का पहले के लोगों ने स्वप्न नहीं देखा था। पहले की तरह भ्रष्टाचार के मामलों में जो सजा पाये, उसे अंगविहीन किया जाय, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाय, उसके बाद हमारे देश में वे लोग आए तो उन्होंने सजा का जो दन्ड विधान बनाया है उसमें इस तरह से है कि कहीं रिश्वत दी जाय तो वह रिश्वत देने वाला उसकी रिपोर्ट नहीं कर सके, इसलिए जितनी सजा रिश्वत लेने वाले को रखी है उतनी ही सजा रिश्वत देने वाले को मिलेगी। रिश्वत देने वालों के सामने कई प्रकार की मजबूरियाँ होती हैं, उन मजबूरियों के कारण बाध्य होकर सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देना पड़ता है, लेकिन वह रिश्वत देने वाला कहीं शिकायत न कर दे उस शख्स के खिलाफ और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो; तो हमारे दन्ड विधान में इस प्रकार की सजा रखी गई कि रिश्वत देने वाले को भी उसी प्रकार की सजा मिलेगी जो कि रिश्वत लेता है। इसलिए हमारे यहाँ यह प्रोवीजन रखा जाय कि जो रिश्वत देता है, अगर वह सरकारी अफसरों के सामने आकर शिकायत करे तो उसको वह सजा नहीं मिलनी चाहिए।

इसके बारे में सरकार के सामने हमारी लोकपरिषद् में सरदार हुकमसिंह ने यह प्रस्ताव रखा था कि जितने भी राज्य कर्मचारी हैं और मिनिस्टर्स हैं उनसे उनकी सारी सम्पत्ति का स्टेटमेंट मांगा जाय। जिस वक्त राज्य कर्मचारी उस पद पर आते हैं, जिस वक्त वह मन्त्री बनते हैं या सार्वजनिक ओहदा लें, उस वक्त क्या सम्पत्ति थी और अब संपत्ति क्या है ? अगर वह बढ़ी है तो उसके बढ़ने का जरिया क्या है ? उस वक्त पालियामेंट में इसकी चर्चा चली थी, लेकिन आज तक कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं हुआ। 'एन्टीकरप्शन एक्ट' जो सेन्ट्रल लेजिस्लेचर के जरिये बना है, उसमें भी यह बात दर्ज नहीं है कि रिश्वत देने वाले को किस तरह की सजा मिलेगी और जो रिश्वत लेगा उसको किस तरह की सजा मिलेगी ? नतीजा यह होता है कि रिश्वत देने वाले को और रिश्वत लेने वाले को किसी तरह की सजा नहीं मिलती है।

राजस्थान में भ्रष्टाचार का जो चित्रण पूर्व वक्ताओं ने किया वह बिल्कुल ठीक है। मैं स्पष्ट बताऊँगा कि छोटे-छोटे कर्मचारियों तक ही यह सीमित नहीं है, बल्कि ज्यों-ज्यों ऊपर के पद बढ़ते हैं त्यों-त्यों रिश्वतखोरी की मात्रा भी बढ़ती जाती है। इस सदन में भी पहले चर्चा हुई थी और और ऑडिटर जनरल ने भी चर्चा की थी कि पोलो विक्ट्री सिनेमा के मालिक को मकान बनाने के लिये कुछ सम्पत्ति सरकार की ओर से कर्जे के रूप में दी गई थी और वह सम्पत्ति तीन लाख रुपये थी। सन् ५१ में उसकी ओर ध्यान दिया गया था। ऑडिटर जनरल ने इस बात की रिपोर्ट की थी कि सरकार की तरफ से रुपये वसूल करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है और आज तक कोई कार्यवाही वास्तव में नहीं की गई। सरकार को चाहिए था कि उन रुपयों की वसूली की कार्यवाही करती। इसके बावजूद मुझे अभी तीन दिन पहले खबर मिली है कि सरकार ने ठिकाना पचावरे के तीन लाख रुपए और उसको देने का वादा किया है और अभी मुझे सूचना मिली है कि

Page No.63

[श्री भैरूं सिंह]

बैंक के जरिए उसको रुपए मिल गए हैं। इसमें किसी का पक्षपात है या किसी न किसी रूप में उससे रुपए लेने के लिए यह किया गया है। मैं नहीं कह सकता कि किस व्यक्ति का इसमें हाथ है या किस अधिकारी की इसमें देन है। यदि दरअसल में शासन व्यवस्था ठीक करने की नीयत होती और भ्रष्टाचार रोकने की नीयत होती तो ऐसा व्यक्ति जो रुपए पहले से ही खाये हुए बैठा है, एक ठिकाने के रुपए क्यों दिये जाते जो सरकार के कोर्ट ओफ वार्ड्स (wards) के मातहत सुरक्षा के लिए किया हुआ है। इस व्यक्ति को जो रुपये दिए जाते हैं, हो सकता है कि उसमें बड़े-बड़े आदमियों का हाथ हो। इसमें किस प्रकार की नीयत है यह साफ जाहिर होता है। एक तरफ तो आप बुराई को रोकना चाहते हैं और दूसरी तरफ बुराई को प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह एक बड़ी भारी समस्या है। यदि सरकार यह कहे कि ऐसे काम को रोकने के लिए जनता का सहयोग नहीं है तो मैं यह कहूंगा कि आप ऐसी हरकतें करते हैं तो जनता का सहयोग नहीं मिल सकेगा। यदि जनता का सहयोग नहीं मिलता तो भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि आप इस बुराई को रोक नहीं सकते। चीन में १४ आदमियों को भ्रष्टाचार के लिए फांसी की सजा दी गई है। यूरोप और अन्य देशों में रिश्वत का नाम नहीं है और यदि कोई रिश्वत लेता है तो रिश्वत लेने वाले को खड्डे में गाढ़ दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का काम करने की नीयत नहीं है।

आपने एन्टी-करप्शन कमेटी बनाई, लेकिन उसका क्या हाल है? जिस समय किसी की शिकायत की जाती है इस विभाग के सामने तो वे लोग दौड़-धूप करके किसी तरह से पता लगाते हैं; चाहे वह कमेटी खुद वैसी ही भ्रष्ट क्यों न हो। लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि वे इस बात का पता लगाते हैं कि किस मामले में किसने, किस जगह और कितना गोलमाल किया है? उसका वे पता लगाते हैं। लेकिन उनके सामने भी एक अड़चन आती है। वे जाँच करके हैड ओफ डिपार्टमेंट के सामने अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, हैड ऑफ डिपार्टमेंट अपने विभागीय अफसर द्वारा फिर उसकी जाँच करवाता है। एक दफा तो एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट ने जाँच की और दुबारा फिर हैड ऑफ डिपार्टमेंट द्वारा उसकी जाँच की जाती है। इसका तात्पर्य यह होता है कि शिकायत करने वाले को किसी तरह से परेशान किया जाय। यही नहीं होता, बल्कि नतीजा यह होता है कि जिस अफसर की शिकायत की जाती है वह अफसर जब सुनता है कि उसके खिलाफ जाँच शुरु हो गई है; उस दिन से वह इस बात की धुन में होता है कि किस तरह उस आदमी को नीचा दिखाया जाय और किस तरह से उसे झूठे मुकद्दमे में फसाया जाय और किस तरह से उसका बदला लिया जाय? जिस तरह से सप्लाई डिपार्टमेंट और सेटलमेंट डिपार्टमेंट को लिया उसी तरह से एक-एक डिपार्टमेंट को लिया जाय तो बहुत कुछ मिल सकता है।

जो कमेटी बनाई जाय वह इस उद्देश्य को लेकर बनाई जाय कि हमें जनता और कर्मचारियों का चरित्र निर्माण करना है। चरित्र निर्माण के लिए यदि हम ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च करें तो भी कोई बात नहीं है। कुएं, तालाब आदि जनहित में जो हम खर्च करते हैं, उसी तरह यदि हम चरित्र निर्माण के कार्य में भी खर्च करें तो ऐसी धन-राशि को मन्जूर करना अनुचित नहीं

[श्री भैरूँसिंह]

होगा। आज मानते हैं कि सरकार के सामने कई बड़े-बड़े महत्वपूर्ण काम शासन व्यवस्था के हैं इसलिए शायद कम समय मिलता होगा। लेकिन इस तरह की महामारी और भयंकर बीमारी को दूर करने की भावना जरूर रखते हैं तो उनके काम में हाथ बंटाने वालों की कमी नहीं होगी। एक योजना बनानी चाहिये जिसके मातहत काम होना चाहिए। इस भ्रष्टाचार की उत्पत्ति किस तरह हुई है, वृद्धि किस तरह हुई है और किस तरह इसको खतम किया जा सकता है; इसकी पूरी रिपोर्ट रखें और फिर सरकार उसको अमल में लावे। इससे शासन में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह कम हो जायगा। यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। इस चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता। यदि सरकार को संकोच है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे तो यह कमिटमेंट होगा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यदि वे सही बात को स्वीकार करेंगे तो हमारे देश में, प्रान्त में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको रोकने के उपाय भी किये जा सकेंगे। इसको रोकने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि निश्चित रूप से यह बीमारी दूर हो जाय।

श्री किशनलाल शाह— उपाध्यक्ष महोदय, आज का विषय है भ्रष्टाचार। 'भ्रष्ट' और 'आचार' दो तरफ से संधियुक्त जो संधि है वह विवाद का विषय है और जो प्रस्ताव की भाषा है, "शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये योजना बनाने के हेतु कमेटी का निर्माण किया जाय", भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये योजना बनाने के लिये, इस फ्रेजोलोजी का डबल इंटरप्रिटेशन किया गया। विवाद के दौरान में एक व्याख्या श्री गोपीलालजी यादव ने की थी और उन्होंने यह व्याख्या की कि भ्रष्टाचार को दूर करने के तरीके बनाने के लिये कमेटी की मांग नहीं की गई है लेकिन योजना बनाने के लिये समिति का सुझाव है। मेरा ख्याल है कि इस भाषा के पीछे यह ध्वनि नहीं निकलती और न सम्भवतः प्रस्तावक महोदय के विवाद में भी प्रस्ताव को पेश करते समय यह व्याख्या है। यह भी उचित नहीं होगा कि वादविवाद का प्रश्न चले तो उसमें एम्प्लोयमेंट, डिस्बर्समेंट ऑफ पब्लिक फंड्स, एप्रोप्रियेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, एक्सपेन्डीचर ऑफ पब्लिक फंड्स, डिलेइन डिस्पोजिशन ऑफ केसेज़, दि मोडऑफ इन्क्वायरी इन दि कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स और इसके अलावा नौन एग्जिक्यूशन ऑफ लॉ, इनेक्टमेंट, रूल, ऑर्डर और एनी लिट्रेचर बाइन्डिंग अगेन्स्ट दि ऑफिशियल इन दि डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक कंडक्ट; इन सारी बातों पर प्रकाश डाला गया और उसके बाद उन कारणों में जाने की भी कौशिश की गई। इसमें कुछ ऑफिशियल्स के ग्रेड्स कम होने की वजह से, उनकी तनख्वाह कम होने की वजह से गवर्नमेंट की मशीनरी में जो लोग हैं उनमें भ्रष्टाचार है और कुछ यह बताया गया कि ऊपर से भ्रष्टाचार उतरता है और कुछ यह भी बताया गया कि नीचे से भ्रष्टाचार उठता है और इसमें पुराने फेक्टर्स हो सकते हैं, कुछ अट्रेक्टिव फेक्टर्स हो सकते हैं; कुछ पुराने, कुछ कयासी, कुछ परटिकुलर रखे गये अपनी योजना के मुताबिक और कुछ सही माने में और जिसका मेंटल कंसीडरेशन सही है और सिर्फ अयोग्यता के कारण से इस बदलते हुए युग के साथ आ रहे हैं लेकिन सोशियोलोजिकल इन्टरप्रिटेशन ऑफ इनेक्टमेंट जो हिस्टोरीकल नेसेसिटी है उसके प्रतिकूल कोई प्रोग्राम मानसिक, मेंटल मेकअप जिसकी वजह से मशीनरी ऐसी हुई है, नहीं है।......

[श्री किशनलाल साह]

इस वजह से सारी बातें करने के बाद यह आया कि इसका कारण हमारी अनैतिकता है। नैतिकता में यह कहा गया कि ऊपर से, मिनिस्टरों से लेकर मशिनरी के जो कल पुर्जे हैं उनको और एम. एल. ए. की परम्परा से पब्लिक को शुरू से ऊंचा उठाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय. मैं इससे यह नतीजा निकालता हूँ कि यह जो भ्रष्टाचार शब्द है, इसकी एक बहुत विस्तृत व्याख्या वाद-विवाद में की गई और उसको मद्देनजर रखा जाय तो उपाध्यक्ष महोदय, इस भ्रष्टाचार में पब्लिक सर्विस कमीशन, विधान सभा, जुडिशियरी, एग्जीक्युटिव अर्थात् लेजिस्लेचर ओफ दी स्टेट, इसकी तीन शाखाएं हैं। इन शाखाओं के मातहत एग्जीक्युटिव काम करने वाली मशीनरी है। इसमें विधान सभा के मेम्बर और पब्लिक के मेम्बर भी शामील आ जाते हैं, ऊपर वाले भी शामिल हो जाते हैं। इसको देखते हैं तो इसमें हाई कोर्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान सरकार, केन्द्रीय गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ये सब आ जाते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दिमाग में यह शक है कि क्या यह समिति उन सारी बातों पर विचार कर सकेगी, उसका अधिकार भी है, उसकी सीमा कहाँ तक है ? इन बातों को देखते हुए मैं विनम्रता के साथ कहूँगा कि यह प्रस्ताव अपूर्ण है, अधूरा है। यह चीज हुई तो हमारे राजस्थान के स्तर पर इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए माँग की जाती है तो जो इन्टरप्रिटेशन यादवजी ने दिया है वह उल्टा पड़ जाता है और सही माने में इस प्रस्ताव का अर्थ यह हो जाता है कि इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक कमेटी मुकर्रर कर दी जाय, जिस कमेटी के इन्चार्ज मिनिस्टर कन्सर्न्ड या आई. जी. पी. हो सकता है। इससे काम नहीं चलता है तो इससे ऊपर विधान सभा है; उसकी कमेटी मुकर्रर कर दी जाय। तो यह दो इन्टरप्रटेशन निकल जाते हैं। इस स्तर पर आते हैं तो मैं निवेदन करूँगा कि इसमें भी देखना है कि कहाँ तक सही है ? इस सारे काम के लिए धारा सभा के, सदन के एक सदस्य का प्रश्न उठाना बताता है कि इसके बीच में सरकार की मशीनरी है, लाल भूत है, असेम्बली है, एक तरफ मिनिस्टर और धारा सभा। तीसरी ताकत मिनिस्टर, धारा सभा और जनता, असेम्बली का लाल भूत; इसमें भी नहीं कर सकते तो फिर कहीं न कहीं मूल में रोग है। लाल सदस्य ने बताया कि यह मानसिक रोग है। मैं भी मानता हूँ कि यह मानसिक रोग है और इसका इलाज है नैतिकता को बढ़ाना। तो मैं पूछता हूँ कि यह नैतिकता बढ़ाने का काम क्या यह कमेटी करेगी ? नहीं। नैतिकता को तो हम पब्लिक प्लेटफार्म पर काम करके ही उठा सकते हैं। हमारे नेताओं द्वारा विधान में संरक्षण किया गया है, हथकड़ियाँ डालने के बाद नेताओं से कहें कि अमुक काम नहीं हुआ, अमुक अधिकारी को दण्ड नहीं मिला; तो यह कोई न्याय की बात नहीं।

तो जितनी यह बातें सामने आई नेताओं के ध्यान में है। उनको दूर करने के लिए हिन्दुस्तान में प्रयत्न किये जा रहे हैं, हिन्दुस्तान में ही नहीं हिन्दुस्तान के बाहर भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। काश्मीर, हैदराबाद और दुनियां के दूसरे हिस्सों में एन्टी करप्शन एक्ट्स बनाये हैं। इसमें यह जरूर है कि इसके दूर करने का जो मेथड अपनाया गया है वह गलत है। कोई शिकायत आती है तो

[श्री किशनलाल साह]

वह पुलिस के पास जाती है, पुलिस के खिलाफ हो तो वह सी. आई. डी. में जाती है। सी. आई. डी. में कौन हैं, वहाँ भी तो पुलिस अधिकारी हैं।

इसके बाद एम्पलायमेंट में भी क्या हुआ ? अगर किसी के साथ पुरानी सरकार ने अन्याय किया और आज उसके साथ न्याय होता है तो लोगों की निगाह में वह अन्याय होता है, यह तथ्य है और रहेगा।

इस तरीके से यह प्रेक्टिकेबल नहीं रहता। महज कि इस पर वाद-विवाद किया जाय हमारे दिलों के उद्गार निकाले जायं। वे हमारी पार्टी के सदस्य हैं, उनको खुद के मालूम है कि इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। अगर उनको ये बातें कहनी ही थीं तो उनको दूसरा स्थान मिल सकता था, पैर ये बातें कहने के लिए उन्हें यही स्थान मिला।

पर यह प्रस्ताव इलकन्सीव्ड, इन्कम्प्लीट, इम्प्रेक्टिकेबल, बीयोन्ड दी स्कोप, सिम्लो ए विषय ओफ टॉक एण्ड डिस्कशन एण्ड रिपिटेड इन्सीडेन्ट्स, long and new है। तो इस माने में हम देखते हैं तो जो कानून बनाते हैं उनमें भी खामियाँ हैं, ऊपर से देखते हैं तो उनमें भी खामियाँ है और नीचे से देखते हैं तो उनमें भी खामियाँ हैं। अगर हम मजबूत हैं और नीचे वालों को और ऊपर वालों को नैतिकता के माने में ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमें अपने खुद के आचरण को उठाना पड़ेगा। यह एक क्यूम्युलेटिव एफर्ट है। मेथड ऑफ इन्क्वायरी बिल्कुल बोगस है, इससे ढील होती है, और सुबूतों को नष्ट करने में यह सारी मशिनरी काम करती है इसलिए इस मशीनरी को दुरुस्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिये। सरकार सिलेक्शन ऑफ दी हेड्स के लिए पूरी कोशिश करती है, किस प्रान्त में किसी प्रदेश में, ठीक बैठ सकता है, सिलेक्शन ओफ हेड्स यहाँ नहीं होता पर सिलेक्शन होता है। जिनको हम शुरू से देखते आये हैं वे लोग आज अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं। इसका इलाज राजस्थान सरकार या केन्द्रीय सरकार है जिसने इस प्रकार के नियम बनाये हैं। पुराने जमाने में जो एन्टी नेशनल थे उनका सर्विस रेकर्ड अच्छा है और जो प्रो नेशनल थे उनका सर्विस रेकर्ड खराब है। सिलेक्शन करते हैं तो वही रेकर्ड सामने आता है। सिलेक्शन करने वाले तो उसी रेकर्ड के आधार पर, उस रेकर्ड में लिखे अनुसार सिलेक्शन करते है। उस रेकर्ड के अनुसार सिलेक्शन करने वाले जो लार्ज हार्ट्डनेस, लार्ज माइन्डेडनेस और करेक्टर वाले होते हैं उन्हीं को लेते हैं। तो इसमें मूल में खामियें हैं। इन सब को देखते हुए मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को ही वापिस लेलें।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—On a point of information, Sir, shall I be given opportunity for a reply to the debate today ? it is about 11 30 now. I must know whether I would be allowed to give reply today or tomorrow ?

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि अधिक समय सदस्यों को न देकर पाँच-पाँच मिनिट ही बोलने के लिए दिया जावे क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है।

श्री जयनारायण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, कितनी ही बातें उठाई गई हैं उनका जवाब देने में कम से कम एक घन्टा तो मुझे चाहियेगा, फिर इसका क्रिया-कर्म पूरा होगा। वोटिंग आदि होगा इसमें वक्त लगेगा। इसलिए यदि चार-पाँच मिनिट का समय बोलने के लिए दिया जावे तो मुझे यह कह दिया जावे कि मुझे जवाब देने का कोई हक नहीं है तो मैं सन्तोष कर लूंगा। मगर यह मेरे साथ अन्याय होगा। कल मुकर्रा बिल के समय में से कुछ समय मुझे दे दिया जावे बजाय आज के। तो १२ बजने दें। मैं कल बोलूंगा। यह आपके निर्णय और सदन के निर्णय पर है।

श्री उपाध्यक्ष—इस रिजोल्यूशन पर काफी वाद-विवाद हो गया है। मैं सदन की सम्मति जानना चाहता हूं कि क्या वे इस पर और वाद-विवाद करना चाहते हैं? और सदस्य बोलेंगे तो आज का दिन जो रिजोल्यूशन के लिए रखा है वह खत्म हो जावेगा और किसी निर्णय पर नहीं पहुँचेंगे जब तक कि मन्त्री मुतल्लिका इस पर जवाब नहीं देंगे और उस पर राय नहीं ले ली जावे। इसलिए अगर किसी सदस्य को कोई बात कहनी हो तो थोड़े में कह दें।

श्री श्रीदास गोयल—दो-चार मिनिट में समाप्त कर देंगे।

राज श्री हिम्मतसिंह—मेरा खयाल है कि इस रिजोल्यूशन पर काफी डिबेट हो चुकी है और अब इस पर क्लोज़र मूव हो जाना चाहिए। मैं क्लोजर मूव करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं क्लोजर मोशन को एलाउ करता हूं। यह उचित होगा क्योंकि खास-खास बातें तो आ ही चुकी हैं और माननीय मन्त्री को जवाब देना है।

श्री जयनारायण व्यास—क्या क्लोज़र एलाउ कर दिया गया है?

श्री उपाध्यक्ष—क्या हाउस की यह सम्मति है कि क्लोजर जो मूव किया है उसको एलाउ किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लोज़र मोशन पास हुआ।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

सदन की यह राय हुई है कि समय कम रह गया है और माननीय मन्त्री को उत्तर देना है इसलिए किसी सदस्य को प्रयत्न नहीं करना चाहिए बोलने का। माननीय मन्त्री से मैं निवेदन करूँगा कि वे उत्तर आरम्भ करें।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)--उपाध्यक्ष, भ्रष्टाचार अच्छी चीज है; बुरी नहीं है, यह तो कोई भी नहीं कहेगा और मैं कभी यह नहीं कहूंगा कि शासन में भ्रष्टाचार किसी भी मात्रा में नहीं है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं जैसा कि स्वीपिंग रिमार्क दिया गया कि शासन में व्यापक भ्रष्टाचार है; जैसे कि इस कमरे में हवा और रोशनी व्यापक है। मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि कुछ अंश में ऐसे व्यक्ति हैं जो भ्रष्टाचार को अपनाते हैं और भ्रष्टाचार में लीन भी है। इस चीज को मानने में किसी को संकोच नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए या उससे बचने के लिए केवल कमेटी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा या योजना बना दें यह पर्याप्त नहीं समझते; बल्कि इसके लिए पृष्ठभूमि बनानी पड़ेगी जिससे भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं रहे। आज भ्रष्टाचार मिटाने के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार कायम रहे और भ्रष्टाचार का नाम लेकर मिथ्याचार के लिये चर्चा की जाती है। इसलिए सबसे पहले जो काम करने का है यह मिथ्याचार को मिटाना है। उनके बाद में भ्रष्टाचार मिट सकता है।

आज यह कहा गया है कि जिस तरह परमात्मा सर्व व्यापी है उसी तरह भ्रष्टाचार सर्व व्यापी है। चाहे हमारे कॉम्युनिस्ट भाई परमात्मा को नहीं मानें लेकिन रूप यह दिया गया है। कोई भी व्यक्ति आपको बिना भ्रष्टाचार के नहीं मिलेगा। पुलिस ऑफिसर बिना रिश्वत के काम नहीं करेंगे। किसी किसान की कोई मक्का ले लें क्योंकि दूसरों से पैसा ले लेंगे, जाँच करके बतावें नहीं, बल्कि आई.जी.पी.तक भ्रष्टाचार करते हैं कि वे किसानों पर मुकद्दमा चला दें; यह सारी चीजें कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर दूसरे आदमी आकर अपनी बात नहीं कह सकते। यह मिसाल दी जाती है और दी गई है। एक नई मिसाल के पीछे कुछ तथ्य है, उसको तोड़ मरोड़ कर रखा गया है और कुछ अतथ्य की बातें कही गई हैं और जिस ढंग से रखी गई हैं वह ढंग मिथ्या ढंग है, यह सही नहीं है और चर्चा करने के लक्ष्य से ही रखा गया है; भ्रष्टाचार मिटाने के लिये नहीं। अधिकतर भ्रष्टाचार को मिटाने का नाम लेकर कांग्रेस के बारे में, शासन के बारे में कुछ कहने की बात को ज्यादा रूप दिया गया है। कुँ० श्री जसवन्तसिंह जी मेरे परम मित्र हैं और अभी वे यहाँ हैं नहीं। उन्होने, श्री चाँदमलजी ने जो प्रस्ताव रखा उसके बारे में बहुत दूर की बात का जिक्र नहीं करूंगा, इसी सदन में उस पर वाद-विवाद होता है उसकी बात कहूँगा। वे कहते हैं कुछ अधिकारी ऐसा कर लेते हैं, कुछ अफसर कर लेते हैं। उन्होंने मंत्री का नाम नहीं लिया है। कुँवर सहाब कहते हैं कि कांग्रेस संस्था में भ्रष्टाचार है, उसको लेकर यह प्रस्ताव रखा है। मैं कहूँगा कि कितना भयंकर मिथ्याचार है। कांग्रेस का मन्त्रिमंडल काम करता है। उन्होंने अफसरों के बारे में जो

[श्री जयनारायण व्यास]

बातें कहीं उनको कांग्रेस के डिबेट में डाल दिया। यह कैसा मिथ्याचार और भ्रष्टाचार है जो आपके सामने ही सदन में देखा जाता है? इस तरह से कांग्रेस के प्रति द्वेष हो सकता है। कुछ भाई समझते हों कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये बड़े ओपरेशन करने की जरूरत है मेजर ओपरेशन जैसा हमारे साम्यवादी भाई कहते हैं कि इस वक्त तो नहीं होगा, हल्के-हल्के बाद में जाकर होगा। मैं यह कहूंगा कि अगर इच्छाओं के पर लगे होते तो लोग कितने ऊंचे उड़ते? लेकिन मैं यह समझता हूँ कि ये पर सदन जब तक चल रहा है तभी तक लगे रहते हैं और ऊंचे उड़ते हैं लेकिन यह जो मिथ्याचार की बात है उससे भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। हम भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ बाधाएं हमारे सामने है

श्री हरिकृष्ण व्यास—बढ़ता जाता है।

श्री जयनारायण व्यास (भाषण जारी रखते हुए)—आपकी जबान से।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपके सहयोगी की जबान से।

श्री जयनारायण व्यास (अपना भाषण जारी रखते हुए)—जिनकी बढ़ी हुई जबान है वे उससे कुछ बता सकते हैं और इसका इलाज नहीं है। उसका तो मेजर ओपरेशन होगा तब ही कुछ हो सकता है।

(श्री हरिकृष्ण व्यास बोलने के लिए उद्यत होने पर)

I hope the interference would now cease.

मैं, माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो कुछ मिसालें दे दीं और तोड़ मरोड़ करके जो बातें कहीं कि ए.जी. की रिपोर्ट आ गई, सरकार को पता है, झूठ बोलते हैं कि रिपोर्ट नहीं आई है, तो सरकार को पहले समझ लेना चाहिए। सरकार क्या चीज है? सरकार के पास एक जगह रिपोर्ट आ जाती है जिस तरह से यदि पांव में बिच्छू काट जाय तो उसकी दिमाग तक भी चोट लग जाती है तो फर्ज कर लीजिये कि चीफ सक्रेटरी के पास रिपोर्ट आ गई तो क्या चीफ मिनिस्टर तक उसका एक दम झटका लग जावेगा? जिस प्रकार बिजली के बटन का झटका लगते ही रोशनी हो जाती है और बिजली दूसरी जगह पहुँच जाती है उसी प्रकार रिपोर्ट पहुँचते ही क्या चीफ मिनिस्टर के दिमाग में पहुँच जाय चाहे वह १५०० पेज की रिपोर्ट हो?

श्री हरिकृष्ण व्यास—सिर्फ तीस पेज की।

श्री जयनारायण व्यास (भाषण जारी रखते हुए)—तो इस तरह आप कल्पना कर लें कि गलत बात कही गई है या करते हैं। मैंने चीफ सेक्रेटरी से टेलीफोन किया और पूछा कि क्या ऐसी कोई रिपोर्ट आई है? रिपोर्ट आई है। वह इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के सचिवालय में स्क्रुटिनी के

[श्री जयनारायण व्यास]

लिए भेजी गई है। मैंने उनसे पूछा कि उस रिपोर्ट से आपको बड़ी निराशा हुई, इस-इस तरह की गलतियाँ हुई, कुछ और रिमार्कस भी हैं। तो उन्होंने कहा कि इस समय रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं। एक बात ऐसी थी कि जिसमें मैंने डिसएप्रूव फील किया और मैंने रिमार्क दिया। वह सौ रुपयों से कम आइटम की बात थी। फाउन्टेनपेन की बात थी। मैं जब जोधपुर में चीफ मिनिस्टर था तो मुझे भी फाउन्टेनपेन महकमाखास से मिला था। पहले से एक रिवाज था और मेरे से कई पुराने मिनिस्टर थे जिन्होंने फाउन्टेनपेन लिये थे जब गये तो जमा करा गये, कुछ ने नहीं भी कराये। तो यहाँ भी पहले मैनेजर होता था उसको कम्पनी से फाउन्टेनपेन मिल जाता था और अब कमिश्नर मेनेजमेंट चलाता है तो उसे भी उसी तरह से फाउन्टेनपेन मिला और फाउन्टेनपेन मिला उसको मिल के काम के लिए और वह मिल के काम में लाया जाता था। शासन के हिसाब से तो यह गलत है। हमने इसको अच्छा नहीं समझा। यदि फाउन्टेनपेन का काम है, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, या मेरे जो साथी हैं, उनको फाउन्टेनपेन की ही कीमत नहीं स्याही की भी कीमत देनी पड़ती है। वे स्याही खरीदें चाहे सरकार का काम करते हों। तो हमने ऐसे कुछ नियम बना लिये हैं कि जो सज्जन फाउन्टेनपेन से लिखते हैं वे स्याही भी स्वयं ही खरीदें। कम्पनी के नियम हम यहाँ लागू नहीं करते। तो उस चीज़ को बढ़ावा देकर यह कहना कि भ्रष्टाचार फैल गया है, मैं नहीं समझता कि यह सही बात कहना है, यह तो सिर्फ मिथ्याचार करना है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या उस रिपोर्ट को आप सदन की मेज पर रखने के लिये तैयार हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—(अपना भाषण जारी करते हुए) नहीं, रखने के लिए नहीं तैयार हैं। ऐसी गैर जिम्मेदारी की बातें अगर कही जाती हैं तो जो इन्तजाम करते हैं उनके लिए यह जरूरी नहीं हो जाता है कि वे गैर जरूरी बातों को मानें। हम उसको सदन की मेज पर इस समय रखने के लिए तैयार नहीं हैं। आवश्यकता हुई तो देखा जायगा।

(राज्य पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Accept my challenge.

श्री जयनारायण व्यास—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मेरे अन्दर क्षमता है। अगर कोई गलत बात होगी तो मैं उसको दुरुस्त करूंगा। अगर कोई गलती करेगा तो उस गलती करने वाले को पीसूंगा। आपकी आँखों की मदद से, आपके दिल और दिमाग की मदद से, मैं काम नहीं लेना चाहता। मेरे पास भी दिमाग है और मैं उससे काम लेना चाहता हूँ।

मेरी मर्यादायें हैं उनकी ओर भी मैं सदन का ध्यान खींचना चाहूँगा। वे मर्यादायें हैं, दो तीन एलीमेंट्स हैं, उनकी ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। एकाउन्टेन्ट जनरल की बात कही गई है। ए.जी. का काम है कि वह छोटी से छोटी बात बताये। ए.जी. सरकारी हिसाब रखने का आदी है। वह कम्पनीज़ या फैक्ट्रीज़ के हिसाब का आदी नहीं हो सकता है और इसीलिए ए.जी. ऐतराज

[श्री जयनारायण व्यास]

कर सकता है। जैसी कि बात करते हैं, जैसा कि जिक्र किया गया है कि गंगानगर फेक्टरी में कोयले पर पहले-पहले बहुत खर्चा हुआ और बाद में बहुत कम खर्चा हुआ और जिससे मालूम पड़ता है कि पहले-पहले कोयले में भ्रष्टाचार हुआ होगा और बाद में कोयला संयम के साथ और कायदे से खर्च हुआ होगा। अब यह वाकई ठीक बात कहते हैं कि कोयला पहले ज्यादा खर्च हुआ और बाद में कम हुआ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कोयले के विषय में जयपुर पॉवर हाऊस की बात है।

श्री जयनारायण व्यास—(अपना भाषण जारी रखते हुए)मैं गंगानगर की बात कह रहा हूँ। आप क्यों फिक्र करते हैं जयपुर की बात भी कही जायगी।

शूगर फैक्ट्रीज़ में क्या होता है कि कोयला जलाया जाता है। साँठों से रस निकालने के बाद जो भूसा होता है उसको जलाया जाता है। ज्यों-ज्यों शूगर निकल जाती है और भूसी जलाई जाती है तो कोयले का खर्च कम हो जाता है। ए. जी. तो यह हिसाब लगायगा कि इतनी शूगर निकली, इतना कोयला जला। तो जो टेक्निक है वह उनको नहीं मालूम है। यदि उनको साफ कर देंगे तो उससे ए. जी. का दिमाग भी साफ हो जायगा। इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट्स के अलग-अलग आइटम्स होते हैं। उस छोटी सी आयी सूचना के ऊपर, जिस सूचना का पूरा अर्थ सदन को नहीं समझने दिया जाता है और इस प्रकार की लंम्बी-चौड़ी बातें कह देना, मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार मिटाना नहीं किन्तु मिथ्याचार को बढ़ावा देना मात्र है

एक बात और कही गई। श्री चाँदमलजी किसी केस की ओर ध्यान दिला रहे थे। मकई का केस था शायद। तो वह केस मेरी नजर में है और उसके बारे में श्री चाँदमलजी से बातें हुई हैं और उस केस के बारे में न सिर्फ जाँच हुई है; किन्तु जाँच हो रही है। हो सकता है कि उसमें दो-दो अफसरों की दो रायें हो सकती हैं। कहा जाता है कि वह जो मकई थी वह किसी किसान की न थी बल्कि एक जागीरदार की थी और यह भी हो सकता है कि वह जागीरदार की न हो और किसान की हो। अभी जो रिपोर्ट आई थी और प्रश्न के जवाब में मैंने कहा था कि जागीरदार की मकई थी और वह जागीरदार का टिनेन्ट था और टिनेन्ट होने के नाते जागीरदार ले सकता है या कोई एग्रीमेंट होना माना जा सकता है। बाकी मकई जागीरदार को देनी चाहिए थी, नहीं दी। जागीरदार ने वह ले ली, यह बात फैक्ट है। उसके बदले में यह कहें कि जागीरदार की न थी और न किसान की थी; अगर ऐसी बात थी तो सेटलमेंट तैयार होगा, एस० डी० एम० का दफ्तर तैयार होगा और जाँच करेगा। यह कह कर कि पुलिस के अफसर हैं, जागीरदार के यहाँ जाया करते थे इसलिए ऐसा हो गया होगा, तो मैं इसको मिथ्याचार तो नहीं कहूँगा किन्तु शिष्टाचार भी नहीं कह सकता। यहाँ पुलिस का ओफिसर आकर तो बात साफ नहीं कर सकता है। ऐसी हालत में जाँच चल रही है। पूरी जाँच न होना यह कह देना, मैं समझता हूँ कि अधिकारियों के प्रति भी ज्यादती करना है और जहाँ तक अधिकारियों के बारे में यहाँ कहा गया है इस केस के मामले में, मैंने उन अधिकारियों की इस मामले में और दूसरे मामलों में जाँच-पड़ताल की तो मुझे कोई बुराई नहीं मालूम पड़ी। एक मामूली बुराई हो जाय और शिकायत न आए तो यह भी उचित नहीं मालूम पड़ता है। मैं मानता हूँ कि अगर

[श्री जयनारायण व्यास]

किसी ने गलती की है, भयंकर गलती की है, किसी किसान का हक छीना हो, किसान को वापिस हक दिलाना, जागीरदार को सजा दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, किन्तु इतना जरूर करना पड़ेगा कि हम शिष्टाचार जरूर बरतें। जो लोग जवाब यहाँ नहीं दे सकते हैं और चूंकि हमारा कुछ बिगा नहीं सकता है; क्योंकि हम प्रिविलेज पोजिशन में हैं, इसलिए यहां कुछ भी कह दें, तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती है।

भ्रष्टाचार के बारे में बताऊं कि हमारे ऊपर कुछ मर्यादायें हैं और वे मर्यादायें है संविधान की। संविधान में हमने सर्विसेज़ को, सही तौर पर या गलत तौर पर, कुछ भी समझ लीजिये गारन्टीज़ दे दी हैं।

संविधान में हमने अदालतों को कुछ अधिकार दे रखे हैं, उन अधिकारों की वजह से हमारे मजबूत हाथ भी छोटी छोटी बातों के लिये फेल हो जाते हैं। संविधान में हमने पी. एस. सी. को बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं। अगर हम किसी विभाग में किसी अधिकारी को नियुक्त कर लें और वह तय भी करलें किन्तु पब्लिक सरविस कमीशन उसको पलट सकता है। अदालतों के अधिकार, पी. एस. सी. के अधिकार, आदि सब हमारे सामने हैं; हम उनको लांघकर चल नहीं सकते। कई केसेज़ ऐसे हैं जो एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट में पेश हुए हैं, मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, मैं आपका समय उन आंकड़ों को बताकर लेना नहीं चाहता, सिर्फ इतना ही कह देना पर्याप्त समझता हूँ कि हमारे फीगर्स बढ़ रहे हैं। कई केसेज़ के लेने के बाद अदालतों में जाकर वे फेल हो जाते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो केसेज़ रेड हेन्डेड पकड़ते हैं वे भी अदालतों में जाकर फेल हो जाते हैं। श्री गोपीलाल जी ने मिसाल दी कि पुलिस वालों ने नोट रख दिये। हो सकता है, यह मिसाल सही हो मैं उस मिसाल को गलत नहीं बताता जो गोपीलाल जी ने दी है। किन्तु मैं तो यह कहता हूँ कि जो केसेज़ रेड हेन्डेड पकड़े जाते हैं, वे अमूमन ऐसी मिसाले देते हैं कि पुलिस वालों ने उनको फसाने के लिये रुपये सिरहाने लाकर रख दिये या नौकरानों के मार्फत रखवा दिये, इस तरह की बाते देखते हैं तो आश्चर्य होता है। आखिर में रुपया पुलिस वाले ही देते हैं और उन्हीं के द्वारा केसेज़ पकड़े जाते हैं। ऐसी हालत में यह कहा जाता है कि इसकी फलां व्यक्ति से रंजिश थी इसलिए पुलिस वाले इसको फंसना चाहते थे। तो इस तरह से ये घटनायें इधर उधर हो जाती हैं। आजकल जो पब्लिक का आचरण है वह बडा आश्चर्य कारक है। जो बड़ी गड़बड़ी कर देता है उस सम्बन्धी जो गवाह होते हैं वे भी आखिर में जाकर पलट जाते हैं। ऐसी हालत में जो कुछ भी कार्यवाही की जाती है उसमें कठिनाइयां उपस्थित हो जाती हैं और उन कठिनाइयों को अवश्य देखना पड़ता है।

श्री एच. के. व्यास पॉवर हाउस के कोयले के बारे में जानने को बहुत उत्सुक हैं। मैं अपने समय में से थोड़ा समय श्री टीकाराम जी पालीवाल को दूंगा ताकि वे कोयले के जो ढेर हैं वे उनके सामने रख दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि वे कालेपन से अछूते रहने की कोशिश करेंगे, किन्तु जो गलत बातें करेंगे उनके पास तक इस कोयले की खाक जरूर पहुंचेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कहीं उस ढेर में आग न लग जाय।

श्री जयनारायण व्यास— (अपना भाषण जारी रखते हुए) आग से मुझे डर नहीं। आग लगाने वाले कभी बकवास नहीं किया करते। 'थोथा चना बाजे घणा'; थोथे चणे होते हैं वे गूंजा बहुत करते हैं।

भ्रष्टचार का जिक्र करते हुए भी कहा गया कि सरकार में भष्टचार होने के कारण लोग श्रम-दान नहीं देते, नेशनल लोन में पैसा नहीं देते; बच्चे रूठ गये तो भष्टचार है, अगर इन तमाम बातों में हम भ्रष्टचार ही मान लें, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि हमारा सारा का सारा आचार विचार ही खत्म हो जाय। ईमानदरी की बात तो यह है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे कुछ आचार विचार ही दूसरी ओर जाने लग गए। स्वतन्त्रता आगई तो भ्रष्टाचार करने वालों को स्वतंत्रता मिल गई, सोचने की स्वतन्त्रता मिल गई, गाली देनें में भी स्वतन्त्रता मिल गई' अहलकारों को कागज चुराकर एच. के. व्यास को बतलानेकी भी स्वतन्त्रता मिल गई। राजाशाही के जमाने में सीक्रेट डोक्यूमेन्ट को अगर कोई बता देता तो उसको उसी वक्त जेल में डाल दिया जाता। यह हमारी बर्थ पेन्स ओफ डेमोक्रोसी है। जिस प्रकार बच्चे के पैदा होते ही कई खराबियें पैदा हो जाती हैं, उसमें तकलीफ भी होतीं है, कई प्रकार के दर्द भी होते हैं, इसी प्रकार यह हमारी बर्थ पेन्स ओफ डेमोक्रेसी है उनमें से काफी दर्द कम हो गये हैं और धीरे धीरे तमाम का सफाया हो जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—छः साल तो हो गये।

श्री जयनारायण व्यास—(अपना भाषण जारी रखते हुए)यह डेमोक्रेसी है। यह वह चीज़ नहीं जिसकी उम्र पचास वर्ष की हो। आदमी जिसकी उम्र १०० साल या पचास साल की होती है उसके लिये जो दिन होते हैं उसमें २४ घंटे होते हैं। आप फिक्र न करिये, यह डेमोक्रेसी है जो लाखों वर्ष रहने वाली है। इसी प्रकार जो छोटे-बड़े जानवर होते हैं उनकी उम्र कुछ दिन की होती है जैसे टिड्डियों की उम्र होती है आधा महीने की और इन्सान की ज्यादा से ज्यादा उम्र होती है १०० वर्ष की; किन्तु मुल्क की उम्र और डेमोक्रेसी की उम्र सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों वर्षों की हुआ करती है। इस बारे में सोचते वक्त दिनों में नहीं वर्षों में सोचना पड़ेगा। यह खराबियाँ कई वर्ष तक रह सकती हैं......

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार की उम्र तो कुछ दिनों की ही है ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—चायना (China) में डेमोक्रेसी की उम्र कितने वर्ष रही ?

श्री जयनारायण व्यास—(अपना भाषण जारी रखते हुए) यह मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता कि वहाँ डेमोक्रेसी है या नहीं, यह बातें तो साम्यवादी सदस्य ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं।

वेजीटेबल घी में भ्रष्टाचार बताया गया है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि यह घी यहाँ आने दिया जाय, मैं यह सरकारी तरफ से कह सकता हूँ। वेजीटेबल घी को कानूनन रुकवाया गया और उन लोगों द्वारा रुकवाया गया जो यह समझते थे कि यहाँ पर जो घी का उद्योग है अगर वेजिटेबल घी को यहाँ आने दिया गया तो सारा उद्योग नष्ट हो जायगा। हमारे यहाँ के अच्छे-अच्छे

[श्री जयनारायण व्यास]

जानवर हैं, उस भंडार को बचाने के लिये वेजिटेबल घी को असली घी के साथ मिलाना कोई अच्छी चीज़ नहीं। इस ख्याल से इसको रोका गया। यह भी बात हैकि जो वेजीटेबल घी यहाँ आता है उसको रोकने की पूरी कोशिश की जाती है। कई केसेज़ पकड़े जाते हैं और सजा भी दी जाती है। अगर आप वेजिटेबल घी को यहाँ लाना चाहते हैं तो प्रस्ताव लाइये, हम उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। वेजिटेबल घी के आयात को फ्री किया जाय, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह कह देना कि वेजीटेबल घी के आयात को न रोकने से भ्रष्टाचार होता है, गलत है। विजिटेबल घी के रोकने के कई कारण थे। कई स्टेटों में अपने यहाँ के घी की आमद-दरामद ठीक रखी जाय यह भी नीयत थी। मुझे खुद को मालूम है जब तक यहाँ विजिटेबल घी नहीं आता था उस समय यहाँ हापुड़ का घी आता था और उस हापुड़ के घी को असली घी में मिला कर बेचा जाता था। उससे शरीर को काफी नुकसान होता था। मुझे खुद को भी नुकसान हुआ, मेरे गले में उसके खाने से सौरे जाइटीज़ हो गई......

श्री हरिकृष्ण व्यास—घी के वजह से नहीं, गलत बोलने की वजह से तकलीफ हुई है।

श्री जयनारायण व्यास—(अपना भाषण जारी रखते हुए) जिनको गलत बोलने का अभ्यास है वही गलत बोला करते हैं। अगर कोई सामने बैठा हुआ गलत बोलता है तो उसके सामने बैठने वाले को उसका सिम्पेथेटिक पेन हो जाता है इसलिये मुझे सिम्पेथेटिक पेन हो जाता है।

अगर आपको वेजिटेबल घी को फ्री करवाना हो तो आप रेजोल्यूशन लाइये; उस पर सदन विचार करे लेकिन उसको इसके साथ मिलाना नहीं चाहिये।

अब मैं श्री जसवन्तसिंह जी ने जो कहा पोलिटिकल वर्कर्स और राज्य चलाने वाली संस्था में भ्रष्टाचार है, ऐसी बातें चाँदमलजी ने कही हैं......

कुँ० श्री जसवन्तसिंह्—मैंने तो, माननीय सदस्य द्वारा यह बात बतायी गई कि कॉंग्रेस संस्था में कितना भ्रष्टाचार है उसके लिये कहा था।

श्री जयनारायण व्यास—(अपना भाषण जारी रखते हुए) अगर आपने ऐसा नहीं कहा है तो आप कॉंग्रेस संस्था और पोलिटिकल वर्कर्स की ईमानदारी को समझने लग गये इसके लिये धन्यवाद।

कुं० श्री जसवन्तसिंह्—न मुझे उनकी ईमानदारी को समझने की जरूरत है और न बेईमानी को। मैंने तो प्रस्तावक महोदय से यह निवेदन किया था कि वे अपने भाषण में जब उत्तर दें तब बतावें कि पॉलिटिकल संस्थाओं में और उनके वर्कर्स में कैसा भ्रष्टाचार है?

श्री जयनारायण व्यास—तो आप कांग्रेस संस्था का और पॉलिटिकल वर्कर्स का अनुभव करना चाहते हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—न तो मुझे कांग्रेस का अनुभव है और न मैं करना ही चाहता हूँ।

श्री जयनारायण व्यास—(अपना भाषण जारी रखते हुए) यादव जी ने जो बातें कही हैं उनका मैं जवाब देना जरूरी समझता हूँ। उन्होंने कहा कि कुम्हेर में जो जमीन दी जाती है पट्टा कमेटियों की तरफ से, उनमें रिश्वतें दी जाती हैं। पट्टा कमेटियों के मेम्बर हाउस के अन्दर तो हैं नहीं जो इसका जवाब दे सकें। किन्तु मैं यह साफ कहना चाहता हूँ कि इन कमेटियों में कांग्रेसी भी हैं और नोन कांग्रेसी भी मेम्बर हैं। उन्होंने कहा कि वे पट्टा कमेटियों पर एक्शन ले नहीं सकते।

यादवजी कब गये कुम्हेर में, कह नहीं सकता; पर मैं तो तीन दिन पहले गया था। कुम्हेर में लोगों की शिकायत है कि यह २१ बीघा जमीन पट्टे में नहीं दी जा रही है अनओक्युपाइड लेण्ड में से, जिनके पास २१ बीघा, शायद यहाँ के स्टेन्डर्ड से २१ बीघा हो, या ३० बीघा भरतपुर की हो, उससे ज्यादा जमीन है तो उसे कह देते हैं कि मत लो, क्योंकि वहाँ भूमिहीन किसानों की समस्या ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अब उससे वह जमीन लेकर उन भूमिहीन किसानो को दी जाती है तो क्या यह भ्रष्टाचार हो गया?

उन आदमियों को बेकार रखना या जिसके पास स्टेन्डर्ड, नाप-तोल की जमीन है उससे कुछ लेकर देना भ्रष्टाचार है? यह जरूर है कि यह सिस्टम है। कुछ लोगों के पास जिनके पास सैकड़ों हजारों लाखों बीघा जमीनें थीं जो अब उनसे वे छिन गईं तो जिनसे छिन गईं उनमें असन्तोष तो होगा ही। पर इसमें भ्रष्टाचार की कौनसी बात हो गई, यह मेरी समझ में नहीं आया? राजाओं के राज छिन गये, उनमें असन्तोष हुआ तो, असन्तोष तो उनमें भी हुआ। जागीरदारों की जागीरें ले लीं, उनको भी असन्तोष हुआ, यह ठीक है कि एक मिकदार में खुदकाश्त का प्रबन्ध कर दिया और आपसी समझौते, इकरारनामे से यह वैसा असन्तोष नहीं रहा, पर फिर भी जिसकी जमीन जाती है, छीनी जाती है तो उनको असन्तोष तो होता ही है। तो जिन किसानों को 'अनओक्युपाइड लेण्ड' में से लेकर नेशनलाइजेशन की दृष्टि से दे दी तो यह क्या भ्रष्टाचार हो जाता है, मैं यह पूछना चाहता हूं आपसे?

तो सच बात तो यह है कि अगर कोई आदमी पकड़ा जाता है चोरी के मामले में, जेल में ले जाया जाता है तो इसके लिए भी भाई लोग यहाँ आकर सवाल पैदा करते हैं कि क्यों पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया? अगर कोई चोरी करता है और चोर पकड़ा गया है और तार दे दिया उसकी बीबी ने कि मेरे पति को मारा है, हालां की मारा भी नहीं हो, पर चूंकि तार दिया गया है इसलिए चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं कि उसको मारते हैं, पीटते हैं, जेल में बन्द कर देते हैं, उसके प्रति यह ज्यादती करते हैं, यह करते हैं, वह करते हैं, आदि आदि इतना शोर और हो-हल्ला मचाया जाता है कि जिसकी कोई हद्द नहीं। यह मिथ्याचार है और मिथ्याचार की जो ये चीजें हैं वे भ्रष्टाचार को बढ़ाती है।

[श्री जयनारायण व्यास]

तो यह मैं नम्र निवेदन करूँगा कि जिस सिलसिले में यह प्रस्ताव रक्खा गया है उसको वे वापिस ले लें और मैं साथ ही समस्त सदस्यों से भी यह नम्र निवेदन करूंगा कि अगर उन्हें सजेशन देने हों तो वे अवश्य दें लेकिन साथ ही इसके लिए भी एक मर्यादा होनी चाहिये और यह मर्यादा है शिष्टाचार की। इस शिष्टाचार की मर्यादा का उन्हें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मिथ्याचार के द्वारा मर्यादा नहीं भूलनी चाहिये। और सही विचारों की वह मर्यादा होनी चाहिये, मिथ्याचार को नहीं कहने की मर्यादा होनी चाहिए यह नहीं हो कि इधर से रबर की तरह खींचे और उधर लाकर रख दिया। एक बात इस रिपोर्ट की कह दूं। सेल जो होते हैं उनसे मालूम कर ली गई, छोटा सा कागज लाने वाले का जुर्म था वह सेल से कागज आ गया, उसके दूसरी तरह से माने निकाल दिए, इसके अलग-अलग मौकों पर पाँच-पाँच अर्थ लगा दिये तो इस चीज को आप छोड़ें। इस सम्बन्ध में आपने जो भी सजेशन रक्खे हैं उन पर हम विचार करेंगे। पर जैसा यह प्रस्ताव रक्खा गया है उसे स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ। मैं चाहूं इससे मैं चाहूँगा कि इसे वे वापिस ले लें।

यहाँ कोयले के बारे में बहुत शोर मचाया जाता है। तो एक रिज़ोल्युशन और है पी. डब्लू. डी. के बारे में। इसके ऊपर बोलते वक्त श्री टीकारामजी अपने विचार प्रकट करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास--वह कहेंगे नहीं। कुछ कहने लायक है तो आप कह दें और दूसरों पर चोरी का इल्जाम लगाने के बजाय वह रिपोर्ट आप यहाँ रख दें।

माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे सिलसिले में दो-तीन बातें कही गई हैं। आधा मिनिट मुझे बोलने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—No, no.

श्री हरिकृष्ण व्यास--सिर्फ आधा मिनिट। मुझे सिर्फ यह कहना है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अभी रिपोर्ट के बारे में जो कुछ कहा वह तो ठीक है, पर वे मेरे चेलेन्ज को एक्सेप्ट कर लें और place it on the Table of the House.

श्री जयनारायण व्यास—This is impossible. Government documents cannot be placed on the Table of the House only because a certain statment is made by a certain member.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Because it contains truth.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Government has not the courage to place those facts.

श्री जयनारायण व्यास—Government has the courage to place those facts, but those facts can be enquired into through questions.

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव की बहस के दौरान में जयपुर पॉवर हाउस में कोयले के सिलसिले में कुछ कहा गया।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में आमतौर से मुख्य मन्त्रीजी महोदय ने सरकार के विचार प्रकट किये हैं। उस सिलसिले में मुझे भी यह कहना है कि यह मना नहीं किया जाता है कि भ्रष्टाचार है नहीं। है, और इसके कई एक कारण हैं। किन्तु इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो गवर्नमेंट का व्यू रक्खा गया है वह यह है कि ऐसे प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है और इससे कोई उपयोगी कार्य सिद्ध नहीं होगा।

सरकार अपनी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयत्न कर रही है और कोयले की जो बात कही गई है वह भी इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने, यह ठीक है कि काफी लम्बे अर्से से यह खराबी चल रही थी, लेकिन, उसको आखिर पकड़ा और उसके बारे में काफी सख्ती से कम काम कर रहे हैं। कोयले के बारे में कोई भी इस प्रकार की कमेटी शायद अगर होती तो वह इस चीज को नहीं पकड़ सकती, मेरा यह अनुमान है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यादराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट कब आई आपके पास ?

श्री टीकाराम पालीवाल—I do not want to be disturbed like this.

मैं प्रेज़ेन्ट केस है उसके बारे में कह रहा हूँ। रिपोर्ट कई मामलों में हमने ली है। उन पर कार्यवाही की जा रही है और थोड़े समय में मालूम होगा कि जो भी, चाहे वह कोयले का मामला हो, चाहे दूसरी तरह का कोई भी मामला हो, जहाँ कहीं कोई गड़बड़ी होगी उसे सर्टेनली डील किया जावेगा। सर्टेनली डील किया जा रहा है। पर, किसी भी चीज में कुछ समय लगा करता है और जो केसेस, कुछ सही, कुछ गलत, कुछ बढ़ाकर यहाँ कहे गये हैं उनमें, मैं यह नहीं कहता हूँ कि, उनमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। बहुत बड़ी रकम का गबन हुआ है और इसके लिए हम सख्ती से कार्यवाही कर रहे हैं। कानून को हाथ में रखते हुए जितना किया जा सकता है किया जा रहा है। उस रकम को वापिस वसूल करने के लिए जो किया जा सकता है वह भी किया जा रहा है और छोटे हों या बड़े हों, कोई भी कर्मचारी हों, या बड़ा अधिकारी हो, कोई हो, जो जिस-जिस मात्रा में दोषी पाया जावेगा उन-उन को उस अनुपात में अवश्य दण्ड दिया जावेगा इसमें कोई रियायत नहीं की जावेगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार का काम सक्रिय ढंग से गवर्नमेन्ट ही कर सकती है। इस प्रकार की समिति नहीं कर सकती। ऐसे मामलों में इसका कोई उपयोग नहीं होगा। इसकी आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता तो वहाँ हो सकती है जहाँ सरकार सचेत न हो। सरकार सचेत है और वह पूरा कार्य कर रही है।

श्री चाँदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने भाषण दिये हैं और मेरे विचारों को उन्होंने भिन्न-भिन्न तरह से बताने की कोशिश की है और उन्होंने उल्टा-सुल्टा इन्टरप्रिटेशन करने की भी कोशिश की है।

प्रारम्भ में भाषण देते वक्त यह बतलाया गया कि कांग्रेस संस्था की खामियें बताने की मैंने हिम्मत की। मैं इस सम्बन्ध में यह कह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस की खामियां बताने की मैंने हिम्मत नहीं की बल्कि यह कहा गया था मेरे द्वारा कि आज कांग्रेस संगठन ही एक मात्र ऐसा संगठन है कि जो इस भ्रष्टाचार को समूल नष्ट कर सकता है और कोई दूसरा संगठन आज ऐसा नहीं है जो इसे नष्ट कर सके।

और इसके समक्ष एक संक्षिप्त योजना देने के सम्बन्ध में यह तजवीज देने की बात मैंने कही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—और वे यह भी नहीं मानते।

श्री चाँदमल मेहता—(अपना भाषण जारी रखते हुए) दूसरा सर्वोच्च अधिकारी का मैंने अपने भाषण में जिक्र किया तो इसका मतलब मिनिस्टरों से लगाया गया। इस सम्बन्ध में मैं यह बिल्कुल साफ कर दूं कि ऐसा मेरा कोई अभिप्राय नहीं था बल्कि मैं तो यह मानता हूं कि यह कांग्रेस मिनिस्टरी ही है जो आज इस काम को पूरा कर सकती है और इस भ्रष्टाचार की स्थिति को बदल सकती है। जितने अल्प समय में इन मिनिस्टरों ने इस दिशा में जो प्रशंसनीय प्रगति की है उतने अल्प समय में और कोई मिनिस्टरी नहीं कर सकती। अगर वे इन विचारों को समझ लेते तो उनको यह कहने का मौका नहीं मिलता।

कुछ सदस्यों ने कहा, इस प्रस्ताव का आखिरकार उपयोग क्या है, यह निरुपयोगी है आदि आदि बातें कही और यह भी कह दिया कि यह तो अखबारों में प्रकाशन के लिए और अपनी पब्लिसिटी कराने आदि के लिए किया जा रहा है। अखबारों में प्रकाशन के लिए जो बातें कही गई तो इसके बारे में मैं साफ तौर से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे मानस में इस तरह की कोई चीज नहीं है।

पर मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सदन को यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में मेरा इरादा, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने रेलवे में जिस तरह से एक भ्रष्टाचार समिति की स्थापना की थी उस तरह की एक समिति इस बारे में भी स्थापित करने से था। इस सम्बन्ध में मैं यह हवाला देना चाहता हूँ कि जो कि रेलवे में भ्रष्टाचार को नष्ट करने के सम्बन्ध में एक समिति भारत सरकार ने बिठाई थी जिसने एक क्वेश्चनेअर तैयार की और उसकी मदद लेकर उन्होंने एक योजना तैयार की और वह भारत सरकार को दी तो वह बहुत उपयोगी साबित हो रही है और उससे वहां का भ्रष्टाचार बहुत हद तक ठीक हुआ है। तो उसी आधार को लेकर मैंने यहां भी ऐसी समिति स्थापित करने के इरादे से यह प्रस्ताव रक्खा है।

[श्री चाँदमल मेहता]

मेरे दिमाग में और कोई भावना नहीं थी। न कोई प्रकाशन की भावना है, न कोई कांग्रेस संगठन की कमियां रखने की भावना मेरे दिमाग में है इस भावना को रखकर कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए समिति बने। उसका काम, उसकी परम्परा हमारे सामने है। उसी को लक्ष्य करने हेतु मैंने अपने विचार सदन के सामने रखे थे।

मेरे विचारों का मतलब भी उल्टा निकाला गया कि मैं वेजीटेबिल घी का आयात खुलवाना चाहता हूँ। मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरा मतलब वेजीटेबल घी की चर्चा करने का था कि वेजीटेबिल घी बन्द होते हुए भी वेजीटेबल घी बन्द होते हुए भी वेजीटेबल घी खाना पड़ता है। यह मेरा मतलब नहीं था कि मैं चाहता हूँ कि वेजीटेबिल घी के आयात की इजाजत दी जाय, वेजीटेबल घी के आयात की पाबन्दी को तोड़ दिया जाय। आयात तो बन्द रहे लेकिन जो वास्तविक तौर पर आता है वह भी बन्द हो। इस भ्रष्टाचार के कारण लोग ६५ फी सदी वेजीटेबल घी खाने को मजबूर हैं।

तो अब कुछ बातें ऐसी हैं और शायद मेरा ख्याल है कि समय कम है, इसलिए उन्हें मैं संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे प्रस्ताव को माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने मान लिया है और वह इस रूप में मान लिया है कि उन्होंने कहा है कि रेड हेन्डेड जो आदमी पकड़ा जाता है उसको सजा होती है। जो एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट है वह कोशिश करता है रेड हेन्डेड पकड़ने की, लेकिन अदालत की दूसरी कठिनाइयों के कारण वह छूट जाते हैं। मैं मानता हूँ कि उसके बारे में दूसरी खोज हो और उसकी दूसरी खोज यह है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने यह रास्ता खोल दिया है कि कोई भी सजेशन दे दे वह सजेशन माना जा सकता है। कमेटी के रूप में भी सजेशन दे सकते थे, वहां तो कुछ थोड़े से आदमी सजेशन दे सकते थे। यह मैं मानता हूं कि इस ढंग से माननीय मुख्य मन्त्री ने एक कमेटी को ही नहीं, क्योंकि उसमें चन्द आदमी बैठा लेते हैं, मौका दिया है, मगर, राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता को मौका दिया है कि अपने सजेशन भेजे और माननीय मुख्य मन्त्रीजी उन सुझावों पर विचार करने को तैयार हैं।

मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी की इस बात से सहमत हूँ कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मिथ्याचार को मिटाना आवश्यक है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रश्नोत्तर में मिथ्याचार होता है उसका क्या है ?

श्री चाँदमल मेहता (अपना भाषण जारी रखते हुए)—आप जरा खामोश रहिये। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मिथ्याचार ही भ्रष्टाचार की देन है। मैं निवेदन करूंगा कि असेम्बली के प्रश्नों के उत्तर में मिथ्याचार को मिटा दिया जावे तो भ्रष्टाचार बहुत कुछ दूर हो जायेगा। प्रश्नों का उत्तर देने में बड़ी शक्ति लगाई जाती है और वास्तविकता को छुपाया जाता है। प्रश्नोत्तर में भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के काले कारनामे छुपाये जाकर उनके गलत कामों को सही होने की मोहर लगा दी जाती है। मैंने कई प्रश्नों के द्वारा असेम्बली में भ्रष्टाचारी कर्मचारियों की ओर ध्यान

[श्री चाँदमल मेहता]

आकर्षित किया ! यदि उन प्रश्नों का सही जवाब दिया जाता और भ्रष्टाचारी अफसरों को सजा दी जाती तो प्रान्त का बहुत हित हो सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, मुख्य मन्त्रीजी ने यह मान लिया कि भ्रष्टाचार को खत्म कराने के लिए मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और जनता से इस सम्बन्ध में सुझाव भी माँगे हैं। इससे मानता हूँ कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसलिये मैं मेरे प्रस्ताव वापिस लेने के लिए सदन की स्वीकृति चाहता हूँ।

(विपक्ष की ओर से 'नो नो' की ओर से आवाजें)

श्री हरिकृष्ण व्यास—पत्थर फेंकने के बाद वापिस नहीं आता है।

श्री उपाध्यक्ष—जो प्रस्ताव श्री चाँदमल मेहता ने रखा है वह वापिस लेने की अनुमति चाहता है; क्या हाउस की अनुमति है ?

(मतदान के पश्चात्)

विपक्ष की ओर से—**Noes have it, Sir.**

श्री उपाध्यक्ष—डिवीजन चाहते हैं ?

विपक्ष की ओर से—डिवीजन चाहते हैं।

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो रिजोल्यूशन श्री चाँदमल मेहता ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की स्वीकृति दी जाय।

(मतदान के पश्चात्)

हाँ पक्ष जीता।

विपक्ष की ओर से—**Noes have it, Sir.**

श्री उपाध्यक्ष—आप डिवीजन चाहते हैं एकचुअली ?

(विपक्ष की ओर से 'हाँ-हाँ की आवाजें तथा सरकारी पक्ष की ओर से आवाजें "यहाँ खड़े हो जाँय")

[श्री उपाध्यक्ष]

डिवीजन की इजाजत दी जाती है।

(विभाजन के पश्चात्)

श्री चाँदमल मेहता के संकल्प पर जो डिवीजन के वोट की गणना की गई तो संकल्प को वापिस लेने देने को अनुमति देने के पक्ष में ७४ और विरोध में २० मत आये। इसलिए प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चाँदमल मेहता—मैं मेरा संकल्प वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है, कल प्रातःकाल ८ बजे फिर सदन की कार्यवाही शुरू होगी।

(तत्पश्चात् सदन की बैठक, १२ बजकर २० मिनट मध्यान्ह में, बृहस्पतिवार दिनाँक ५ अगस्त, १९५४ के प्रातःकाल ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन, — मनसाराम पुरोहित

जयपुर, — सचिव,

दिनांक—४ अगस्त, १९५४. — राजस्थान विधान सभा

Page No.82

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण
सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की
सम्बन्धित मन्त्री महोदय को अनुमति है)

प्रश्न

१२८६. (२६७ / एफ. एम.) श्री रामदयाल उपाध्यय, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १२३—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः

(अ) शाहपुरा-जहाजपुर रोड का निर्माण कार्य कितने वर्षों से प्रारम्भ है और अबतक कितने मील सड़क का निर्माण हो चुका है।

(ब) क्या यह सही है की एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर भीलवाड़ा ने इस निर्माण कार्य का आजतक निरीक्षण नहीं किया है ?

उत्तर

(१) शाहपुरा-जहाजपुर रोड का निर्माण कार्य दिनांक १०-१०-५३ से प्रारंभ हुआ। ढाई मील सड़क को पूरा करने के लिये मिट्टी का कार्य पूरा हो चुका है तथा मेटीरियल कलेक्शन भी लगभग समाप्ति को पहुँच चुका है, कन्सोलीडेशन का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ होने को है।

अवशेष ढाई मील सड़क के निर्माण का कार्य बरसात के पश्चात् यानी लगभग १५. ६. ५४ तक प्रारम्भ करने की योजना है।

(२) यह सही नहीं है। एकजीक्यूटिव इन्जीनियर यातायात एवं भवन-निर्माण विभाग भीलवाड़ा ने इस निर्माण के कार्य को दिनांक १६-१२-५३ व ८-१-५४ तथा १६-३-५४ को निरीक्षण किया है और कार्य के सम्बन्ध में यथा विधि निर्देश भी असिस्टेन्ट इन्जीनियर सम्बन्धित को समय-समय पर दिये हैं।

प्रश्न

१२१२. (२१६/एफ.एम.) श्री रामदयाल उपाध्यय, एम. एल.ए., डिविजन नम्बर १२३—क्या निर्माण मन्त्री जी उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में सड़क निर्माण कार्य के लिये दो रोलर दिल्ली की एक फर्म से ३०) रुपया प्रतिदिन प्रति रोलर के हिसाब से किराये पर लाये गये हैं और लगातार चार माह तक उनका उपयोग नहीं होने से सरकार को ७०००) रुपये का नुकसान उठाना पड़ा ?

उत्तर

भीलवाड़ा विभाग में सड़क निर्माण के कार्य के लिए दो रोलर मेसर्स दिल्ली रोलर सप्लाई कम्पनी, दिल्ली से ३० रु० प्रति दिन प्रति रोलर किराये पर लिये गये हैं। यह बात सत्य नहीं है कि रोलर इस विभाग की त्रुटि के कारण चार माह तक उपयोग में नहीं आये। इन रोलरों के आते ही ये ठेकेदारों को कुटाई का काम करने के लिए दे दिये गये थे कि जिनका किराया नियमों के अनुसार इकट्ठा किया जा रहा है। अति वर्षा के कारण कुछ नुकसान जो कि अन्दाजन रु० ७०० का होता है वह अनिवार्य था।

प्रश्न

१२६३. (३००/एफ.एम.) श्री रामदयाल उपध्याय, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर
—क्या माननीय निर्माण मन्त्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि देवली-जहाजपुर सड़क पर जो साइनबोर्ड लगाये गये हैं वे बिलकुल उल्टे लगाये गये हैं ?

(२) क्या उल्टे साईनबोर्ड लगाने से कुछ बड़ी दुर्घटनायें हुई हैं। यदि हुई हैं तो कितनी ?

उत्तर

कुल पाँच साईनबोर्ड इस सड़क पर लगे हुए हैं। इनमें से चार भली प्रकार से लगे हुए हैं जबकि पाँचवाँ बजाय एक सिरे पर होने के मोड़ के शिखर पर लगा हुआ था। यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि किसी ने इसको शरारतन हटा दिया था कि जिसको अब ठीक तौर से लगा दिया गया है। कोई भी दुर्घटना होने की सूचना नहीं मिली।

Page No.84

परिशिष्ट २

(शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार-मिटाने के लिये एक समिति का निर्माण करने सम्बन्धी श्री चाँदमल मेहता के संकल्प पर विभाजन)

'हाँ' पक्ष—७४

क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम	क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
१	५	श्री बद्रीलाल	१८	३२	श्री दलीपसिंह
२	६	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता	१९	३४	,, दीनबन्धु परमार
३	७	,, बलबीर	२०	३५	,, देवीसिंह
४	९	,, भगवानसिंह तरंगी	२१	३७	,, धर्मपाल पंवार
५	१०	के० श्री जुझारसिंह	२२	३८	,, धूलजीभाई भवसार
६	११	मेजर ठा० श्री भैंरूसिंह (सोजत-देसूरी)	२३	३९	ले. क. आर. एस. श्री दिलीपसिंह
७	१३	श्री भैंरूसिंह (राजसमन्द-रेलमगरा)	२४	४०	श्री दुर्लभसिंह
८	१४	ठा० श्री भानुप्रतापसिंह	२५	४१	,, रामनिवास मिर्धा
९	१५	श्री भवानीसहाय शर्मा	२६	४३	,, घासीराम
१०	१७	ठा० श्री भीमसिंह	२७	४४	,, घासीराम यादव
११	१८	श्री भोगीलाल पंड्या	२८	४५	,, घीसीसिंह कटेला
१२	१९	,, भोलानाथ	२९	४६	,, जयसिंह रानावत
१३	२१	श्री विश्वम्भरनाथ जोशी	३०	४८	श्री गुलाबचन्द कासलीवाल
१४	२२	ले. क. श्री बिशनसिंह	३१	५२	,, हंसराज जटिया (बारी)
१५	२४	श्री चन्दनमल वैद	३२	५३	,, हरिदेव जोशी
१६	२५	,, जयनारायण व्यास	३३	५६	,, हरीशंकर सिद्धान्त शास्त्री
१७	३१	,, चुन्नीलाल बिरला	३४	५९	श्री हजारीलाल शर्मा

क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम	क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
३५	६२	श्री द्वारकादास पुरोहित	५५	११२	श्री नरसिंह कछवाहा
३६	६५	,, जयचन्द्र मोहिल	५६	११६	,, प्रभुदयाल
३७	६६	,, कानसिंह	५७	११८	,, वृजसुन्दर शर्मा
३८	७०	,, कँवरलाल जेलिया	५८	१२७	,, रामलाल बन्सीवाल
३९	७३	,, केसरीसिंह (सोजत मुख्य)	५९	१२८	,, रामरतन टिक्कीवाल
४०	७५	महाराजा श्री केसरीसिंह (पाटन)	६०	१३२	केप्टिन श्री सज्जनसिंह
४१	७७	श्री खेतसिंह	६१	१३३	श्री सम्पतराम
४२	७८	,, किशनलाल शाह	६२	१३५	,, अंगदराम
४३	७९	,, मोहम्मद अब्दुलहादी	६३	१३८	शाह अलीमुद्दीन अहमद
४४	८४	,, लालूराम	६४	१४०	महाराज श्री शिवदानसिंह
४५	८५	,, लक्ष्मण हीरात	६५	१४२	श्री श्रीदास गोयल
४६	८७	,, चाँदमल मेहता	६६	१४३	श्री श्रीगोपाल भार्गव
४७	९४	डा० श्री मंगलसिंह (बारी)	६७	१४५	श्री सोहनलाल भटनागर
४८	९६	श्री मनफूलसिंह	६८	१४६	श्री सोमा वालू भील
४९	९७	रावत श्री मानसिंह (महार)	६९	१४७	श्री सुगनचन्द जैन
५०	१०१	श्री मोहम्मद इब्राहिम	७०	१४९	श्री तेजमल बापना
५१	१०४	,, मोटाराम चौधरी	७१	१५१	श्रीमती कमला कुमारी
५२	१०६	,, मोतीलाल चौधरी	७२	१५३	श्री टीकाराम पालीवाल
५३	१०७	,, मोतीराम	७३	१५४	श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा
५४	१०९	,, नारायण चतुर्वेदी	७४	१५५	श्री उदयलाल बरदिया

Page No.86

'ना' पत्र—२०

क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम	क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
१	८	श्रीमती यशोदा देवी	११	६६	कु० श्री जसवन्तसिंह
२	१६	श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)	१२	७६	राव सवाई श्री केसरीसिंह (मांडलगढ़)
३	२०	„ भोपालसिंह	१३	१०८	„ मुक्तिलाल मोदी
४	२८	„ छीतरसिंह	१४	११४	„ नाथूसिंह
५	३०	„ छीतरलाल शर्मा	१५	१३६	„ संतोषसिंह कछवाहा
६	४९	„ गुरुदयालसिंह सन्धु	१६	१३७	राव राजा श्री सरदारसिंह
७	५०	„ हनवन्तसिंह	१७	१३९	रावत श्री शम्भूसिंह
८	६१	„ हिम्मतसिंह (अटरू)	१८	१४८	श्री तनसिंह
९	६३	„ ईश्वरीसिंह	१९	१५९	„ वीरेन्द्रसिंह
१०	६४	„ जगतसिंह झाला	२०	१६०	„ हरिकृष्ण व्यास